खण्ड-346, अंक-8
गुरूवार, 3 आश्विन, शक संवत् 1902
(25 सितम्बर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्य
उपस्थित सदस्य	1025–1028
प्रश्नोत्तर	1029–1059
कुमायूं मण्डल के जिला मुख्यालय नैनीताल, अल्मोडा व पिथौरागढ़ में जलाने वाली लकड़ी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1059–1060
लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के कतिपय मुहल्लों में जल भराव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1060
जनपद सीतापुर के सकरन ब्लाक के कतिपय ग्रामों में जल भराव तथा सहायता न मिलने मे भुखमरी को स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	.. 1060–1061
जनपद मुरादाबाद को तहसील बिलारी में चीनी वितरण में गोलमाल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1061
लखनऊ में बंगला बाजार के निकट लगी महराजा बिजली पासी की प्रतिभा तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1062
औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास ..	..1062–1064
द्वितीय उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों को पेंशन स्वीकार कराये जाने के संबंध में याचिका.. (उपस्थित की गई) ..	1064
लखनऊ कलेक्ट्रेट तथा फौजदारी अदालतो के वकीलों तथा सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों में संघर्ष के कारण हुई हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	1064–1065
दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अनुपूरक प्रश्नों पर शोधन वक्तव्य ..	..1065–1066
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	..1066
1980–81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 68–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 69–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 102 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यो पर पूंजोगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 103 सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजोगत परिव्यय) (जारी)	..1066–1118
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1118
व्यवस्था का प्रश्न	1118

राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् व तेरह विश्वविद्यालय की सभाओं के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 1118–1119

राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा तेरह विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना 1119–1120

जालौन जनपद की कदौरा थाना की पुलिस द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 1120–1122

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित किया गया) 1122–1138

नथियां 1139–1146

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पति, दिनांक 25 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 4 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—326

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
ऊबल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली),
कृष्णदत्त श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजोत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर, सिंह श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
बलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
बल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोबर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक, कुमार श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपू, उर्फ दीप नारायण श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रावीन कुमार शर्मा श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज वल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)

भगवत सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मंडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मनावर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्ह सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह, चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार श्री (लखनऊ)

विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अग्रवाल, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज' श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नो) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पांडेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरिप्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेम चन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

गुरूवार, 25 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राम अ।सरे वर्मा तथा श्री अम्बा प्रसाद––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला अस्पताल, गोन्डा की खराब एक्सरे मशीन

*2–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय (अनुपस्थित)––

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला अस्पताल गोन्डा की एक्स–रे मशीन लगभग एक वर्ष से खराब पड़ी है और मरीजों को बलरामपुर अस्पताल एक्स–रे कराने जाना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र दिनांकित 5–7–80 तथा जिला अस्पताल द्वारा भेजे गये पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)––

जी हाँ, जिला अस्पताल द्वारा भेजे गये पत्र पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वार। जिला अस्पताल के अधीक्षक को संबंधित फर्म से मशीन की मरम्मत का आकलन प्राप्त कर भेजने हेतु कहा गया था जो अभी तक फर्म से उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । माननीय सदस्य द्वारा इस संबंध में दिये गये पत्र दिनांक 5–7–80 पर पुरानी एक्सरे मशीन के स्थान पर नयी मशीन लगवाये जाने के सबंध में विचार किया जा रहा है ।

रुदौली जिला बाराबंकी के सरकारी महिला अस्पताल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

*3–श्री प्रदीप कुमार यादव––

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत रुदौली नोटीफाइड एरिया में चल रहे महिला सरकारी अस्पताल में विगत दो वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो इतने दिनों तक डाक्टर के न भेजे जाने के कारण क्या है और क्या सरकार महिला डाक्टर के शीघ्र भेजे जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति––

जी हां ।

महिला डाक्टरों की कमी के कारण इस चिकित्सालय में महिला डाक्टर की तैनाती नहीं की जा सकी है ।

महिला डाक्टरों की नियुक्ति हेतु चयन शीघ्र ही होने जा रहा है और चयन के पश्चात् इस अस्पताल में महिला डाक्टर की तैनाती करना सम्भव हो पायेगा ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो महिला डाक्टरों के चयन का सवाल है, इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है और यह चयन कब तक पूरा हो जायेगा ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि रुदौली टाउन एरिया की आबादी करीब 30 हजार है, इसको देखते हुये वहां महिला अस्पताल में, सेवारत डाक्टरों में से किसी डाक्टर को नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, जहां तक महिला डाक्टरों के चयन के सम्बन्ध में प्रश्न है तो श्रीमन्, वह पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख दिया गया है । उन्होंने उसकी वान्ट भी निकाल दी थी, अखबारों में छप गया है । लेकिन अंदाज है कि एक या दो महीने के अन्दर वह सूची हमें भेज देंगे । रुदौली महिला अस्पताल के खोलने के सम्बन्ध में, तो अस्पताल वहां खुला हुआ है । उसमें जो आपने सुझाव दिया है उसको मानकर कार्यवाही कर दी जायगी ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन विगत दो सालों में वह डाक्टर नहीं रहे हैं तो इस बरम्यान उस अस्पताल का काम कैसे चलता था और दवाओं के सिलसिले में, अस्पताल किराये पर है, कर्मचारियों आदि की तन्ख्वाह पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री लोकपति--

औसतन एक चिकित्सालय पर शासन का 36 हजार रुपये प्रति वर्ष का व्यय आता ह । वहां उस पर भी हुआ होगा । वहां पर जो नर्सेज हैं और जो स्टाफ के लोग हैं वह काम को देखते हैं ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और भी ऐसे अस्पताल हैं जहां डाक्टर्स नहीं हैं । जिला बदायूं में ककराला अस्पताल में डाक्टर नहीं है, इसलिये क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जहां-जहां डाक्टर नहीं हैं, वहां उनको कब तक भेजेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, इस प्रश्न से सम्बन्धित यूं है कि मेरा प्रश्न अस्पताल से सम्बन्धित है । इसलिये मन्त्री जी से मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, 300 के ऊपर अस्पताल हैं जहां डाक्टर नहीं हैं ।

श्री ऊबल—

माननीय, मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि महिला डाक्टरों की कमी थी इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है कि वह चयन कर लें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो यह कमी थी इसके लिये शासन ने क्या प्रयास किया? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी को क्या जानकारी है कि तदर्थ नियुक्ति के लिये महिला डाक्टरों ने कुछ प्रार्थना-पत्र दिये हैं?

श्री लोकपति—

एडहाक नियुक्ति का प्रश्न इसमें नहीं है।

श्री बदन सिंह—

माननीय, मन्त्री जी ने बताया है कि रुदौली अस्पताल में दो वर्ष से डाक्टर नहीं है और पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि तब तक वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे?

श्री लोकपति—

माननीय, जो वर्तमान व्यवस्था कायम है वही चलती रहेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, गत दो वर्षों से रुदौली में कोई महिला डाक्टर नहीं है, तो क्या इस बीच वहां किसी डाक्टर से जाने के लिये कहा गया और वह नहीं गया। यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। दूसरा प्रश्न यह है कि महिला डाक्टरों की कमी को देखते हुये महिला डाक्टर की सीटें मेडिकल कालेज में बढ़ाने की बात क्या शासन सोच रहा है।

श्री लोकपति—

माननीय, प्रश्न के पहले भाग का प्रश्न नहीं उठता है। द्वितीय भाग में यह व्यवस्था शासन कर रही है कि कुछ महिला विद्यार्थियों की मेडिकल कालेज में भर्ती बढ़ाई जाय।

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर तथा श्री पंचानन के खड़े न होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

पंचानन जी हैं लेकिन खड़े नहीं हो रहे हैं।

श्री पंचानन—

माननीय, मन्त्री लोग बात करते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं।

दवाओं के क्रय एवं वितरण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान की जांच एवं कार्यवाही

*4—श्री पंचानन—

क्या सरकार कृपया सरकारी अस्पतालों में दवाओं के क्रय एवं वितरण में हुये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा हाल ही में की गयी जांच

की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखते हुये बतायेगी कि किन-किन डाक्टरों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है एवं किन-किन औषधि विक्रेता फर्मों को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे दवाइयां बनाने वाले तथा अधिकारियों को इस प्रकार की गंभीर अपराध के लिये मृत्यु दंड अथवा अन्य कोई कठोर दन्ड दिया जा सके ?

श्री लोकपति--

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अभी जांच जारी है । इस चरण पर जांच के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त विवरण दिया जाना जनहित में न होगा । जांच परिणाम ज्ञात होने पर ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करना सम्भव होगा ।

मान्यवर, प्रश्न के दूसरे हिस्से में यह पूछा गया था कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे दवाइयां बनाने वाले तथा अधिकारियों को इस प्रकार की गंभीर अपराध के लिए मृत्यु दन्ड अथवा अन्य कोई कठोर दन्ड दिया जा सके । यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी अस्पताल की दवाइयां बाजार में बेची जा रही हैं, नीति विषयक सवाल को देखते हुये क्या सरकार ऐसे लोगों को दन्ड देने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री लोकपति--

यह प्रदेश सरकार की परिधि के बाहर है । यह कानून भारत सरकार बनाती है ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सीतापुर के डाक्टर के खिलाफ भी ऐसी कोई जांच हो रही है और क्या कुछ दवाइयां सीतापुर में भी इस तरह की पकड़ी गयी हैं जो आपके मान्यता प्राप्त कम्पनियों द्वारा न बनाकर जाली नम्बर दो कम्पनियों के द्वारा....।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा, यह प्रश्न तो व्यापक है ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, डाक्टरों के बारे में भी है और पूरे प्रदेश के बारे में भी है । इसलिए मैंने माननीय मन्त्री जी से यह प्रश्न किया कि मन्त्री जी यह बतायें कि सीतापुर में जो जांच हो रही है और कुछ दवाइयां पकड़ी गई हैं उस सिलसिले में सरकार क्या कर रही है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री मोती लाल देहलवी--

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता महोदय ने अपने प्रश्न में एक बात यह जाननी चाही कि किन-किन औषधि विक्रेता फर्मों को काली सूची में दर्ज करने की

कार्यवाही की गई है । मान्यवर, सतर्कता अधिष्ठान की जांच अभी जारी है उसको न बता यें लेकिन इसको गोपनीय रखने का कोई कारण नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगा कि किन-किन औषधि विक्रेता फर्मों को काली सूची में दर्ज किया गया है ?

श्री लोकपति--

जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कौन काली सूची में आयेगा ऐसा कोई निर्णय नहीं हो सकता ।

श्री बलवीर सिंह--

क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब अस्पताल में दवाइयां सप्लाई की जाती हैं उनका कोई नमूना लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है या नहीं ?

श्री लोकपति--

लैब टेस्ट होता है निदेशालय के स्तर पर ।

श्री बलवीर सिंह--

जिस वक्त दवाइयां सप्लाई की जाती हैं वे सही दवाइयां हैं या नहीं उनका टेस्ट होता है या नहीं उस समय ।

श्री लोकपति--

सप्लाई होने के पूर्व, सप्लाई होने के दौरान दोनों समय लैब टेस्ट होता है ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय सदस्य ने बड़े स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिससे दवा बनाने वाले तथा अधिकारियों को इस प्रकार के गंभीर अपराध के लिए मृत्यु दंड अथवा अन्य कोई कठोर दन्ड दिया जा सके और मन्त्री जी ने उसका उत्तर दिया कि भारत सरकार कानून बनाती है ।

श्री हुकम सिंह--

मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आती है । इसमें कौन सी संवैधानिक कठिनाई प्रदेश सरकार के सामने है जिसमें वह इस सम्बन्ध में सक्षम नहीं है ?

श्री लोकपति--

ड्रग ऐक्ट के अन्तर्गत कोई कानून बनाने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है ।

श्री हुकम सिंह--

इसमें ड्रग ऐक्ट का सवाल नहीं है । सामान्य प्रशासन में जो अधिकार प्रदेश सरकार को दिये गये हैं संविधान के मुताबिक उनके अन्तर्गत आप कानून बनाने में सक्षम हैं या नहीं ? जो आदमी मिलावट करता है, दवाई गलत देता है उस सम्बन्ध में आप कानून फूड एड एडल्ट्रेशन ऐक्ट तथा एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत बना सकते हैं ?

श्री लोकपति--

आप मृत्यु दंड देने की बात कर रहे हैं इसकी व्यवस्था इसके अन्तर्गत हम नहीं कर सकते ।

श्री जेराज गौतम--

किन-किन डाक्टरों को गिरफ्तार किया गया और कितनों को जेल भेजा गया, कितनों के लाइसेन्स रद्द किये गये इस सम्बन्ध में जो जांच अभी चल रही है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री लोकपति--

इस बात को सदन में मैं कई बार पहले कह चुका हूं और बजट के दौरान भी कह चुका हूं । हमारे दो माननीय सदस्यों के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी स्वीकार हो चुके हैं जिनको अगले सत्र म लाने के लिये आप तैयार हैं । ये सारे प्रश्न उसी से सम्बन्धित हैं । अगर सदन चलते जांच हो जाती है और उस पर ऐक्शन हो जाता हैं तो आपको सूचित कर दिया जायगा लेकिन इस समय कितने गिरफ्तार किये गये और कितने जेल भेंजे गये जनहित में इनमें से किसी का भी उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जैसे ग्लुकोस कांड हुआ था उसमें किन किन औषधि विक्रेताओं को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही हुई और जो उसके लिये जिम्मेदार थे जिनके खिलाफ जांच की गयी वह सब प्रकाश में उस समय आ गयी थी उसी तरह से इन औषधि विक्रेताओं को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने तथा उनको दंड देने के प्रश्न पर सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति--

इस प्रश्न पर इस समय सतर्क अधिष्ठान द्वारा जाँच चल रही है । उनसे पता चलाने पर इन बातों के सम्बन्ध में मैं इसकी सूचना आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को भेज दूंगा ।

लखनऊ मास्टर प्लान में विधान सभा मार्ग स्थित क्षेत्र

5--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा मार्ग लखनऊ के दोनों ओर का भाग लखनऊ मास्टर प्लान में आवासीय उपयोग के लिये आरक्षित है ? क्या यह सही है कि श्रीमती ऊषा कौशल श्रीमती, मीनावती अग्रवाल व श्री आहूजा को वहां पर व्यापारिक भवन बनाने की अनुमति प्रदान की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

लखनऊ महायोजना में विधान सभा मार्ग के दोनों ओर का सम्पूर्ण भाग केवल आवासीय उपयोग के लिए आरक्षित नहीं है ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15 एवं 32 के अन्तर्गत स्वीकृति दी जा सकती है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मैं यह जानना चाहूंगा कि विधान सभा मार्ग पर दोनों तरफ आवासी उपयोग के अतिरिक्त किन-किन उपयोगों के लिये जमीन आरक्षित है। दूसरे जिस भाग में श्रीमती उषा कौशल, श्रीमती मीनावती अग्रवाल तथा श्री आहूजा अवस्थी ह उन मकानों के बनने के पहले वे प्लाट मास्टर प्लान में किस उपयोग के लिये आरक्षित किय गये थे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

आवासी उपयोग के लिये। जहां तक यह प्रश्न है कि व्यवसाय करने के लिये क्यों दिया गया तो वह सन् 1971 से 1974 तक दिया गया था। हमने इसके लिये आदेश दिये हैं किस इस मामले की इन्क्वारी कर ली जाय और छानबीन के बाद ऐसे लोगों को सजा दी जाय जो दोषी होंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरण को अधिकार है कि वह मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग में परिवर्तन कर दे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

ऐसा नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया ह कि कुछ भागों का प्रयोग कुछ लोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिये कर रहे हैं तो फिर इन्क्वायरी की क्या जरूरत है ? स्पष्ट आदेश वैकेशन के दे दें ? तो क्या मंत्री जी तत्काल इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों से उनको हटाकर जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये सोच रहे हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना--

मान्यवर प्रजातांत्रिक पद्धति में कुछ नियम होते हैं और उनके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है और देरी भी लगती है। जब यह बात सामने आयी तब पता चला कि 1971 से उन लोगों को जिनको अधिकार सौंपा था, उन्होंने इजाजत दी हुई है, बनवाने की, लेकिन उससे मास्टर प्लान का उल्लंघन होता था। इसी तरह से पेट्रोल पम्प बने हैं वह भी व्यावसायिक है, ऐग्रो का कारखाना है, वह भी व्यावसायिक है। फिर भी हमने इस पर छानबीन करने के आदेश दिये हैं ताकि आइन्दा कोई गलती न हो और उसकी रोकथाम की जाय। इसीलिये इन्क्वायरी की जा रही है।

*6---श्री छतर सिंह--

[28-8-80 को तारांकित प्रश्न संख्या 20 द्वारा उत्तरित]

ललितपुर में मुख्य चिकित्सा धिकारी की नियुक्ति

ओम प्रकाश रिछारिया--

*7--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में लगभग सात-आठ महीने से सी० एम० ओ० का पद रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और क्या सरकार वहां शीघ्र सी० एम० ओ० को नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र स्वास्थ्य मंत्री को जून, 1980 में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी नहीं । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ललितपुर के पद पर डा० एन० पी० सिंह दिनांक 30-8-1980 से तैनात हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जून 1980 में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किसी भी जिले में सी० एम० ओ० के अन्डर में कितने डिप्टी सी०एम०ओज० होते हैं और इस समय ललितपुर में कितने डिप्टी सी० एम० ओज० हैं ? यदि कोई कमी वहां हो तो वह आप कब तक पूरी कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो सी० एम० ओ० से सम्बन्धित प्रश्न है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

तो सी० एम० ओ० और डिप्टी सी० एम० ओ० में क्या अन्तर है ?

श्री उपाध्यक्ष--

उतना ही जितना मुझमें और मेरे सचिव में है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

वहां पर 3 डिप्टी सी० एम० ओज० थे और अब एक भी नहीं रह गया है ।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया)

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में जिस तरह से सी० एम० ओ० के स्थान रिक्त हैं क्या उसी तरह से डिप्टी सी० एम० ओज० के स्थान भी रिक्त पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो उनको कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

ललितपुर में डिप्टी सी० एम० ओज० के स्थान रिक्त हैं ।

श्री सुजान सिंह बुन्देला--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ललितपुर जिला अस्पताल में लाखों का घोटाला हुआ है तो उस संबंध में वहां के सी० एम० ओ० के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपने सवाल में दिया नहीं है ।

श्री सुजान सिंह बुन्देला—

साढ़े सात लाख का घोटाला है (व्यवधान) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री लोक पति—

पुराने सी० एम० ओ० को हटाकर नया सी० एम० ओ० रखा गया है ।

नगरपालिका संडीला, जिला हरदोई के चुंगी मुहर्रिर श्री सरदार हुसैन का अवशेष वेतन

8—श्री मित्रसेन—

क्या यह सही है कि 31 मई, 1973 को जनपद हरदोई की नगरपालिका संडीला से चुंगी मोहर्रिर (श्री सरदार हुसैन) की सेवायें समाप्त की गई थी जिसकी अपील ट्रिब्यूनल लखनऊ ने 15 मई, 1978 को अवैध घोषित करते हुए उन्हें पुनः नियुक्त किये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का परिपालन करते हुए दिनांक 31 मई, 1973 से 15 मई, 1978 तक की अवधि का वेतन उक्त मोहर्रिर को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दिनांक 15 मई, 1978 के परिपालन में नगरपालिका, संडीला से सम्बन्धित मोहर्रिर को उसकी सेवा समाप्ति की उक्त तथाकथित अवधि का लगभग 13,736·72 रु० की धनराशि का भुगतान वेतन आदि के रूप में किया जाना था किन्तु पालिका की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत बकाया वेतन की उक्त धनराशि का पूर्ण भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी को एकमुश्त न कर किश्तों में किया जा रहा है । अब तक तीन किश्तों में 4,957.52 रु० का भुगतान किया जा चुका है तथा 8,779·20 रु० का भुगतान किया जाना अभी शेष है । पालिका की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत अवशेष वेतन का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सका है जिसका किश्तों में किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्र सेन—

यह जो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो कार्यवाही हुई यह किसने की थी और उसके खिलाफ अब क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, माननीय सदस्य की मन्शा जो है मैं समझा हूं वह यह है कि यह जो गलत तरीके से निकाल दिया और उस गलती के कारण यह जो रुपया देना पड़ रहा है उसके लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिसकी गलती से तीन वर्ष तक एक आदमी घर बैठा रहा । इसके लिए मैंने आज ही छानबीन करने के आदेश दे दिये है मैं यही मालूम कर रहा हूं ।

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश की मांग

*9--श्री शम्भूनाथ--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी को मालूम है कि डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले दो महीने से आन्दोलन कर रही है जिसके तहत जिलों में प्रदर्शन करके सी० एम० ओ० और संयुक्त मन्डलों के कार्यालय पर प्रदर्शन एवं धरना दिया गया और 23 जून, 1980 को निदेशक के कार्यालय पर भी धरना दिया गया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें कौन-कौन सी हैं और उन पर क्या कार्यवाही आज तक हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था तथा धरने दिये थे । उसकी मांगों का एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

2--फार्मेसिस्टों की चार न्यायोचित मांगें गत वर्ष स्वीकार कर ली गई थीं । स्वीकृत मांगों का विवरण संलग्न है । वर्तमान शासन ने उनकी एक मांग और स्वीकार कर ली है अर्थात् फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक डिप्लोमा फार्मेसिस्ट को सदस्य मनोनीत किया जा चुका है ।

3--फार्मेसिस्टों की जिन वर्तमान मांगों में वित्तीय भार निहित है उन पर अलग से विचार करना सम्प्रति सम्भव नहीं है । वेतन आयोग द्वारा ऐसे मामलों में विचार किया जा रहा है ।

4--शेष मांगों पर, जिनमें वित्तीय भार निहित नहीं है, शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1139 पर)।

श्री शम्भू नाथ--

वह कौन सी मांगें हैं जिन पर शासन विचार कर रहा है और उन पर कब तक विचार कर लिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

जिन मांगों में वित्तीय भार का सम्बन्ध नहीं है उन पर शासन विचार कर रहा है और बहुत शीघ्र ही इसका निपटारा हो जायगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी मांगों में से मुख्य-मुख्य यही हैं जिसमें से एक वेतन-क्रम में सुधार, दूसरा उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग को उनके वेतन बढ़ाने के सिलसिले में जो टर्म आफ रेफरेंस में दिया है वह क्या है ?

श्री लोकपति--]

फार्मेसिस्ट संघ वेतन आयोग को स्वतः अपनी वेतन सम्बन्धी प्रस्तावना दे चुका है। और जहां तक शासन का सम्बन्ध है, उसमें आपको जो बताया गया है विगत सरकार न 4 मांगें मानी थीं, उनमें एक वेतन सम्बन्धी मांग भी मानी थी।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में और खासकर कानपुर में फार्मेसिस्टों के लिए आवासीय व्यवस्था न होने के कारण प्रायः वहां पर हर महीने हड़ताल होती रहती है और इस समय भी वहां के एक डफरिन अस्पताल में ऐसा ही विवाद चल रहा है, और उस विवाद को समाप्त करने के लिए और उसके साथ-साथ आवासीय व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री लोकपति--

स्वास्थ्य विभाग के सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में आवासीय व्यवस्था की जा रही है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय, जो पांच मांगें मानी गई हैं, वे कौन-कौन सी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न हो चुका है और इसका उत्तर मूल उत्तर में ही आ गया है।

श्री रामआसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे ? हमारा प्रश्न लम्बा है--शासन द्वारा फार्मेसिस्टों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण, बन्द आगरा एवं इलाहाबाद के संस्थान चालू करने, कानपुर में भी फार्मा प्रारम्भ करने, स्टेट फार्मेसिस्ट कौन्सिल के चुनाव कराने और वरिष्ठता की सूची प्रकाशित कराने का मसला गत शासन द्वारा निर्णीत किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसको लागू करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ? लागू न करने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति--

जितने निर्णय हुए, लागू हो गये हैं, पिछले शासन ने जो निर्णय लिये, निर्णय लागू हैं और जो निर्णय लिये जाने वाले हैं वह निर्णय होने के बाद लागू किये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो प्रश्न कर रहे हैं, वह पूरी किताब है।

श्री रामआसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने बड़ी खूबसूरती से प्रश्न डाल दिये है। चार प्रश्नों का जिक्र किया जा चुका है। पिछले शासन ने इनके बारे में, जिनको मैंने

उठाया था, निर्णय लिया था, उन्हीं के बारे में मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको लागू न करने के क्या कारण हैं ? या मन्त्री जी कह दें कि पिछले शासन ने इस बारे में निर्णय नहीं लिया ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो मांगें फार्मेसिस्ट्स की हैं, उसमें बहुत सी ऐसी भी हैं, जो दूसरे सरकारी कर्मचारियों की भी हैं, तो क्या मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि फार्मेसिस्ट्स की जो कायम मांगें हैं, उनका सामूहिक रूप से कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बड़ा ही विस्तृत प्रश्न हो गया है ।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, फार्मेसिस्ट्स की और अदर एम्पलाइज (दूसरे कर्मचारियों) की बहुत सी मांगें कामन हैं । तो मैं चाहूंगा कि इस पर अलग से विवाद कराने का मौका दे दें तो अच्छा होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप चर्चा के लिए दे दीजिए, मैं विचार कर लूंगा।

स्वास्थ्य विभाग में तदर्थ डाक्टरों का नियमितीकरण

*10—राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में तदर्थ नियुक्त लगभग 1,700 डाक्टरों के नियमितीकरण के बारे में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कुल तदर्थ नियुक्त डाक्टरों की संख्या क्या है ? उनका नियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

1 जनवरी, 1977 से पूर्व तदर्थ नियुक्त डाक्टरों की संख्या लगभग 3,000 है इनमें से अब तक 1,623 तदर्थ नियुक्त पुरुष एवं महिला डाक्टरों की सेवाएं नियमित की जा चुकी है। शेष डाक्टरों की सेवाओं का भी शीघ्र ही विनियमितीकरण किया जायगा।

(प्रश्न संख्या 10 पुकारे जाने तथा सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इसमें हमारी रुचि है। अतः इसे ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों के समाप्त होने पर यदि समय रहा तो ले लिया जायेगा।

नगरपालिका, शाहजहांपुर के अस्थायी लिपिक

*11--श्री जगदीश सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, शाहजहांपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग में लगभग 10 वर्षों से कार्यरत लिपिकों को अभी तक स्थायी क्यों नहीं किया गया? और उनको कब तक स्थायी किये जाने की संभावना है?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगरपालिका, शाहजहांपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग में लिपिक का एक स्थायी पद है जिस पर कार्यरत लिपिक स्थायी है। पालिका के इसी विभाग में एक अन्य लिपिक अस्थायी रूप से कार्यरत है जिन्हें स्थायी पद न होने के कारण स्थायी नहीं किया गया है। स्थायी पद सृजित होने पर ही उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार किया जाना सम्भव होगा।

श्री जगदीश सिंह--

वहां पर कितने पद स्थायी हैं और शासन के आदेश के बवजूद भी उनका स्थायीकरण क्यों नहीं किया गया?

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय, मैंने मूल प्रश्न के ही उत्तर में बताया है कि वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में लिपिक का एक पद स्थायी है, जिस पर कार्यरत लिपिक स्थायी है। इसी विभाग में एक अन्य लिपिक अस्थायी रूप से कार्यरत है जिसको स्थायी करने के लिए सारे प्रौसेस हैं, वे किये जा रहे हैं और यह मामला शासन के विचाराधीन है कि इसकी स्वीकृति दी जाय या नहीं। उसके बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री गुलाब सिंह--

मन्त्री जी ने बताया कि पद स्थायी होने पर ही कार्यरत लिपिक को स्थायी किया जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति स्थायी पदों पर कार्यरत हैं, उनको उन पर स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री राम सिंह खन्ना--

जो केस शासन के विचाराधीन है उसमें यह है कि दफा 70 में एमरजन्सी में चेयरमैन को अधिकार था कि वह अस्थायी रूप से नियुक्ति कर सकता था। उसके बाद 1-1 साल तक बढ़ाते रहे। अब 2 साल के बाद इसके लिए उन्होंने लिखा है कि उनकी पोस्ट को स्थायी कर दिया जाय क्योंकि उसकी आवश्यकता निरन्तर रहती है। अभी यह मामला शासन के विचाराधीन है और वित्त विभाग को भेजा गया है। जब यह पद स्थायी हो जायेगा, तब उनकी स्थायी रूप से नियुक्ति करने पर विचार किया जा सकता है।

उर्सला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल, कानपुर में एक्सरे-टैक्नीशियन की नियुक्ति की मांग

*12--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि उर्सला हार्समैन मेमोरियल अस्पतला, कानपुर में पृथक् स्थापित इमरजेन्सी वार्ड की एक्स-रे मशीन चलाने के लिए एक्स-रे

टेक्नीशियन का कोई पद सृजित न होने के कारण यह स्थान प्रायः रिक्त रहता है और यदि कभी कोई एक्स-रे टेक्नीशियन कार्यरत किया जाता है तो उसे वेतन नहीं मिलता है? यदि हां, तो यह पद अब कब तक सृजित कर दिया जायगा और तत्संबंधी आदेश कब तक निर्गत हो जायेंगे ?

श्री लोकपति--

यह सही है कि उर्सला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल, कानपुर में पृथक् स्थापित इमरजेन्सी वार्ड की एक्स-रे मशीन चलाने के लिए एक्स-रे टेक्नीशियन का पद सृजित नहीं है किन्तु मशीन के संचालन हेतु एक्स-रे टेक्नीशियन की व्यवस्था प्रायः रही है। प्रायः जो भी एक्स-रे टेक्नीशियन यहां पर तैनात रहें उन्हें बराबर वेतन भी मिलता रहा है केवल एक टेक्नीशियन को कुछ समय से वेतन नहीं मिला जिसके वेतन आहरण वितरण के आदेश भेजे जा चुके हैं। जहां तक एक्स-रे टेक्नीशियन के पद के सृजन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में औपचारिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

जो टेक्नीशियन्स काम कर रहे हैं उनको वेतन दूसरी जगह से वेतन अहरण करके दिया जा रहा है। पदों के सृजित हो जाने के बाद क्या मन्त्री जी ऐसे आदेश देंगे कि जो जहां पर काम कर रहा है उसको वेतन वहीं से दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

पद सृजित हो जाने पर जो भी जिन-जिन स्थानों पर जहां-जहां कार्य करेंगे उनको वहीं से वेतन दिया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भनवापुर, जिला बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*13--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य केन्द्र, भनवापुर, जनपद बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध गबन, पद का दुरुपयोग तथा धोंखाधड़ी की शिकायत पर संयुक्त निदेशक, प्रशासन लखनऊ (डा0 श्रीवास्तव) दिनांक 24 जुलाई, 1980 को जांच करने बस्ती गये थे ? यदि हां, तो उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री लोकपति--

जी हां।

जांच करने पर पाया गया कि केन्द्र के चिकित्साधिकारियों के बार-बार अनुपस्थिति हो जाने तथा आपसी द्वेष तथा दलबन्दी में फंसे रहने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनवापुर का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० एस० सी० राय तथा डा0 एस0 एन0 श्रीवास्तव ने सी0 एच0 वी0 के चुनाव में अनियमितताएं की। इसके साथ ही वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी प्रकाश में आये। वित्तीय अनियमितताओं के मूल्यांकन के लिये सम्प्रेक्षा की कार्यवाही की संस्तुति भी की

गयी हैं । जांचोपरांत दोनों चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण करके उनकी तैनाती वर्वतीय क्षेत्र में कर दी गयी है ? सी0एच0वी0 के चुनाव में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मंडल अलग से जांच कर रहे हैं । उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमिततायें पायी गयीं ओर उनका पहाड़ पर ट्रान्सफर कर दिया गया है । ट्रान्सफर के आदेश दो बार जारी किये जा चुके हैं लेकिन वे अभी तक नहीं गये हैं और उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया है और जो कर्मचारी आदेशों को लेकर उनके पास गये उनको गाली गलोज भी दिया । तो मेरी जानकारी को सही मानकर क्या मन्त्री जी आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति--

वह चार्ज दे कर जा चुके हैं ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

श्रीमन्, अभी कल तक उन्होंने वहां जाकर चार्ज नहीं लिया है । यह मेरी जानकारी है । तो क्या मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर इसकी जांच करायेंगे और गलत सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उनको निलम्बित करने के लिये भी स्वास्थ्य सचिव को लिखा गया ह ?

श्री लोकपति--

जो अधिकारी आदेशों का पालन नहीं करेगा उसे निलम्बित ही नहीं बरखास्त कर दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री जशवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको पहाड़ पर ही जगह है ?

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न काल में व्यवस्था नहीं होती है, मान्यवर ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय जसवन्त सिंह ने एक प्रश्न उठाया कि क्या जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके लिए पहाड़ ही है, जहां पर वह जायेंगे मान्यवर, केवल पहाड़ ही है और जगह उनके लिए नहीं है । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, उन्होंने किसी प्रश्न के संबंध में प्रश्न नहीं किया, इसलिए उनकी अनुमति नहीं दी गई ।

प्रदेश की नगर पालिकाओं में कार्यकारी अधिकारियों की कथित अस्थायी नियुक्ति

*14--श्री सुरेन्द्र कपिल (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-12-79 को उत्तर प्रदेश शासन ने नगर पालिकाओं के लिए कार्यकारी अधिकारियों की (ई० ओ०) की नियुक्ति (अस्थाई) की थी जिनको सरकार द्वारा जून, 1980 तक रेगुलर करने का निर्देश हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

शासन द्वारा 1-12-79 को नगर पालिकाओं के लिए कार्यकारी अधिकारी (ई० ओ०) की अस्थाई नियुक्ति नहीं की गई । अतः जून, 1980 तक उन्हें रेगुलर करने का निर्देश देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

कानपुर जनपद के टी० बी० क्लीनिक और टी० बी० विशेषज्ञ

*15--डाक्टर मोहम्मद उमर (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में कितने टी० बी० क्लीनिक हैं ? और क्या प्रत्येक टी० बी० क्लीनिक में टी० बी० विशेषज्ञ नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जनपद कानपुर में तीन टी० बी० क्लीनिक हैं और प्रत्येक टी० बी० क्लीनिक में टी० बी० विशेषज्ञ नियुक्त हैं ।

*16--श्री नरेश चन्द्र--

[18वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला चिकित्सालय, बरेली में नर्स के साथ छेड़छाड़ की घटना

*17--श्री चेतराम गंगवार--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि जिला चिकित्सालय, बरेली में 17 जून, 1980 को प्रशिक्षणरत नर्स श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ वहां के कुछ डाक्टरों ने छेड़छाड़ तथा मारपीट की और जिसकी रिपोर्ट भी एक महिला कर्मचारी श्रीमती कलावती द्वारा कोतवाली में उसी दिन लिखायी गयी जिसमें चिकित्सकों पर मारपीट करने तथा महिला कर्मचारियों से उनकी घड़ी, अंगूठी तथा 60.00 (साठ रुपया) छीन लेने का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो सारी घटना क्या है ? सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, यह महिला वहां पर ट्रेनिंग में नर्स थी, उसका फाइनल इयर था, उसको कुछ डाक्टर जैसे डाक्टर चड्ढा, जिसमें डाक्टर गंगवार भी शामिल थें, ये लोग उसके साथ नाजायज तरीके का काम करना चाहते थे, उसको बुलाये वह नहीं आई, मान्यवर, उसको मारा पीटा भी, वह पांचवें दिन होश में आई और पांच दिन तक वह ड्यूटी नहीं गयी । मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तो क्या इसको स्थगित कर अगले बुधवार को इसका उत्तर दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

स्थगित हो जायेगा, तो अपने आप अगली बारे आ जायगा ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आप इसको दो तारीख के लिए रख दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

स्थगित होने पर 15वें दिन अवश्य आ जायेगा ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आप सक्षम हैं, आप इसको स्थगित कर सकते हैं ।

जनपद बदायूं की टाउन एरिया तथा नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते

*18--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं में टाउन एरिया/नगरपालिका के सभी वर्गों के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते खोले गये हैं ? यदि हां, तो किस वर्ष तक के लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जनपद बदायूं की समस्त नगर पालिकाओं में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते उनकी सेवाकाल तक की अवधि के लिए खोले गये हैं ।

जनपद की सोलह टाउन एरियाओं में से तेरह टाउन एरियाओं में सभी वर्गों के कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते खोले गए हैं ।

तीन टाउन एरियाओं गुन्नौर, बबराला तथा फजगंज में खाते नहीं खोले गये हैं । गुन्नौर तथा बबराला म भविष्य निधि के उपनियम अभी नहीं बने हैं और फैजगंज में अभी केवल बख्शी नियुक्त किया गया है ? आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जनवरी, 1980 से वेतन नहीं दिया गया है । वेतन देने पर भविष्य निधि की धनराशि जमा करायी जायेगी ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद --

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से मालूम करना चाहता हूं कि यह जो भविष्य निधि है, जो काटा जा रहा है, क्या यह अलग-अलग जमा किया जा रहा है और इनकी पास-बुकें उन तमाम कर्मचारियों को देकर उनमें अंकित कर दी गयी हैं या नहीं ? मुझे ज्ञात हुआ है कि खासकर नगरपालिका, बदायूं में यह धन नहीं जमा है और न ही ये पास-बुकें दी गयी हैं ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मेरी जो सूचना है, उसके अनुसार मैंने इन सब बातों की जानकारी दे दी और माननीय सदस्य न जो सूचना अब दी है, उसको सही मानकर आगे की जांच करा देंगे ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चूंकि यह सवाल तो बदायूं का है, अगर आप इजाजत दें तो पूंछ लूं कि समस्त नगरपालिकाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के खाते अभी तक खोले नही गये हैं, क्या उनकी जांच कराकर अब नियमानुसार खुलवा कर उन्हें उनकी पास-बुक देने की कृपा करेंगे और साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि समस्त प्रदेश के कर्मचारियों को, जिनको कि अभी तक पास-बुकें नहीं मिली, दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य प्रश्न तो बदायूं से सम्बन्धित है और आप प्रश्न पूरे प्रदेश का कर रहे हैं । वैसे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी आप इनके प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय सदस्य ने जिस ओर अपने सुझाव दिये हैं, इसकी तरफ मैं समझता हूं कि मैं पूरा करने के लिये पूरी कोशिश कर रहा हूं ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि जो विभिन्न टाऊन-एरियाज हैं, उनके प्राविडेंट फण्ड जमा करने के अलग-अलग नियम ह । तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा प्रयास करेंगे कि पूरे प्रदेश में प्राविडेंट फण्ड जमा करने के नियम एक हो जायें ?

श्री उपाध्यक्ष--

फिर आपने भी पूरे प्रदेश की बात उठायी, जबकि प्रश्न केवल बदायूं का है और उसी से सम्बन्धित प्रश्न होना चाहिए था । (शोर)

श्री सूबेदार सिंह--

यह मान्यवर, नियमों में सुधार की बात है और इससे पूरे प्रदेश का हित निहित है ।

कु0 शान्ति देवी, निवासी ग्राम नेवलगंज, जिला उन्नाव की डाक्टरी रिपोर्ट

*19--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जुलाई, 1980 में गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गयी डफरिन अस्पताल, लखनऊ में अविवाहित बलात्कृत कु0 शान्ती देवी, निवासी गांव नेवलगंज, थाना सनगंज, जनपद उन्नाव की जो डाक्टरी परीक्षा की गयी थी, उसकी रिपोर्ट क्या है ? और क्या उस मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार कु0 शान्ती देवी का कौमार्य सुरक्षित है ?

श्री लोकपति--

जुलाई, 1980 में कु0 शान्ती देवी, निवासी गांव नेवलगंज, जनपद उन्नाव, को गृह सचिव द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के माध्यम से वीमेन प्रोटेक्टिव होम लखनऊ भेजा गया जहां उसका डफरिन अस्पताल, लखनऊ में डाक्टरी परीक्षण कराया गया। उक्त डाक्टरी परीक्षण के अनुसार यह [निश्चित] निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसके साथ बलात्कार हुआ। प्रश्नगत डाक्टरी रिपोर्ट संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि कु0 शान्ती देवी के साथ संभोग किया जाता रहा है।

देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1142 पर।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वविवेकी हैं, ऐसा हमारी मान्यता है। मान्यवर, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं और शायद यह उन्होंने भी अनुभव किया होगा कि यह जो मेडिकल रिपोर्ट है, उससे यह स्पष्ट बात है कि बलात्कार हुआ है, लेकिन डाक्टर महोदया ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी रिपोर्ट को गढ़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी मां बाप अपने कुंवारी लड़की के लिये इस तरह का बयान नहीं देगा जिससे उसकी लड़की की शादी में बाधा पहुंचे। जो मेरा प्रश्न है उसका एक हिस्सा मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है जो उसके कौमार्य के सम्बन्ध में है जिसको माननीय मंत्री जी ने पढ़ने की इजाजत चाही थी और मैं भी सहमत था और जो मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है उसमें है कि कुमारी शान्ती देवी हरिजन को अनाथालय से कुमारी हेम लता गुप्ता लायी और उसका परिचय कराया। मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि यह कुमारी हेम लता गुप्ता जो एक्स मैजिस्ट्रेट बताई जाती है यह कौन है और किस रूप में उस लड़की को लाई ?

श्री लोकपति--

यह उन्नाव की इक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, उसमें एक्स लिखा है हिन्दी में, माननीय। मान्यवर, पूरा जवाब नहीं आया। मंत्री जी उन मजिस्ट्रेट महोदया को उस लड़की को लाने की क्या जरूरत थी जब वह लड़की लखनऊ अनाथालय में दाखिल थी ?

श्री लोकपति--

एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उस केस को लखनऊ भेजा था उस इक्जी-क्यूटिव मैजिस्ट्रेट] के साथ।

श्री मोती लाल देहलवी--

वह लड़की दाखिल थी यह उनके उत्तर में है उन्नाव से मैजिस्ट्रेट महोदया लखनऊ अनाथालय में क्यों आई और उस लड़की को क्यों ले गई ?

श्री लोकपति--

प्रोटेक्टिव होम में दाखिल कराने के लिए लेने गई थी लड़की के साथ उसकी माता आई थी ।

(प्रश्न संख्या 20 पुकारे जाने पर)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, दो थानेदार एक महिला के साथ बलात्कार करें मान्यवर, मैं इनकी रिपोर्ट से यह सिद्ध करूंगा कि यह रिपोर्ट गलत है आप मुझे प्रश्न करने दें यह मामला गम्भीर है ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

गम्भीर मामला इसलिए गम्भीर है कि हम लोगों के सामने होम सेक्रेटरी श्री घर ने जिलाधीश लखनऊ को बुलाया था और उस लड़की को सुपुर्द किया था। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उन्नाव से भूतपूर्व मैजिस्ट्रेट लाई थीं। इसमें विरोधाभास है ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

अगर कुमारी लड़कियों के साथ पुलिस वाले इस तरह से बलात्कार करने लगेंगे और हम लोगों का यह रवैया रहेगा तो कैसे काम चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

(शोर)

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं ।

एक सदस्य--

चर्चा करा दी जाये ।

(व्यवधान--लगातार शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप चर्चा मांगने की सूचना दे दीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब बिराजिये । आप सूचना दे दीजियेगा । विचार करेंगे ।

श्री मोतीलाल वेहलवी—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके बैठ रहा हूं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके आप बैठ जायें । प्रश्न करा दीजिये या कृपया चर्चा करा द ।

(व्यवधान)

मैं आपसे आग्रह करता हूं····

श्री उपाध्यक्ष—

अब आग्रह नहीं । मैंने आपसे कहा कि आप नोटिस दे देंगे । मैं विचार करूंगा । बिराजिये ।

मेरठ नगरपालिका का महापालिका में परिवर्तन

*20—श्री मन्जूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगरपालिका को नगर महापालिका बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां । शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने का प्रयास किया जा रहा है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खरीफ की फसल के लिये मूल्य समर्थन योजना

**1—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार इस खरीफ की फसल में धान व अन्य मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि को समर्थन मूल्य में सीध किसानों से खरीदने की योजना है या लेवी लगाकर क्या व्यापारियों से खरीदेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि यह खरीद कब से शुरू होगी और सरकार ने उपरोक्त धान आदि का समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया है ?

खाद्य राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)—

खरीफ वर्ष 1980-81 में खरीफ खाद्यान्नों की खरीद के सम्बन्ध में अभी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । यहां जो भी नीति बनायी जायेगी उस पर भारत सरकार की अनुमति भी प्राप्त करनी होगी । वैसे प्रदेश सरकार का यह निश्चित मत है कि यदि धान की फसल बहुत अच्छी होती है और धान के भाव सरकार द्वारा निर्धारित भाव से कम होने लगते हैं तो ऐसी अवस्था में किसानों को मूल्य समर्थन का पूरा लाभ दिया जाये । शासन की नीति इसी पृष्ठभूमि में बनायी जायेगी । यदि लेवी प्रणाली से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो शासन सीधे किसानों से धान खरीदने की व्यवस्था करेगी । मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर मोटे अनाजों की खरीद भी की जायगी ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय, मैंने पूरे प्रश्न में दो बातें जाननी चाही थीं माननीय मंत्री जी से। पहली बात यह थी कि वर्ष 1980-81 में क्या सरकार किसानों से खरीफ की फसल को सीधे खरीद करेगी या व्यापारियों के माध्यम से। दूसरा भाग था कि सरकार समर्थन मूल्य क्या देगी जब से खरीद शुरू करेगी ? दोनों प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी ने बिलकुल नहीं दिया। केवल सरकार की नीति बता दी और केन्द्रीय सरकार से इस बारे में अनुमति मांगी जायेगी। यह माननीय मंत्री जी का उत्तर है। तो, मैं जानना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर्स के भाव बढ़ गये हैं, अन्य चीजों के भाव, जिनको किसान इस्तेमाल करता ह बढ़ गये हैं, तो कीमतों को इस बढ़ोत्तरी को देखते हुये क्या उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार को सिफारिश समर्थन मूल्य के बारे में किया है ? यदि किया ह, तो कितने की किया है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को 140 रुपये की खरीद की सिफारिश किया है।

एक सदस्य--

मान्यवर, फिर उत्तर बिला दें, सुन नहीं पाये।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसे साकेत-4 हैं, वह उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बिल्कुल पकने वाला है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह समर्थन मूल्य कब से घोषित कर देंगे और कब से वसूलयाबी शुरू होगी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, समर्थन मूल्य भारत सरकार निर्धारित करती है। उसके लिये अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। अभी वैसे 95 रुपये रेट है।

श्री हुकम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जानकारी के अनुसार खरीफ की फसल कब बाजार में आना शुरू हो जायेगी ? क्या सरकार सक्षम है इस फसल को खरीदने के लिये ? सरकार के पास क्या कोई व्यवस्था है, इसके लिये ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, सरकार सक्षम है खरीदने के लिये। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं हुआ। लेकिन 95 रुपये जो रेट चल रहा है, इसलिये हमको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री बलवीर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इनके पास फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया है, तो भाव क्यों नहीं निर्धारित कर देते ? क्यों आप ऊपर की तरफ मुंह ताककर देख रहे हैं ? आपके पास गोदाम है, स्टाक है, तो क्यों नहीं खरीदते ? कब तक ऊपर देखते रहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

श्री बलवीर सिंह--

मान्यवर, भाव नियंत्रण का प्रश्न है । ये भाव तो निर्धारित कर सकते हैं ।

श्री ऊबल--

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 140 रुपये समर्थन मूल्य के लिये भारत सरकार को लिखा गया है, वह मोटे धान के लिये है या पतले धान के लिये है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

यह मोटे धान के लिये है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अरवा धान बोते हैं जो अब कट रहा है । वह बाजार में आ चुका ह । बकिया किसानों की स्थिति का फायदा उठाकर सस्ते से सस्ता ले रहा है । यह सरकार बैठी हुयी ह । तो, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सरकार जो अपने को किसानों का रक्षक कहती है, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं । जो धान बाजार म आ गया है जो बनिया अपने मनमाने दाम पर खरीद रहा है, तो इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जो 140 रुपये की संरक्षण-मूल्य की संस्तुति की है चूंकि दिल्ली से निर्देश नहीं आया है, क्या उसी रेट पर अपने विभाग को खरीदने के लिए आदेश देंगे ? बहुत स्पष्ट सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल का आखिरी हिस्सा दोहरा दें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

140 रुपये की संस्तुति केन्द्र को किया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान लूटे जा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को, धान जो बाजार में आ गया है, उसको 140 में अपने विभाग द्वारा खरीदने के लिए इजाजत देंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, मैंने यह बता दिया है कि जब तक केन्द्र तय नहीं करता संरक्षण मूल्य को तब तक उसे 95 रुपये का रेट जो अभी तक ह, उससे भाव ऊपर हैं, नीचे होंगे तो सरकार मैदान में आयेगी और खरीदेगी ।

श्री किरन पाल सिंह--

मैं पूछना चाहूंगा कि 140 रुपये फी क्विंटल जो समर्थन मूल्य रखा है उसका इनवेस्टमेन्ट और प्राफिट का अंकगणित क्या है ? जो सिफारिश की है उसका अंकगणित क्या है, कितना किसान फी एकड़ इनवेस्ट करता है, कितना

[श्री किरनपाल सिंह--]

फी क्विंटल मिल जायगा ? किसान को प्राफिट में रखने की नीति है या लास में ? सीधा सवाल है कि किसान फी क्विंटल क्या इनवेस्ट करता है। फी क्विंटल कितना फायदा या नुकसान रहेगा ? क्या इसका अंक गणित लगाया है ? यह साफ सवाल है।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, मैंने बताया कि 140 रु0 हमने रेकमेंड किया है। जो रेकमेंडेशन हुआ है यह कृषि विभाग के आधार पर किया है। यह अच्छा होगा कि कृषि विभाग से आप यह सवाल करें।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात को मुनासिब समझा कि धान की कीमत 140 रुपये प्रति क्विंटल रखी जाय इसकी सिफारिश उन्होंने भारत सरकार से की है। अगर भारत सरकार ने 140 रुपये से कम कीमत रखी तो बीच की जो धनराशि है, क्या उत्तर प्रदेश शासन सब्सिडाइज्ड प्राइस काश्तकार को देने के लिए वचनबद्ध है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार जो निर्धारित करेगी उसको मानना होगा और बाकी हम नहीं कर पायेंगे।

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत साफ है। जब उत्तर प्रदेश शासन का निश्चित मत है कि धान की कीमत 140 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। अगर भारत सरकार उससे कम कीमत देती है तो उत्तर प्रदेश शासन मारल ड्यूटी समझता है कि जो भारत सरकार कम कीमत दे रही है, वह मुआवजे के रूप में काश्तकार को दे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, यह मामला ऐसा है जो मंत्रि परिषद् में रखने वाला है। तो मंत्रि-परिषद् इस पर विचार करके ही निर्णय ले सकती है।

(शोर)

श्री किरन पाल सिंह--

काशीनाथ जी के कहने से मंत्री जी ने यह जवाब दिया है। इनका इस्तीफा दिलवाइये।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठिये।

एक सदस्य--

माननीय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(शोर)

श्री हुकम सिंह--

माननीय, एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पहले विराजें ।

एक प्रश्न में आपने इतना समय लिया है । दूसरा प्रश्न भी खाद्य विभाग का है उसको लेने दीजिये ।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर ।)

श्री हुकम सिंह--

केवल एक मिनट माननीय, सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें ।

श्री हुकम सिंह--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

जो लोग बिना इजाजत के बोल रहे हैं वह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

एक सदस्य--

[× × ×]

श्री धनीराम वर्मा--[× ×]

श्री राज मंगल पाण्डेय--

माननीय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह उत्तेजित न हों ।

श्री उपाध्यक्ष--

पाण्डेय जी मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल एक प्रश्न पर इतना समय हो गया है । दूसरा प्रश्न भी खाद्य विभाग का है, उसको होने दीजिये ।

श्री धनीराम वर्मा--

हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है ।

नोट :--**यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह उत्तेजित न हों, हमारे माननीय मन्त्री जी 12 और एक बजे के बीच उनका उत्तर कितना भी उत्तेजित करने वाला क्यों न हो, हम लोगों को सोचना चाहिये कि हमको उत्तेजित नहीं होना है। (हंसी) मान्यवर, शासन किसानों के हित की बात करता है। या तो वह साफ-साफ कह दें कि काश्तकारों से हमारा ताल्लुक नहीं है। इस शासन का निश्चित मत है कि 140 रुपये धान की कीमत होनी चाहिये। अगर वहां से कीमत नहीं बढ़ती है तो क्या 95 रुपये पर ही खरीदा जायेगा। क्या सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती है कि 95 रुपये पर ही धान को खरीदेगी या बीच की कीमत वह खुद देगी।

(संसदीय कार्य मन्त्री के खड़े होने पर।)

श्री कुबेर भंडारी--

माननीय मन्त्री जी मौजूद हैं, औचित्य का प्रश्न है, जब मन्त्री जी मौजूद हैं तो दूसरे मन्त्री कैसे खड़े हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कुबेर जी, आप बैठें।

खुले बाजार में चीनी की बिक्री

**2-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल में ही सरकार द्वारा खुले बाजार में चीनी बेचने संबंधी नीति की कोई घोषणा की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

जी हां। भारत सरकार ने देश में उत्पादित तथा आयातित चीनी को पूल कर के फ्री सेल चीनी को एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध कराने की योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत 1 सितम्बर, 1980 से उत्तर प्रदेश में खुले बाजार में चीनी बेचने की व्यवस्था की गई है।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जनपद के मलेरिया इन्सपेक्टरों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

1-श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद में इस समय कार्यरत मलेरिया इन्स्पेक्टर्स उस जनपद में कितने वर्षों से कार्यरत हैं और उनका स्थानान्तरण न करने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति--

1--बस्ती जनपद में इस समय निम्न तीन मलेरिया इन्सपेक्टर कार्यरत हैं :--

नाम		वर्ष जब से कार्यरत हैं
1--श्री सगीर अहमद	..	1973
2--श्री एजाज अहमद	..	1975
3--श्री एनुद्दीन सिद्दीकी	..	1976

नोट--अपसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

यह सम्वर्ग जनपद स्तर का है अतः इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण साधारणतया प्रशासनिक आधार पर अथवा उनके निजी अनुरोध पर ही किया जाता है ।

2--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय चिकित्सालय, रामपुर में सीनियर फिजीशियन की नियुक्ति एवं एक्स–रे मशीन की व्यवस्था

3—श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर राजकीय चिकित्सालय में सीनियर फिजीशियन काफी समय से नहीं ह ? यदि हां, तो क्यों ? इसकी कब तक व्यवस्था हो जायेगा ? क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर राजकीय चिकित्सालय में लगभग 50 वर्ष पुरानी एक्स–रे मशीन हैं और एक्स–रे अक्सर खराब रहती ह, जो एक्स–रे खींचा जाता हैं वह पढ़ने योग्य ही नहीं होता ? यदि हां, तो क्या सरकार नयी मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति—

जी हां । रामपुर राजकीय चिकित्सालय में सीनियर फिजीशियन की नियुक्ति जुलाई, 1979 से नहीं की गयी है क्योंकि विशेषज्ञों के सभी स्वीकृत पद भरे हुये हैं । उक्त पद पर तैनाती का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

जी हां । रामपुर राजकीय चिकित्सालय में एक्स–रे मशीन, जो वर्ष 1960 में क्रय की गयी थी, वर्ष 1978 से आंशिक रूप से खराब चल रही है जिसके फलस्वरूप एक्डामीनलन स्पाईन डाइग्नोस्टिक एक्जामिनेशन एक्स–रे पढ़ने योग्य नहीं होते हैं । नई मशीन उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है ।

प्रदेश के कतिपय पर्वतीय जिलों के अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव

4—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31–7–80 को 8 पर्वतीय जिलों के किन–किन राजकीय अस्पतालों में डाक्टर नहीं थे और उन स्थानों पर डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने के लिए क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री लोकपति—

†संलग्न सूची 'क' 'ख' में उल्लिखित पर्वतीय जिलों के राजकीय अस्पतालों में दिनांक 31–7–1980 को डाक्टर नहीं थे । उक्त रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास किया जा रहा है । यथाशीघ्र तैनाती कर दी जायेगी ।

†छापी नहीं गयी ।

लखनऊ मास्टर प्लान के अन्तर्गत जोनल डेवलपमेन्ट प्लान

5--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ मास्टर प्लान खण्ड 1 के पृष्ठ 365 पर यह प्रस्ताव किया गया है कि मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए नियन्त्रक प्राधिकारी नियत अधिकारी को निदेश देगा कि वह नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तथा अन्य विस्तृत ले-आउट प्लान ऐसी शर्तों पर बनवाये जो उक्त मास्टर प्लान के फ्रेमवर्क के अन्दर हों? यदि हां, तो क्या उक्त जोनल डेवलपमेन्ट प्लान व ले-आउट प्लान तैयार कराये गये हैं? यदि नहीं, तो उक्त मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

जी नही।

जोनल डेवलपमेन्ट प्लान बनाने के लिये वृहद् सर्वेक्षण प्लान जिसमें सभी भू-खण्डों एवं भवनों की स्थिति दर्शायी गई हो, की उपलब्धि आवश्यक है। इस मामले से सम्बन्धित विभिन्न विभागों से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास जारी है। जब तक जोनल डेवलपमेन्ट प्लान नहीं बनते हैं, तब तक महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग तथा जोनिंग रेगुलेशन के आधार पर नियन्त्रित भौतिक विकास किया जा रहा है।

शाहजहांपुर की तिलहर तहसील में राशन एवं चीनी की दूकानों पर छापे

6--श्री सत्यपाल सिंह यादव तथा श्री नाजिर अली--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में सरकारी राशन एवं फुटकर चीनी विक्रेताओं की कितनी संख्या है और 1 अप्रैल, 1980 से 1 अगस्त, 1980 तक इस तहसील की किन-किन दुकानों पर कितनी-कितनी बार जिला पूर्ति अधिकारी, परगनाधिकारी व तहसीलदार ने छापे मारे हैं? क्या यह छापे शासन द्वारा नियत की गई न्यूनतम मासिक छापों की संख्या को पूरा करते हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करेगा?

श्री अजीत सिंह सेठी--

प्रश्नगत तहसील में सरकारी राशन एवं फुटकर चीनी विक्रेताओं की कुल संख्या 71 है।

प्रश्नगत अवधि में परनाधिकारी तथा तहसीलदार, तिलहर द्वारा जिन दुकानों पर जितनी बार छापे मारे गये उसके सन्दर्भ में वितरण संलग्न है। जिला पूर्ति अधिकारी, तिलहर द्वारा उक्त अवधि में कोई छापा नहीं मारा गया।

वर्ष 1980 में चीनी पर नियंत्रण आदेश लागू किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा छापों की कोई न्यूनतम सीमा नहीं निर्धारित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1144 पर)।

सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया की सस्ते गल्ले की दुकानें एवं अनुसूचित जाति के दूकानदार

7--श्री हरिवंश सहाय--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर में 31 जुलाई, 1980 तक सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें थीं तथा उनमें अनुसूचित जातियों के नाम से कितनी दुकानें हैं ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में 31 जुलाई, 1980 तक 421 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें थी, जिनमें से 21 दुकानें अनुसूचित जातियों के नाम से हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, जिला बलिया के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

8--श्री हरिवंश सहाय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, जिला बलिया के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सरकारी स्टोर के पांच गद्दे दिनांक 14-2-80 को निकलवा लिए गए तथा उसके खुझे से निजी सोफासेट बनवाया गया जिसकी पुष्टि मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया ने दिनांक 22-2-80 को किये हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, जिला बलिया के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० आर० बी० चौबे स्टाक से पांच गद्दों के निकलवाने के लिए दोषी हैं । उनसे गद्दों की कीमत सरकारी खजाने में जमा कराने के बारे में आवश्यक कार्यवाही स्वास्थ्य सेवा निदेशक के स्तर पर की जा रही है ।

वारामंडल, क्षेत्र अल्मोड़ा के ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालय

9--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वारा मंडल, क्षेत्र अल्मोड़ा में ग्रामीण अंचल में कितने चिकित्सालय है ? कितने में चिकित्सक हैं, कितनों में नहीं हैं ? कितने वर्षों से नहीं हैं ? कब तक चिकित्सकों की व्यवस्था शासन कर देगी ? भवनों की क्या स्थिति है ?

श्री लोकपति--

वारा मंडल, क्षेत्र अल्मोड़ा के ग्रामीण अंचल में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 20 एलोपैथिक चिकित्सालय हैं । इनमें से पांचों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 12 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टर तैनात हैं । केवल 8 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में दिनांक 1/75, 2/78, 12/79, 2/80, 3/80, 5/80, तथा 8/80 से डाक्टर नहीं है । रिक्त स्थानों पर डाक्टरों की तैनाती शीघ्र ही कर दी जायेगी ।

उपरोक्त 25 चिकित्सालयों के लिए 4 सरकारी भवन, एक निःशुल्क भवन तथा 20 किराये के भवन उपलब्ध है ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की प्रयोज्य एवं निष्प्रयोज्य गाड़ियां एवं रख-रखाव पर व्यय

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित कुल कितनी गाड़ियां बेकार पड़ी हैं ? इनको अविलम्ब नीलाम न किये जाने के क्या कारण हैं ।

श्री लोकपति—

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित 315 वाहनें सम्प्रति निष्क्रिय हैं । प्रश्नगत वाहनों को नीलाम करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारियों से उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित कराने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है । 42 वाहनों के सम्बन्ध में उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त हुये हैं और उन 42 वाहनों के नीलाम के लिये आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं । शेष 273 वाहनों में से 175 को निष्प्रयोज्य घोषित कराने के लिये अपेक्षित सूचनायें प्राप्त हो गई हैं एवं परीक्षणाधीन हैं तथा 98 वाहनों के सम्बन्ध में उक्त सूचनायें जनपदों से आनी शेष हैं ।

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत 5 वर्षों में स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा कितनी गाड़ियां खरीदी गयीं, इसमें से कितनी गाड़ियां इस समय चालू हैं और इन पर अब तक मरम्मत आदि में कितना अतिरिक्त व्यय हो चुका है ? तथा जो गाड़ियां निष्क्रिय (चालू नहीं) पड़ी हैं उनसे कितने औसत कि0 मी0 की दूरी तय की गई और निष्क्रिय गाड़ियों के ड्राइवर किन कामों के साथ सम्बन्द्ध किये गये ?

श्री लोकपति—

गत 5 वर्षों (1975-76 से 1979-80) में प्रश्नगत कार्यालय द्वारा 111 वाहनों के क्रय हेतु आदेश प्रसारित किये गये जिनके समक्ष 100 वाहनें क्रय की जा चुकी हैं और 11 वाहनों की आपूर्ति निकट भविष्य में सम्भाव्य है । प्रश्नगत प्राप्त समस्त वाहनें क्रियाशील हैं और उन पर कोई बड़ी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, केवल सफाई तथा छोटी-छोटी मरम्मतें वाहन उपभोक्ता अधिकारी द्वारा की जाती रही हैं। कोई वाहन निष्क्रिय नहीं रही, अतः ड्राइवरों को अन्यत्र सम्बद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

गोरखपुर नगर को जलापूर्ति, जलनिकासी, सफाई की योजनाएं

12—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर नगर में जलपूर्ति योजना, जल निकासी योजना और सफाई योजना को लागू करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इस पर अलग-अलग कितना धन खर्च करने का विचार है ? और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त कार्य हेतु कोई योजना शीघ्र बनायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

गोरखपुर नगर में जलापूर्ति तथा जल निकासी योजनायें जल निगम द्वारा तथा सफाई योजना नगरपालिका गोरखपुर द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

जल सम्पूर्ति योजना तथा जल निकासी योजना की लागत क्रमशः 36,88,000 रु0 व 46,60,000 रु0 है । सफाई योजना पर नगरपालिका द्वारा प्रतिवर्ष 45,00,000 रु0 व्यय किये जाते है ।

जल सम्पूर्ति मार्च, 1980 तथा जल निकासी योजना मई, 1981 तक जल निगम द्वारा पूरा किये जाने का लक्ष्य है ।

नगरपालिका संडीला, जिला हरदोई की नजूल की भूमि का आवंटन

13--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका, संडीला में गत 5 वर्षों में कितनी नजूल की जमीन किन-किन व्यक्तियों को कितने समय के लिये किन-किन शर्तों पर आवंटित की गई है ? तथा कौन-कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लीज पर दी गई भूमि की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

हरदोई जनपद की नगरपालिका संडीला में गत 5 वर्षों में नजूल की भूमि किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं की गई है । नगरपालिका के अन्तर्गत कुल 21 व्यक्तियों के पट्टों की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है, जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1145 पर ।

कुमायूं मण्डल के जिला मुख्यालय नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में जलाने वाली लकड़ी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12.20 अपराह्न]

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम नियम 301 की सूचनायें लेते हैं । आज नियम 301 में कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से पहली सूचना श्री चारू चन्द्र ओझा की है ।

*श्री चारु चन्द्र ओझा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में जनपद पिथौरागढ़ के मुख्यालय में जलाने की लकड़ी को लेकर व्याप्त असन्तोष व लोगों की कठिनाई को लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं कुमायू मंडल के जिला मुख्यालय नैनीताल व अल्मोड़ा में लकड़ी का भाव करीब 15 रु0 प्रति कुन्तल है । जबकि घने जंगलों वाले जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चारू चन्द्र ओझा—]

पिथौरागढ़ के मुख्यालय में 25 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। इस पर भी पिथौरागढ़ जनपद के मुख्यालय में जलाने की लकड़ी कभी नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जलाने की लकड़ी के अलावा अन्य कोई ईंधन खाना बनाने के लिए नहीं है। लकड़ी न मिलने के कारण कई परिवारों के कई दिनों तक चूल्हे ईंधन के अभाव में बन्द रहते हैं, जिससे वहां के नागरिकों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में दिनांक 6 सितम्बर, 1980 को श्री गन्जेन्द्र सिंह थापा की मृत्यु पर दाह संस्कार के लिय पर्याप्त मात्रा में लकड़ी जलाने की प्राप्त नहीं हुई, जिससे लोगों में घोर असन्तोष है। श्री इकबाल बख्श निवासी पिथौरागढ़ व अन्य नागरिक उपरोक्त घटना को लेकर व खाना बनाने की लकड़ी प्राप्त न होने के कारण धरना व अनशन दिनांक 21 सितम्बर, 1980 से कर रहे हैं। नागरिक गम्भीर कठिनाई से गुजर रहे हैं, जिससे असन्तोष व्याप्त है।

अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से मांग करता हूं कि जनपद पिथौरागढ़ में लकड़ी की शीघ्र व्यवस्था की जाय। ताकि लोग खाना बनान के लिए अपने चूल्हे जला सकें तथा कुमायूं मंडल के जनपद अल्मोड़ा व नैनीताल की भांति जनपद पिथौरागढ़ के लिए भी जलाने की लकड़ी के भाव निश्चित किये जायं ताकि लोगों में व्याप्त असंतोष व कठिनाई दूर हो सके।

लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के कतिपय मुहल्लों में जल भराव के संबन्ध में नियम 301 से अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, आलमबाग में कई मुहल्लों आदर्शनगर, छोटाबरहा, अर्जुननगर, भिलावां आदि के सैकड़ों घरों में पिछले 7 दिनों से 3–4 फिट पानी भरा है, जिसकी वजह से हजारों परिवार बेघर हो गये हैं तथा सैकड़ों मकानों के गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया है। किसी भी समय कोई भीषण दुर्घटना हो सकती है।

पानी निकासी की आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और न भविष्य में होने की संभावना है। इस कार्य में जितनी ही देरी होगी जनता की मुसीबत बढ़ती ही जायेगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर यहां की समस्याओं को अविलम्ब समाधान किया जाय।

जनपद सीतापुर के सकरन ब्लाक के कतिपय ग्रामों में जलभराव तथा सहायता न मिलने से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, जिला सीतापुर की तहसील बिसवां के सकरन ब्लाक का जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है 20–9–80 और 21–9–80 को मैंने दौरा किया और वहां के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र की जनता की जो घोर उपेक्षा व इंसानियत से गिरा कार्य देखा वो बेमिसाल है। पूरे जिले के 19 ब्लाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ व जल भराव का असर इस सकरन ब्लाक में है। एक करोड़

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ऊपर रुपये इस जिले में गये हैं मगर यहां 21-9-80 तक ब्लाक हेड क्वार्टर यानी सकरन तथा प्यारेपुर, काजीपुर, धनपुरिया, दुमाना उगरा आदि में एक नया पैसा नही बटा था। इसका मैंने सकरन से वहां फोन की सुविधा न होने के कारण सकरन थाने से एस० डी० एम०, बिसवां को वायरलेस द्वारा सूचित भी कर दिया था।

वहां का दृश्य और वहां की हालत का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। कई बार एस० डी० एम० (बिसवां) से कहा, कुछ रोज पहले वहां के हजारों व्यक्ति जलूस की शक्ल में ए० डी० एम० (सीतापुर) से मिले उनके आश्वासन देने के बाद भी कुछ न हो सका क्योंकि वहां के खराब रास्तों पर शायद अधिकारीगण न चल सकने की स्थिति में थे और इस कारण वहां दो मौतें भुखमरी से हो गयी। हजारों घर गिरे पड़े हैं, भूख से व्यक्ति मर रहे हैं और अधिकारी कागज पर युद्ध स्तर से बाढ़ का मुकाबला करते हैं, धन्य है वे। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करें ताकि अगलों को नसीहत मिले और इन्सान को चाहे वह गरीब या अमीर इन्सान समझें तथा वहां बाढ़ सहायता फौरन बहुत तेजी से कराई जाये।

बिसवां नगर में जल पिछले 20 दिन से भरा हुआ है। वहां के लोग जल निकालने में नाकामयाब हो चुके हैं अतः वहां के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक्सपर्ट टीम भेज कर वहां भरा जल शीघ्र निकलवाने की व्यवस्था करें।

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में चीनी वितरण में गोलमाल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, जिला मुरादाबाद की तहसील बिलारी में सस्ते गल्ले की दुकान के जरिये से जो चीनी का वितरण लगभग 1000 बोरी हर माह होता है उसमें बड़े पैमाने पर गोलमाल किया जाता है इस गोलमाल मे तहसील के आर० के० व एस० डी० एम० हिस्सेदार हैं। एक-एक गांव में पांच पांच व छः छः दुकानें आस पास के क्षेत्र को केन्द्रित कर दी गई हैं। हर माह लगभग 50 हजार रुपये का लेन देन रजिस्ट्रार कानूनगो के माध्यम से होता है।

चीनी वितरण न किए जाने की शिकायतों पर पूर्ति निरीक्षक व नायब तहसीलदार की रिपोर्टों को एस० डी० एम० महोदय आर० के० के पास भेज देते हैं और उसके पश्चात आर० के० उन जांच रिपोर्टों पर जो चाहते हैं मनमाने आदेश करा देते हैं। इस भ्रष्टाचार के कारण तहसील बिलारी की जनता को चीनी न मिल कर सब ब्लैक हो जाती है जिसकी वजह से तहसील बिलारी की जनता को चीनी बड़े ऊंचे दामों पर खरीदनी पड़ती है जिसका भाव लगभग 10 रुपये किलो है। इस कारण जनता में घोर असंतोष व रोष एवं अविश्वास फैल गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलंबनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत इस माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ में बंगला बाजार के निकट लगी महराजा बिजली पासी की प्रतिमा तोड़े जानें के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, लखनऊ जनपद में बंगला बाजार के निकट महाराजा बिजली पासी के किले पर लगी उन की प्रतिमा कुछ अराजकतत्वों द्वारा पूर्ण रूप से तोड़ कर नष्ट कर दी गई है । यह किला पासी जाति के गौरव तथा 913 सदी के पूर्व अवध के पासी राजाओं एवं महराजा बिजली पासी की गौरव गाथा का मार्मिक रहस्य अपन ध्वन्सावशेषो के मध्य छिपाए हुए अपने अतीत की याद दिला रहा है । किले के ध्वन्सावशेष अपने एतिहासिकता की वीर गाथा लिए पुरातत्व विभाग की ओर निहार रहा है क्योंकि पुरातत्व विभाग इसके बाद के खंडहरों एवं टीलों को अपने संरक्षण में लिए हुए हैं ।

किले पर 1973 .र पासी जागृति मन्डल के तत्वाधान में मूर्ति की स्थापना की गई थी जिसका अनावरण तत्कालीन लखनऊ के नगर प्रमुख माननीय दाऊ जी गुप्त के कर कमलों द्वारा किया गया था और जहां कई वर्षों से पासी जाति की सभाओं एवं मेला आदि को आयोजन होता रहा है ।

दिनांक 21-9-80 को पुनः पासी जागृत मन्डल के तत्वाधान में सभा की गई जिसमें भी शासन से मूर्ति लगवाने एवं किले को पुरांतत्व विभाग में लेने की मांग की गई है ।

मान्यवर, मूर्ति को नष्ट कर दिऐ जाने के कारण पासी जाति को अत्यन्त धक्का लगा है । मथापांसी जाति के इतिहास को मिटाने की इस कृत्य के कारण भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है ।

अतः मैं आप के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त किले पर शीघ्र महाराजा बिजली पासी की मूर्ति फिर से लगाये तथा किले का पुरातत्व विभाग को सौपकर उसकी सुरक्षा एव्रं संरक्षण प्रदाने करे तथा यह भी मांग करता हूं कि इसकी जाँच सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा करवा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय ।

औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री उपाध्यक्ष--

आइटम नं0 4, श्री भगवती सिंह विशारद ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं नियम 301 पर एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । औचित्य का प्रश्न इस प्रकार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने सूचना नहीं दी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सूबेदार सिंह—

उसमें सूचना की आवश्यकता नहीं है....।

श्री उपाध्यक्ष—

बिना सूचना के कैसे उठायेंगे....।

श्री सूबेदार सिंह—

आप नियम 300 देखें। मैं सूचना दे रहा हूं। आज्ञा दे दें....।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसे तत्काल सूचना पर आज्ञा नहीं दी जाती।

श्री सूबेदार सिंह—

आप देखें। मैं नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्न उठा रहा हूं। आपको सूचना देता हूं। देख लें उसे तो आज्ञा दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम 300 पढ़ें।

श्री सूबेदार सिंह—

औचित्य के प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, नियचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उनमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न पहले से अध्यक्ष के संज्ञान में हो उसको आप उठायें।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं ऐसे ही प्रश्न को उठाना चाहता हूं जो आपके संज्ञान में है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कैसे कह सकते हैं कि वह मेरे संज्ञान में है।

श्री सूबेदार सिंह—

वह आपके संज्ञान में है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप उसकी सूचना देंगे तभी मैं आपको इजाजत दूंगा। पहले वह मेरे संज्ञान में लाया जाना चाहिय।

श्री सूबेदार सिंह—

हम प्रश्न रखेंगे तो आप खुद समझ जायेंगे कि आपके संज्ञान में है। आप के संज्ञान में न हो तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आप सुना देंगे तो वह मेरे संज्ञान में हो ही जायगा। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

द्वितीय उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की पेंशन स्वीकार कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, मैं सदस्य विधान सभा सन् 1957 से 1962 तक की द्वितीय उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की पेंशन स्वीकार कराने के सम्बन्ध में श्री बृज नारायण तिवारी, ग्राम बेलगा बुजुर्ग, पोस्ट महुवा कारखाना, तहसील पडरौना, जिला देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

लखनऊ कलेक्ट्रेट तथा फौजदारी अदालतों के वकीलों तथा सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों में संघर्ष के कारण हुई हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

प्राप्त सूचना के अनुसार विशेष जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लखनऊ श्री करमजीत सिंह के न्यायालय में धारा 376 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत एक मुकदमा श्रीमती उर्मिला बनाम श्री राजा बख्श सिंह विचाराधीन है। श्री राजा बख्श सिंह, परगनाधिकारी, लखनऊ के पेशकार हैं तथा श्रीमती उर्मिला उनके पुत्र श्री आदित्य कुमार की पत्नी हैं। श्री अभय कुमार सक्सेना, एडवोकेट श्रीमती उर्मिला के वकील हैं। श्री राजा बख्श सिंह, दिनांक 16-9-1980 को श्री अभय कुमार सक्सेना, एडवोकेट के तख्त पर एक कथित डकैत श्री रूपा सिंह को लेकर गये, जहां पर श्रीमती उर्मिला व उनकी मां बैठी हुई थीं। श्री राजा बख्श सिंह ने उन्हें गालियां दीं व जान से मार देने की धमकी दी और कहा कि यदि यह मुकदमा खतम नहीं किया जाता है तो उसके परिणाम बुरे होंगे। इसी बीच वहां पर अन्य व्यक्ति जिनमें श्री प्रकाश नारायण अवस्थी, एडवोकेट--अध्यक्ष, लखनऊ बार एसोसियेशन तथा लगभग 50 अन्य एडवोकेट भी थे, आ गये। उनके आने पर रूपा सिंह भाग गया और अपरान्ह तीन बजे उपरोक्त एडवोकेट आदि श्री राजाबख्श सिंह को पकड़ कर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के न्यायालय में उपस्थित हुये।

श्री राजा बख्श सिंह के अनुसार उन्हें न्यायालय से घसीट कर श्री प्रकाश नारायण अवस्थी व अभय कुमार सक्सेना तथा अन्य वकीलों द्वारा बाहर लाया गया और गालियां दी गई तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के न्यायालय तक लाने के बीच उन्हें थप्पड़ व घूसों से मारा भी गया। श्री राजा बख्श सिंह द्वारा कोतवाली कैसरबाग में रिपोर्ट लिखाई गई इसी घटना के मुकदमें में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती उर्मिला द्वारा भी श्री राजा बख्श सिंह आदि के विरुद्ध लिखाई गई।

उपरोक्त घटना को लेकर अपराह्न 5 बजे श्री प्रकाश नारायण अवस्थी, अध्यक्ष, बार एसोसियेशन की अध्यक्षता में कचहरी प्रांगण में ही बैठक की गई और उसमें भाषण हुये व नारे आदि लगाये गये। उसी समय कचहरी के कर्मचारीगण ने भी कचहरी के मुख्य द्वार पर इकठ्ठा होकर भाषण

दिये व नारे लगाये । स्थिति तनावपूर्ण थी । सायंकाल 6 बजे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने वकीलगण से बात करनी चाही किन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया ।

इस घटना के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि जिलाधिकारी से अपराह्न 4 बजे मिले थे और शिकायत की थी कि श्री प्रकाश नारायण अवस्थी, एडवोकेट, बार एसोसियेशन व श्री अभय कुमार सक्सेना, एडवोकेट, आदि ने श्री राजा बख्श सिंह पेशकार को न्यायालय में काम करते हुये परगना मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय से खींच कर लाये और मारते हुये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के न्यायालय तक ले गये तथा यदि इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाई नहीं की जाती है तो कर्मचारी लोग पूर्ण हड़ताल करेंगे । कर्मचारीगण अत्यन्त उत्तेजित थे और उन्हें काफी समझाने-बुझाने के बाद भी उन्होंने 17-9-1980 को पूर्ण हड़ताल कर दी । इसके पश्चात् सम्बन्धित पक्षों से वार्तायें होती रहीं तथा उनसे की गई अपील के परिणाम स्वरूप लखनऊ कलेक्ट्रेट व जिलापूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल 22-9-80 को समाप्त कर दी ।

दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अनुपूरक प्रश्नों पर शोधन वक्तव्य

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री अजीत सिंह सेठी)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को सर्वश्री मोतीलाल देहलवी, मोहन सिंह तथा मुख्तार अनीस, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह माननीय सदस्य, विधान सभा ने अपने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्हीं की सूचना के अनुसार एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है और दूसरे के खिलाफ 87/88 की कार्यवाही कर दी है । मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल, 1980 का मामला है । तो क्या अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिये 87-88 की कार्यवाही हम लोगों का प्रश्न प्राप्त होने के पहले की गयी, या बाद में की गई ?"

2--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "प्रश्न होने के बाद की गई ।"

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है :--

> "इस मामले में दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 87/88 नहीं, बल्कि धारा 82/83 की कार्यवाही प्रश्न होने के पूर्व ही कराई गयी थी ।"

4--श्री मित्रसेन माननीय सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अभियुक्त है क्या उनके पास तेल और डीजल का लाइसेन्स है ? तो क्या उनका लाइसेन्स रद्द किया गया है या नहीं ।"

5--उस समय उत्तर दिया गया था कि "कर दिया गया है ।"

[श्री अजीत सिंह सेठी--]

6--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है :--

"अभियुक्त का मिट्टी के तेल का लाइसेन्स उस समय रद्द नहीं किया गया था, वरन् बाद में शासन द्वारा उसका मिट्टी का तेल का लाइसेन्स निलम्बित करने के आदेश तुरन्त जारी कर दिये गये हैं ।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1146 पर ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 3 सूचनायें प्राप्त हुई । एक सूचना श्री हरिवंश सहाय की है जिसमें देवरिया जनपद में बाढ़ एवं वर्षा के उपरान्त फैले गैस्ट्रो बीमारी से व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में है, को मैंने शासन को वक्तव्य देने का निर्देश दिया है । कामरोको में वह स्वीकार नहीं किया गया है ।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा अन्य सदस्यों की है कि लखनऊ में जाली परमिट बनवाने के गिरोह के पकड़े जाने के सम्बन्ध में ह । इसको अस्वीकार किया गया ह ।

तीसरी सूचना भी जो श्री राम गोविन्द आदि ने दी है कि बलिया शहर में 15/16 सितम्बर, 80 को छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है, स्वीकार नहीं किया गया है ।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 69--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 102--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 103--सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

[समय 12·38 अपराह्न]

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,26,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में

अनुदान संख्या 69—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,15,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 102—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,03,07,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 103—सिंचाई विभाग (बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,51,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, यह हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । हमारी आबादी के 86 के परसेंट लोग ऐसे हैं जो खेती पर निर्भर रहते हैं और हमारी इकोनामी का आधार कृषि है । इसलिए जब तक हम खेती के लिए सिंचाई का प्रबन्ध नहीं करते तब तक हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते । मान्यवर, आज गरीबी मिटाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने खेतों में पानी पहुंचायें । जो सूखे हैं उन पर पैदावार नहीं के बराबर है । जो 174 लाख हेक्टेयर जमीन है उसमें से केवल 86·9 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा प्रदान कर पाये हैं । लगभग 50 परसेन्ट सिंचाई सुविधा प्रदान कर पाये हैं और 50 परसेन्ट क्षेत्र सूखा पड़ा है और उसमें पैदावार बहुत कम है । जहां हम सिंचाई की सुविधा कर लिये हैं वहां 40, 50 मन एक एकड़ में लेते हैं और जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है उसमें पैदावार 15 और 10 मन होती है और कभी-कभी बारिश नहीं होती है तो पैदावार नहीं भी होती है । गरीबों को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें काफी रुपया खर्च करना पड़ेगा । यह खुशी की बात है कि मौजूदा शासन ने जो इस वर्ष योजना बनाई है उसमें काफी धन दिया है और 1980-81 में 173 करोड़ 50 लाख रु0 वृहत् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं में खर्च करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की सुविधा का इंतजाम कर सकें जिसके लिए तमाम योजनायें बनाई जा रही हैं । हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सिंचाई की सुविधा लोगों को प्रदान की जाय ।

हमारे प्रदेश में सिंचाई की सुविधाओं का बहुत स्कोप है । बहुत सी नदियां पहाड़ों से काफी पानी लेकर आती हैं । इसके अलावा हमारे जमीन के भूगर्भ में इतना पानी है कि हम काफी सुविधा दे सकते हैं । इस समय जो सुविधा मिल रही है वह कम लोगों को मिल रही है । यह उत्तर प्रदेश का बहुत सौभाग्य है

[श्री बीर बहादुर सिंह--]

कि हमारी नदियां हिमालय पहाड़ से निकलती हैं और आकर मैदानी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा देती हैं । मुख्य-मुख्य योजना इस प्रकार हैं--

रामगंगा परियोजना--ऊपरी तथा निचली गंगा नहर तथा आगरा नहरों में पानी बढ़ा कर 5.91 लाख हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता प्रदान की गयी है । साथ ही साथ इस योजना के द्वारा 198 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की गयी है ।

टेहरी बांध परियोजना--यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इसमें बहुत समय लगेगा इससे 14.16 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी और एक हजार मेगावाट बिजली प्रथम चरण में और दो हजार मेगावाड बिजली द्वितीय चरण में पैदा होगी जिससे हमारी बिजली और सिंचाई की काफी आवश्यकता की पूर्ति हो जायेगी ।

ताजे वाला बेराज में जहां हमें जमुना नहर से पानी नहीं मिलता है उसके लिये हमने अभी हरयाणा से वार्त्ता की है । इस प्रकार का प्रबन्ध किया है कि हमें और हरयाणा को भी पानी मिलता रहे । इस बात पर दोनों में सहमति हो गयी है और आशा है कि जल्दी से जल्दी इसमें हम कारगर हो पायेंगे । ओखला बैराज को भी ठीक कर रहे हैं, जिससे आगरा नहर में पानी की कमी दूर की जा सके । 25.38 करोड़ का बैराज वर्तमान वियर के नीचे बनाया जा रहा है । इसको ही हम बढ़ा रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र को काफी पानी मिल सके और पानी की कमी दूर हो सके । इसी प्रकार की हमारी लखवाड़ व्यासी बांध योजना है, जिसमें पूर्वी जमुना नहर प्रणाली में जलपूर्ति की जायेगी और 425 मेगावाट बिजली पैदा की जायेगी और इसकी लागत 228 करोड़ रुपये से अधिक है । एक कोटलीभेल बांध योजना है, जिसके द्वारा ऋषिकेश से 10 किलोमीटर ऊपर गंगा नदी पर बांध बनाया जायेगा । इसके द्वारा 8.2 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और 1440 मेगावाट बिजली पैदा होगी । इसका सर्वे का काम हो रहा है । यमुना जल विद्युत् परियोजना के प्रथम चरण में डाक पत्थर में एक बैराज बनाया गया है तथा डाकरानी में 33.51 करोड़ की लागत से डालीपुर में 51 मेगावाट इससे बिजली प्राप्त होती है । इसके अलावा दूसरे चरण में 240 मेगावाट बिजली पैदा हुई । इसमें छिबरी की योजना है जो 240 मेगावाट की परियोजना है, उसके द्वितीय चरण की योजना का निर्माण चल रहा है । यमुना परियोजना का जो तृतीय चरण है, उसमें किशाऊबांध के अन्तर्गत जमुना की सहायक टोंस नदी पर एक बांध बनेगा । इसकी लागत करीब 460 करोड़ रुपये आयेगी और 2.71 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई होगी तथा 600 मेगावाट बिजली इसमें पैदा होगी । हमारी खारा जल विद्युत् नाम की एक परियोजना है । इसमें करीब 81 मेगावाट बिजली पैदा की जायेगी । फिर मनेरी भाली विद्युत् परियोजना है, इसके प्रथम चरण को उत्तर काशी में बनाया जा रहा है और इसमें 90 मेगा-वाट बिजली पैदा होगी तथा इसकी लागत करीब 70 करोड़ रुपये आयेगी । इसके दूसरे चरण में यानी मनेरी भाली (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत भागीरथी नदी पर, उत्तरकाशी में बैराज बनाकर पानी की सुरंग द्वारा कटासू नदी में डाला जायेगा । इसके द्वारा 156 मेगावाट बिजली पैदा की जायेगी, साथ ही दूसरे काम होंगे । ऋषिकेश हरिद्वार जल विद्युत् परियोजना में गंगा नदी पर बैराज का निर्माण किया गया है जिससे 144 मेगावाट बिजली पैदा होगी और इसका कार्य अब अन्तिम चरण में है । यहीं की एक और पाला मनेरी-भाली जल विद्युत् परियोजना है, इसमें उत्तरकाशी जिले के ग्राम पाला के निकट एक कंकरीट

के बांध का बनाया जाना प्रस्तावित है । इससे 142 मेगावाट बिजली पैदा होगी । इसका भी सर्वे हो रहा ह । एक विष्णूप्रयाग विद्युत् परियोजना है । इसमें अलखनन्दा नदी पर बांध बनेगा और 262 मेगावाट बिजली पदा होगी । एक उत्यासू बांध बनना है । इसके अन्तर्गत अलखनन्दा नदी पर रुद्रप्रयाग के 6 किलोमीटर नीचे एक बांध बनेगा । इससे 26.24 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि की सिचाई होगी । उसमें 900 मेगावाट बिजली पैदा होगी, इसकी लागत साढ़े चार सौ करोड़ रुपया है ।

इसी प्रकार से अन्य तमाम हमारी योजनायें हैं, जो अभी विचाराधीन हैं । जैसे पिथौरागढ़ में धौलीगंगा, व गौरीगंगा जल विद्युत् परियोजनायें हैं । हमारे पहाड़ नेपाल देश के पास पड़ते हैं, उनसे भी सम्पर्क करना पड़ता है । इसके पास की गंगा नदी, शारदा नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी पर भी हम लोग बांध का इंतजाम कर रहे हैं । जब तक हम इन पर रिजरवायर आदि बनाकर इन्तजाम नहीं करेंगे तब तक हम वहां पूरा पानी नहीं दे सकते हैं । पंचेश्वर तथा पूरनागिरी बांध, शारदा नदी पर बनने हैं, और भी कई वहां बांध बनने हैं । यदि यह सब बांध बन जाते हैं, तो जो भयंकर बाढ़ हमारे प्रदेश को भीषण क्षति पहुंचाती है, वह काफी हद तक दूर हो जायेगी और साथ ही हमें सिचाई हेतु पर्याप्त पानी और बिजली प्राप्त हो जायेगी । इसके लिए हमें प्रयास करना ह । नेपाल सरकार से भी इसके बारे में 19/20 अगस्त को बात हुई है और आगे भी हो रही है कि कैसे इस क्षेत्र के बांध बनाये जायें, जिससे हमारे प्रदेश की परेशानी दूर हो सके और उन्हे भी कोई आपत्ति न हो ।

माननीय, इसी प्रकार गंडक परियोजना है, इसके द्वारा गोरखपुर व देवरिया जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है, ताकि जिला गोरखपुर के महराजगंज तथा सदर तहसील और देवरिया जनपद के उत्तरी भाग में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो सके । इसी प्रकार शारदा सहायक योजना से हमारे पूर्वी अंचल के 14 जिलो को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जायेंगी । उस योजना में और कुछ भी सुधार किया जा रहा है । इसको बढ़ाकर अधिकाधिक सुविधायें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि 19 जिलों में पानी की सुविधा हो सके। इसी प्रकार हमारा तराई का एरिया है जिसमें गोंडा, बस्ती और गोरखपुर के कुछ हिस्से हैं, वहां पर सरयू परियोजना चलाई जा रही है जिससे वहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो सके। हमारी जो तराई बेल्ट है उसमें भूमि बड़ी ही उपजाऊ है और अगर हम वहां पर पानी दे देंगे तो काफी पैदावार होगी । इस पर काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि इस परियोजना पर काम शीघ्र समाप्त किया जाय ।

जहां तक बुन्देलखंड के सूखे क्षेत्र का प्रश्न है और गंगा नदी के दक्षिण में जिला इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा वाराणसी का जो भाग आता है जहां पर सूखे का बड़ा ही प्रकोप होता है, वहां पर भी योजना चल रही है ताकि हम सूखे के प्रकोप से निपटने के लिए तैयारी कर सकें । हमारी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जैसे राजघाट बांध, उर्मिल बांध, कनहर सिंचाई परियोजना, अड़वा बांध, चिल्लीमल पम्प नहर, औगासी पम्प नहर, नरायनपुर पम्प नहर सोन पम्प

[श्री बीर बहादुर सिंह—]

नहर, जमुना पम्प नहर, शाहजाद बांध, मेजा बांध । इस तरह से तमाम ऐसे बांध बनाय जा रहे हैं और रिजरवायर बनाये जा रहे हैं ताकि बरसात के पानी को हम इकट्ठा कर सकें और सिंचाई की सुविधा दे सकें । जहां पर हम नलकूप नहीं लगा सकते हैं, वहां पर भी छोटे-छोटे बांध बनाकर प्रयास कर रहे हैं ताकि कुछ सुविधायें हम दे सकें । इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ।

जहां तक पहाड़ी क्षेत्र का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि जहां पर कृषि योग्य भूमि है, वहां पर हम फूट बेल्ट बना सकते हैं, उसके लिए पानी की आवश्यकता है । इसके लिए हम छोटी-छोटी स्कीम्स बना रहे हैं ताकि वहां पर भी पानी की व्यवस्था की जाय ।

बुन्देलखंड में जहां पर मौदहा बांध, उर्मिल बांध, मिर्चवारा बांध, सजनम बांध, पैसुनी व्यवर्तन योजना, अर्जुन सहायक परियोजना आदि तमाम स्कीम्स बनायी गयी हैं और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लिफ्ट इरीगेशन द्वारा अगर कुछ सुविधायें दी जा सकती हैं तो वहां पर भी हमें कुछ करने की आवश्यकता है ।

दूसरे सिंचाई के लिए नलकूप और जहां पर नदियों से पानी मिल सकता है, वहां पर लिफ्ट इरीगेशन पानी देने की व्यवस्था की जा रही है । और जहां पर नहरों से और लिफ्ट इरीगेशन से पानी देने का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है, वहां पर हम नलकूप लगाकर पानी देने की व्यवस्था करा रहे हैं । इस साल वर्ल्ड बैंक से 500 ट्यूबवेल्स लगाने की स्वीकृति मिली है । इनका अपना एक अलग तरीका होगा । इनमें जो नालियां बनायी जायेंगी, वे नीचे पाइप लाइन होंगी जिनसे खेतों तक पानी पहुंचाया जायगा । इस समय जो पानी नालियों द्वारा खेतों में जाता है, उसमें सीपेज हो जाता है और पानी बेकार जाता है । उस बरबादी को रोकने के लिए ही यह किया जा रहा है ताकि एक-एक पानी की बूंद खेतों में पहुंच सके । इस वर्ष हम इस स्कीम के अन्तर्गत 328 कुयें लगाने जा रहे हैं और अगले वर्ष कुल मिलाकर 500 तक कर दिए जायेंगे ।

स्माल फार्मर्स के लिए भी 1320 नलकूप लगाये जायेंगे ताकि उन किसानों को जिनकी हालत अच्छी नहीं है, उनको पानी मिल सके और इन ट्यूबवेलों से जो पानी देने की व्यवस्था की जायेगी, वह आधे दाम पर होगी । साथ ही साथ हमारे जो नलकूप हैं, लगते हैं राजकीय क्षेत्र में वे 1420 ऐसे नलकूप लग रहे हैं जिनसे उन क्षेत्रों में पानी दिया जायेगा जहां पर हम अभी तक पानी देने की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं ।

एक समस्या हमारे सामने यह है कि हमारे जो कमान्ड एरिया हैं जैसे गन्डक कमांड एरिया, राम गंगा और शारदा सहायक कमान्ड एरिया जहां हमारी नहरें बन गयी हैं उनसे पानी बहुत ऊंचा होता जा रहा है । वहां पर भी हम ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं ताकि पानी खेतों में टेल एन्ड तक पहुंच सके और उन खेतों को पानी मिल सके । उनका रेट भी जो होगा वह नहर के रेट के बराबर ही होगा । इससे सघन खेती हो सकेगी और नयी वेराइटी का पैदावार भी होगी और उस क्षेत्र को डेवलप किया जा सकेगा ।

मान्यवर, इसके साथ ही हमारी और भी बहुत सी स्कीम्स हैं जिनके द्वारा हम सिंचाई की सुविधायें किसानों को देना चाहते हैं । हम इस पर गम्भीरता के साथ विचार कर रहे हैं कि हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे अधिक से अधिक

सुविधायें हम किसानों तक पहुंचा सकें, एक-एक पैसे का सदुपयोग कर सकें, अधिक से अधिक मितव्ययिता कर सकें। इसके लिये हम विभाग को रीआर्गनाइज भी कर रहे हैं।

बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुलझाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं किसान कभी सूखे से और कभी बाढ़ से प्रभावित होता है, सूखे के लिये तो अभी से हमारी स्कीम बनायी जा रही है। बाढ़ से निपटने के लिये भी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और इसके लिये क्रमवाइज योजनायें पूरी की जायेंगी और एक समय ऐसा आयेगा जब सारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। हम भारत सरकार से अधिक पैसे के लिये भी प्रयास करेंगे ताकि हमारी समस्यायें हल हो सकें।

विभाग में भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती हैं। उसे दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है और उसके लिये नियमों आदि में कुछ परिवर्तन भी किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को भी सुख सुविधायें प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा। हमारा प्रयास होगा कि विभाग अच्छी तरह से काम करे, गरीबी मिटाने का जो हमारा नारा है वह पूरा हो और उसी के लिये हम बराबर प्रयास करते रहेंगे।

[समय 1 बजे अपराह्न]

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-69, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-102 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 103, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने विभाग से सम्बन्धित बातों को विस्तार के साथ सदन में रखा और उन पर रोशनी डाली। इसमें दो राय नहीं है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हसेन--]

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और कृषि सिंचाई पर ही निर्भर करता है । जैसे-जैसे सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उत्पादन बढ़ेगा और प्रदेश का तरक्की होगी । और इसलिए श्रीमन् अगर आप ध्यान करें 1979-80 में यह बजट केवल 47 करोड़ का था जो इस समय 47 करोड़ से बढ़ कर 193 करोड़ का लगभग यह बजट हो गया और अब इसके अलावा साथ ही साथ इतना लम्बा-चौड़ा हिसाब बढ़ गया । अब तो आपके जैसे हाथ लग गया सोने का हुंडा, सेन्ट्रल गवनमेंट के अन्तर्गत बहुत रुपया आपको मिलने वाला है और आप उसको भी चलाने वाले हैं । लेकिन खेद की बात यह है कि इन सारी जितनी आपकी स्कीम चलाई जायं, लगभग 100 योजनाएं जो आपकी हैं, ट्यूबवेल्स के अलावा, छोटी-बड़ी लगभग 100 योजनाएं आपकी चल रही हैं,

(इस समय 1 बज कर 2 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री धर्म सिंह पीठासीन हुए ।)

ट्यूबवेल्स और उनसे सम्बन्धित अलग रहें । लेकिन जब हम इस चीज पर नजर डालते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का परफारमेंस क्या रहा है, अगर इसकी तरफ ध्यान दें, तो यह 78-79 की डायरी है, इसके पेज 109 के ऊपर बहुत स्पष्ट तौर से आपके इरीगेशन डिपार्टमेंट का सारा डिटेल्स लिखी हुई है । इस पर अगर गौर करेंगे, 72-73 में जो सिंचित एरिया थी वह 7,289 हजार हेक्टेयर जो अब बढ़कर 77-78 में हो गयी 8,493 हजार हेक्टेयर । अब जरा हम इस पर डालते हैं नजर, जो आपके 73-74 में 12564 ट्यूबवेल्स थे, इस समय 79-80 में 18590 हो गये और उसी तरीके से आपकी ये चेनेल्स वगैरह बहुत काफी हद तक बढ़ गयीं । लेकिन उसी के मुताबिक अगर इसको आप देखें कि आप की परफारमेंस टोटल कितनी हुई है, 111 सफे के ऊपर इस तरह से लिखा है, आपका पोटेंशियल जो था, 73-74 में 1 लाख 987 थाउजेंड हेक्टेयर, यूटिलाइजेशन 9,507 थाउजेंड हेक्टेयर हुआ । मेरा कहने का मतलब यह है कि उसी में 1,390 हेक्टेयर आपके पोटेंशियल से कम रह गया । यूटिलाइजेशन अब उसी से 77-78 में जब आप लेंगे, तो जो दोनों का फर्क था, वह 2 हजार 153 हेक्टेयर हो गया यानि इतना जो यूटिलाइजेशन 2,153 हो गया, 77-78 में । 78-79 में अन्तर हो गया 2,194 । 1979-80 में 2,333 हेक्टेयर हो गया । 78-79 में 3 209 थाउजेंड, यूटिलाइजेशन 163 हजार था इसमें आप घटकर पहुंच गये 2 लाख हेक्टेयर के लगभग । लगातार पोटेंशियल बढ़ती चली जा रही है । इसलिए बढ़ रही है कि आपका इफिसियंस जो है दिन प्रति दिन घटती चली जा रही है । इसका कारण यह है कि जिस तरीके से आपका इस्टेबिलशमेंट जो है, तो आपके विभाग में जो इस वक्त छोटी तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी है, वह 170 रुपये तक का है और आपके जो चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनकी तनख्वाह ढाई हजार तक की है । यानी 1.10 और 1.15 का अन्तर है तनख्वाहों में तो देखें छोटा कर्मचारी और छोटा होता जा रहा है, और उनकी तादाद भी घटती जा रही है दूसरी तरफ आप देखें जो बड़े-बड़े अफसरान हैं, उनकी तनख्वाहें भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और उनकी तादाद भी बढ़ रही है । लेकिन जो कर्मचारी हैं, छोटे हैं, उनकी तादाद का कोई ध्यान नहीं । प्रदेश में 18 हजार ट्यूबवेल हैं और उनके आपरेटर्स की संख्या को देखिए 6 हजार 116 तो परमानेंट आपरेटर हैं और लगभग 5,816 टेम्परेरी हैं । इस तरह से एक कर्मचारी आपके दो-दो और तीन-तीन कुओं पर लगा हुआ है । एक तरफ तो छोटे कर्मचारियों पर इतना स्टाफ बर्डेन डाला जा रहा है और दूसरी तरफ आपके जो चीफ इंजीनियर्स और इंजीनियर्स हैं, इनकी फौज बढ़ती जा रही है । इसके अलावा 21-22 एडीशनल

चीफ इंजीनियर सिविल में हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी इसी तरह बहुत तादाद में हैं। तो इस तरह जो आपने इन इंजीनियर्स की तादाद सबसे ज्यादा बगैर किसी परसेंटेज के बढ़ा रखी है, उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। अगर परसेंटेज आफ इरीगेशन कर्मचारियों और अधिकारियों में एक जो रेशियो होता है उसके हिसाब से आप करें, तो कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जो इन्जीनियर्स स्टैबलिशमेंट में होना चाहिए वह नहीं होता। अगर आप अपने स्टैब्लिशमेंट पर ध्यान देंगे तो इफिशियेंसी बढ़ेगी। एक तरफ तो आपकी यह इफीसियन्सी की बात हो गयी और दूसरी तरफ आपका जो बजट है, वह भी पहले पांच गुना होता चला गया और इफिशियेंसी उसी रेसियो से घटती जा रही है और एक्सपेंडीचर सन् 73-74 से लेकर अब तक काफी बढ़ गया और उसका आउट-पुट 3 गुना ही रह गया। तो खर्चा 5 गुना और आउट-पुट 3 गुना। तो यह दो गुना आऊट-पुट किधर गया। इसकी तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा और आपकी जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, राम गंगा योजना, शारदा सहायक योजना इनमें भी बड़ी गड़बड़ियां और घोटाला है और सन् 78-79 का रेत का घोटाला आपको याद ही होगा। अगर माननीय मंत्री जी इन सब पर आप स्ट्रिक्टली ध्यान दें सख्ती के साथ तो शायद कुछ सुधरे। हर जगह आपके यहां रुपये पैसों में गड़बड़-घोटाला जरूर है। इसको स्ट्रिक्टली देखने की जरूरत है।

मान्यवर, अब मैं राम गंगा परियोजना और शारदा सहायक योजना के बारे में बताऊंगा। शारदा सहायक ओरिजनली कुल 99 करोड़ रु० की लागत की थी और उसमें यह भी कहा गया था कि सन् 1982 तक कम्पलीट हो जायेगी। लेकिन मान्यवर, अब वह 99 की लागत बढ़कर 350 करोड़ रु० हो गयी और डयुरेशन सन् 1986 तक हो गया पूरा करने का। तो इन सब को क्या आखिर वजूहात हैं। राम गंगा परियोजना 1961 में ओरिजनली चालू आउट हुयी थी रु० 66 करोड़ में और सन् 69 में 167.15 करोड़ रु० में पहुंच गयी। इसके अलावा ऐसे बहुत से खर्चे हैं, जिनका एप्रूवल भी नहीं है। और इसके यहां 300 करोड़ रु० की जो मशीनरी खरीदी गयी थी, उसका एप्रूवल भी कहीं नहीं दिखाया गया है। और जिस परपज के लिये मशीनरी खरीदी गई वह काम पूरा हो चुका था। आडिटर जनरल की रिपोर्ट है। आप इसको देखें इसके पेज 74 पर स्पष्ट किया गया है यह खर्चा किया गया 3.38 करोड़ की मशीनरी काम कम होने के बाद खरीदी गई और आज तक वह बिना इस्तेमाल के पड़ी हुई है। तो इन दो परियोजनाओं के बारे में मैं खास तौर से कह रहा था। मैं 4-5 बातें आपके सामने रखूंगा। गिरजापुर जंगलात में 5 हजार पेड़ अधिकारी और ठेकेदार मिलकर कटवा दिये और जब उसका विधान सभा में सवाल उठा, सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर उसकी इंक्वायरी करने गये और आखिर में यह कह दिया गया कि शैलाब आया था इसके कारण वह पेड़ बह गये। एक माल कोयले का भी चल है। मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी जवाब दें तो इन 4-5 चीजों का विशेष रूप से जवाब दें। मान्यवर, 74-75 का मामला है एक लाख ईंट के लिये 30 टन कोयला मिलता था, कहा यह गया कि चूंकि कोयला खराब था इसलिये ढाई टन

[श्री रियासत हुसेन--]

और दिया गया । मान्यवर, आपके विभाग के अफसरान अच्छे कोयले को बनारस में बेच लिये और खराब कोयले से विलो स्टैन्डर्ड ईट बनी जिसकी वजह से 15 लाख का गोलमाल हुआ, लगातार यह मामला चला आ रहा है । 74-75 का काण्ड है ।

मान्यवर, एक स्टील का मामला है । शारदा सहायक में 112 किलोमीटर बना, राजेन्द्र सिंह जो जब मंत्री जी थे उन्होंने जबाब दिया था विधान सभा के अन्दर की मामले की विस्तृत जांच शारदा सहायक चीफ इंजीनियर, लखनऊ द्वारा की गयी इसके अनुसार सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, उत्तरदायी पाये गये हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । यह विधान सभा में जबाब दिया था लेकिन क्या कार्यवाही की गई कुछ मालूम नहीं । जहां तक मुझे मालूम है 5-6 अधिकारियों को सस्पेंड करने को उन्होंने कहा था किन्तु आदेशों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ । मान्यवर, आप इस विभाग के घोटाले को सुनकर ताज्जुब करेंगे । मैं माननीय सदन को बता रहा हूं क्योंकि सदन काफी नया हो गया है । मान्यवर, एक फतेहपुर में धानपुरा पम्प कैनाल लगाई गई 12 लाख रुपये में 72-73 में 12 लाख इस पर खर्च किया गया और आबपासी हुई 8 एकड़ की, 73-74 में 109 लाख रुपया खर्च हुआ और आबपासी हुई 20 एकड़, 74-75 में 20 एकड़ और 75 में तो इस योजना को पूर्णरूप से बन्द कर दिया गया । इस मामले में आप क्या कर रहे है यह भी मुझे मालूम होना चाहिये । कल मान्यवर, एसम्बेली के अन्दर एक प्रश्न आया था महुला गढ़वाल बांध के सम्बन्ध में जिसमें 29 लाख रुपये खर्च किया गया उसके रिपेयर में किन्तु क्या रिपेयर हुआ इसका कुछ पता नहीं । उससे साफजाहिर होता था कि 29 लाख रुपये का बहुत बड़े पैमाने पर घुटाला किया गया है । आपके विभाग में एडीशनल चीफ इंजीनियर है पी० एल० बजाज के बारे में मैंने कहा था और यह जबाब मिला था कि इंक्वायरी हो रही है । उनके बारे में मंत्री जो बताये को अब तक क्या कार्यवाही हुई । आपके विभाग में ड्राफ्ट स्कीम है । लेकिन जो ड्राफ्ट स्कीम है जिस तरीके से आप चला रहे हैं । उसमें कोई शक शुबहा तो नहीं है । चेतराम जी कह रहे थे उसमें कुछ हुआ ही नहीं तो मैं जानना चाहता हूं क्या उसमें वाकई कोई काम हो रहा है । आप कहते हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश से बात करनी है लेकिन सदन को मालूम होना चाहिए कि जो दूसरे सूबे हैं, केन्द्र से बात करते हैं, उसमें आप किस पोजीशन में हैं, पहली मीटिंग हुई, दूसरी हुई, क्या हुआ । 50 लाख के केसेज इस समय कोर्ट में हैं, इनका आप पर डिग्री होती जा रही है और आप सप्लीमेन्ट्री में रुपया मांग लेते हैं । तो आखिर उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनका वजह से सरकार को रुपया देना पड़ता है, उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये । इसका नतीजा है कि इसका तादाद बढ़ती जाती है और जो मान्यवर, डील होती है उसमें परसेन्टेज तय होगा, वह मिल गया तो और कोई जरूरत नहीं । 25 करोड़ की हैवी मशीनें जो इम्पोर्टेड हैं और उनके 65 लाख के स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, यह आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं । लम्बी दिखायी जा चुकी है इसलिए 2-4 बातें और कहूंगा । रेत वाले घोटाले को जब कल आप जबाब दें तो स्टील, कोयला, गिरिपुर के जंगलात और रामगंगा में 38.4 करोड़ की जो मशीनें खरीदी हैं उनको भी जबाब दें । ट्यूबवेल्स की बात है । एक-एक डिवीजन में 5-5 सौ कुए हैं । आपके पास न सीमेन्ट है न लोहा बल्कि जो इरीगेशन और पावर एक मंत्री के अण्डर में था अब मंत्री-मंत्री भी अलग हो गये और बोर्ड भी अलग हो गया । बर्ल्ड बैंक

को जो रुपया लिया है, क्या आपको विश्वास है, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन उसे वापस कर सकेंगे। एक भी बिजली का तार नहीं पहुंचा, बोरिंग नहीं हुई न सीमेन्ट है, न ईंटा ह, न बिजली है, उसका इन्टरेस्ट तो जुड़ता रहेगा, तो ऐसा विश्वास है कि जो यह स्कीम है, बेकार हो जायेगी। जब कुओं का बोर हो उस समय बिजली की व्यवस्था भी हो जानी चाहिए जो छोटे लेबिल पर ट्यूबवेल हैं, मेरा आरोप है कि ट्यूबवेल आपरेटर तनख्वाह तो पाता है लेकिन उसका आठ आना एक रुपया, फी बीघा उसका तय है कि जिससे रुपये मिल जायेंगे उसके खेत में पानी चला जायेगा यह आम शिकायत है आप विचार कीजिये। अगर ट्यूबवेल आपरेटर को तनख्वाह न मिले और वह जितने गांवों को इरीगेट कर दे और जितने एकड़ जमीन इरीगेट कर दे। उसी के अनुसार उसकी तनख्वाह मुकर्रर कर दें कमीशन बेसिस पर। 100 एकड़ होगा तो इतनी तनख्वाह मिलेगी, 200 एकड़ होगा तो इतनी। तो मुझे यकीन है कि जो हो रहा है वह नहीं होगा। इरीगेट एरिया बढ़ेगा। इस पर विचार करें वर्ना गावों की हालत सुधरने वाली नहीं है। कहीं टूट गया तो कहीं कुछ है, ट्यूबवेल का आपरेटर समझता है कि तनख्वाह तो मिलेगी ही। जैसा मैंने बताया पोटेन्शियलिटी और यूटीलाइजेशन में फर्क बढ़ता ही चला जा रहा है। कम करने का प्रयत्न कीजिये यही बात कह कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का भयंकर विरोध करता हूं। मान्यवर, यह सत्य है और मुझे विवश हो कर यह बात कहनी पड़ रही है कि कम से कम कटौती का प्रस्ताव जो हमारे माननीय सदस्य ने रखा है, उनके मुह से यह बात शोभा नहीं दे रही थी। मैं अपने विचार से कल्पना कर रहा था कि माननीय सदस्य समाजवादी विचारधारा पर विश्वास करते है लिहाजा कटौती के प्रस्ताव उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए था। कुछ बैठे हुए माननीय सदस्य, बाबू मोहन सिंह जी ने पेश किया होता तो मैं मान लेता कि सामन्तवादी विचार धारा के लोग हैं, इस लिए इस बजट का विरोध कर रहे हैं।

भारत कृषि प्रधान देश है और यहां की व्यवस्था के संचालन के लिये हमें विवश हो कर यह सोचना होगा कि हम इस देश को इस प्रदेश का किस तरह का शासन व्यवस्था दें जिससे पूरा इरीगेशन सुचारू रूप से चल सके।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह सही है कि आजादी मिलने के बाद हमारी हुकूमत ने नहरों का जाल पूरे प्रदेश में भारत के कोने-कोने में बिछा दिया है। हमारे माननीय सदस्यों को यह पुस्तक मिली होगी उसके आधार पर विश होंगे सोचने के लिए कि इरीगेशन विभाग के नाते पैदावार एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, कई गुना बढ़ गया है। इसका उदाहरण हमारे समने प्रस्तुत है। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि वह हमारी अच्छाइयों की तरफ भी ध्यान दें। जिन कामों को हमने किया है, इरीगेशन में जितना डेवलप्मेन्ट हुआ है, उसपर गौर फरमाना चाहिए। मान्यवर यह सही है कि नहरों का जाल हमने बिछा दिया है लेकिन मैं आपके

[डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र--]

माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे देवरिया जनपद के उत्तराखण्ड में स्थित पड़रौना में नहरों का जाल तो बिछ गया है । लेकिन नहरों के जाल से जहां एक और फायदा हुआ वहीं आज नुकसान के कगार पर भी पहुंच रहे हैं । उन नहरों के कारण वहां पानी का लेविल इतना ऊपर आ गया है कि हमको जो फसल मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है बल्कि नुकसान हो रहा है । इस लिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस पानी को लेविल को नीचा करने के लिये आपको ट्यूबवेल देना पड़ेगा अगर आप वहां के लिये ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वहां की जमीन बरबाद हो जायेगी । मान्यवर, दूसरे हमारे यहां जो यह सिस्टम शुरू हुआ था कि बाहर की नहरें जो उत्तर प्रदेश को जोड़ती थीं, उस व्यवस्था को रोक दिया । उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । दूसरी बात यह है कि घाघरा, राप्ती, बड़ी गन्डक और छोटी गन्डक, इनमें लिफ्ट सिंचाई योजना निश्चित रूप से चलायी जाय ।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यह कार्य कम 2/3 महीने के अन्दर करा सकते हैं । मान्यवर, यह फ्लड का जमाना है जो सदा से होता रहा है । लेकिन नहरों के कारण तथा बिहार से जुड़ा होने के कारण पडरौना, छितौनी और खड्डा को बहुत नुकसान हो रहा है । मन्त्री जी ने उसको देखा है । मान्यवर, पिपरासी बांध के टूटने से हमारे यहां पच्चासों गांव जलमग्न हो गये । अरतहवां, चिरइहवा, माघ कठेलवा, सिरखिया । ये तमाम गांव जलमग्न हो गये और पडरौना तक पानी आने लगा । मान्यवर, रोहुवा ताल में ड्रेनेज ठीक न होने के कारण सेमरा, रोवगी, वगपरना और मोतीपुर वटरलागिंग के कारण तवाह हो गये हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करनी चाहूंगा कि वहां ड्रेनेज और पुलिया की व्यवस्था होनी चाहिये । दूसरे फ्लड के कारण सारकेपार, डोमरभार नादह औरधर्मपुर ये पूरे के पूरे गांव डूब गये हैं । ऐसी स्थिति में मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरी पूरी कान्सटीचुएन्सी फ्लड में अफेक्टेड हो गये हैं । जो बची थी वह वाटरलागिंग से बरबाद हो गयी है । इस लिये वहां ड्रेनेज की व्यवस्था की जाय । ताकि पानी की निकासी हो सके । नहरों के कारण पानी का लेविल जो ऊंचा हो गया है, उसके लिये ट्यूबवेल लगाये जायं ।

अन्त में मान्यवर, मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि नहरों की व्यवस्था एरीगेशन विभाग में हुयी । लेकिन इसके साथ साथ मान्यवर, कहना चाहूंगा कि कम से कम देवरिया जनपद में 100 ट्यूबवेल देने की कृपा करें जिनमें से 50 पडरौना क्षेत्र को दें क्योंकि वहां नहरों का जो जाल बिछा हुआ है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पानी का लेविल ऊंचा होने के कारण पूरी जमीन बेकार हो जायेगी और सारी फसलें नष्ट हो जायेंगी ।

चूंकि लाल बत्ती हो गयी है । जब बोलने का समय आता है, तो लाल बत्ती हो जाती है । इसलिए ज्यादा न कह कर अन्त में मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करता हूं ।

श्री पन्ने लाल--

मान्यवर, आपने जो मुझे इस सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये हम आपके आभारी हैं ।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करते हुये कटौती के बजट की घोर निन्दा करता हूं। माननीय मन्त्री जी, आपका यह सिंचाई विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यह कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे देश और प्रदेश की 85% जनता कृषि पर निर्भर है। इनमें से 50% भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं जो केवल कृषि पर आश्रित हैं। कृषि के लिए पहली जरूरी चीज खाद होती है। उसके बाद पानी की जरूरत पड़ती है। माननीय मन्त्री जी भी जानते हैं कि हमारे देश में 15/20 साल पहले आदमी को भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता था और भोजन की समस्या थी। बाजरा, मक्का तथा खड़ा गेहूं बाहर से आता था जिसको देश के लोग खाते थे। लेकिन सिंचाई को प्राथमिकता दी गयी और आज हालत यह है कि देश की पैदावार बढ़ गयी है लेकिन उसके साथ ही देश की जनसंख्या भी काफी बढ़ी है। उसके बावजूद भी हम आत्म निर्भर हैं खाद्यान्नों के मामले में इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, सबसे पहले प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दें। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र मुंडेरा बाजर में इस समय न कहीं ट्यूबवेल है न कहीं नहर है। हमारे 112 गांव बाढ़ से घिरे रहते हैं। बाकी जो गांव इस साल गंडक नहर के टूट जाने से बांगर के भी गांव डूब गए हैं। इस क्षेत्र की फसल बरबाद हो गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्यूबवेल बनाने की कृपा करें। साथ ही इटवा, बोहा बांध अभी अधूरा है। उस पर काम मन्द गति से चल रहा है जिसके कारण 25 गांव डूब गये हैं। अगर वह पूरा हो गया होता तो 25 गांव नहीं डूबते। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में जितने भी बांध हैं जल्दी से जल्दी उनको पूरा करवा करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाय। साथ ही मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में रिंग बांध, छितहरी मरकच्छा जो डूब जाता है, रिंग बांध बना कर उस गांव को बचाया जाय। राप्ती नदी, गुर्रा नदी, झंझने नाला से सटा, मजगवां, जोगिया डुमरी, नेवादा, बेलकुंड, जैरामकोल, गजपुर, कोठा, पहरिया रकहट इत्यादि, गांव बहुत तेजी से कट रहे हैं। उन गांवों को ठोकर लगाकर, उनकी सुरक्षा करें। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी के बजट का स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की घोर निन्दा करता हूं।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मैं नहीं जानता कि इस समय जो माननीय मंत्री जी हैं वह हमारी बात पर तवज्जह दे पायेंगे या नहीं दे पायेंगे। शायद उनका ध्यान और कहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है उसका पालन करते हुए अपनी बात कहूंगा अवश्य। पहली मुलाकात जब मेरी मंत्री जी से हुई वह उस दिन हुई जब माननीय मंत्री जी परिवहन विभाग का बजट पेश कर रहे थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

मंत्री जी आपकी तरफ मुखातिब हैं ।

श्री शंकर सिंह--

नजरों से हैं, जरा दिल से भी रहें । माननीय मंत्री जी ने जिस परिवहन विभाग का बजट पेश किया था उस दिन आप सड़क पर थे । आज आप सिंचाई का बजट पेश कर रहे हैं । आज आप जल बिहार कर रहे हैं । अंग्रेजी में एक शब्द पढ़ा है, ऐम्फ़िबियस, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं यह सुना था उसके बारे में । लेकिन आज जिस प्रकार पानी में और सड़क पर दोनों जगह अपने स्थान बनाये हुए हैं समान रूप से उससे यह साफ हो जाता है कि उस शब्द का क्या नक्शा रहा होगा । इतना ही क्यों कहूं ? अभी बहुत दिन नहीं हुए प्रदेश में नयी बाढ़ आयी और इस बाढ़ में कितने गांव बहे या कितना नुकसान हुआ इसका ब्योरा तो मैं आगे दूंगा । इस बाढ़ का आपने हवाई सर्वेक्षण भी किया होगा । इस लिहाज से आपने पानी में हवा में सड़क में हर क्षेत्र में महारथ हासिल की है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

यह पद्य में बोल रहे हैं या गद्य में ।

श्री शंकर सिंह--

आप समझ लीजिये । मान्यवर, भले ही मंत्री जी ने पानी में गोता लगाया हो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता जो कृषि पर और कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उन पर निर्भर करती है । तो कम से कम उसको तो पानी में गोते न लगाना पड़े, ऐसा काम न होने पाये । मान्यवर, आप जानते हैं कि सिंचाई विभाग कितना बड़ा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बजट की । क्या एक मंत्री के अधीन सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग, बाढ़ विभाग, और सिंचाई विभाग में भी ट्यूबवेल विभाग, बाढ़ विभाग भी शामिल हैं, क्या एक मंत्री के अधीन इतने विभाग रह सकते हैं । मैं समझता हूं, माननीय मंत्री जी की काबिलयत पर जरा भी शक नहीं है । लेकिन यह चाहे जितने योग्य हों, यह जो सब विभाग हैं इनको लिये रहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह इस विभाग के साथ अन्याय करते हैं, प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करते हैं । मान्यवर, मैं बाढ़ के संबंध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, प्रदेश को कितनी क्षति हुयी है । मान्यवर, 1978 में जब बाढ़ आयी थी तो 56 जिलों में से 55 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये थे और 300 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था । अबकी बार जो बाढ़ आयी है उसमें 56 जिलों में 48 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये हैं । 33 हजार गांव ध्वस्त हो गये हैं, 10 लाख मकानों का पता नहीं है, 70 लाख हेक्टेयर फसल चौपट हो गयी । 4 हजार पशु मर गये हैं और 12 सौ आदमियों की जानें गयीं हैं और 240 लाख व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुये हैं ।

एक सदस्य--

श्रीमन्, यह बाढ़ की समीक्षा कर रहे हैं या सिंचाई विभाग पर बोल रहे हैं । सिंचाई विभाग पर प्रकाश डालें ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं इस बजट पर ही बोल रहा हूं। माननीय सदस्य सुनें। मान्यवर, 4 सौ करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। मंत्री जी ने जो छठी प्लान रखा है उ में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था बाढ़ के संबंध में की गयी है। मान्यवर, इस वर्ष जो इन्होंने खर्च करने के लिये रखा है उसमें 22 5 करोड़ रुपये का प्राविधान है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप छठे प्लान में 218 करोड़ रुपया बाढ़ पर खर्च करेंगे। इस वर्ष साढ़े बाइस करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि 6 महीने तो आपने बजट पास करवाने में निकाल दिये हैं जब आपका यह बजट पास हो कर जायेगा तब आपके अधिकारी प्रबन्ध करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जो प्राविधान रखा है उतने धन का उपयोग नहीं हो पायेगा और जो गाँव बाढ़ में डूबे हैं, जो गांव बाढ़ म तबाह हैं वह ज्यों के त्यों रह जायेंगे उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाढ़ का विभाग सिचाई विभाग से अलग कर दिया जाय। इसका एक कारण और भी है, जो हमारे माननीय सदस्य जिलों से आते हैं वह सब बाढ़ भुक्त भोगी हैं, उन्होंने जनता की परेशानियों को नजदीक से देखा है। वह गांवों में गये हैं, मैं समझता हूं कि अगर जिले में कोई ऐसा मुहकमा है जिसका बाढ़ से संबंध नहीं रहता तो वह सिंचाई विभाग है।

रेवेन्यू विभाग का आदमी मिल जायेगा, पुलिस वहां मिल जायेगा, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी मिल जायेंगे बी0 डी0 ओ0 मिल जायेगा लेकिन बाढ़ के दौरान कहीं सिचाई विभाग का आदमी मिल जाय तो वह नहीं मिलेगा, यह वहीं मिलेंगे जहां कमाई का मौका आयेगा। इसलिये इसको अलग कर दें। इस वर्ष 400 करोड़ रुपये की क्षति बाढ़ से हुई है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी योजनायें इस तरह से चलती हैं कि जो बजट रहता है वह पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इसका कारण है कि इनके पास कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। इसका नतीजा है कि समय के भीतर कोई इनकी योजना पूरी नहीं होती है और कह ते हैं कि पूरी हो गयी जैसे कि राम गंगा पूरी हो गयी, शारदा सहायक योजना पूरी हो गयी कह दिया लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा-थोड़ा काम इन पर बाकी है और 1981-82 तक वह पूरी होंगी। इसलिये मान्यवर, यह एडवान्स प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं। इसलिये आवश्यक है कि सरकार एडवान्स प्लानिंग करे। उसके लिये स्टाफ और मशीनरी, लोहा और सीमेन्ट तैयार करे। मगर होता यह है कि जब आपकी योजना पास हो जाती है, बजट पास हो जाता है तो उसके बाद आप तैयारी करते हैं जिससे आपका बजट का पैसा लैप्स हो जाता है। उदाहरण के लिये हमारे यहां राजघाट योजना 1972 में प्रस्तावित हुई थी और 1974-75 में उस पर काम शुरू होता था और अब पूरा हो जाना था लेकिन दुर्भाग्य है कि बुन्देलखंड में आज काम शुरू हो रहा है और इससे 1984 तक यह योजना पूरी होगी। मान्यवर, छठीं पंचवर्षीय योजना 2400 करोड़ रुपये की है जो कि प्रतिवर्ष 500 करोड़ से ऊपर आपको खर्च करना होगा। यदि यही तरीका खर्च करने का रहेगा तो पैसा सरेन्डर करेंगे और जिससे किसान की हालत खराब होती चली जायेगी।

श्री शंकर सिंह--

माननीय, कल भ्रष्टाचार की बात हो रही थी जिसके कारण प्रदेश को तरक्की में रोड़ा पड़ता है। कल शासक दल के एक साथी पी० डब्लू० डी० विभाग के ब्लन्डर विथाआऊट डैन्जर विभाग नाम रखने की बात कह रहे थे और म का नाल का अर्थ यह लगाता हूं कि कैन-आल, अर्थात् जो सब खा जाय। तो माननीय, इसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। इसलिए उसको दूर करना है।

माननीय, महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट 1977-78 को देखें तो उसमें लिखा है कि शारदा सहायक की पटरी फट जाने से लाखों रुपये की क्षति हुई और पी० ए० सी० की 1979-80 की रिपोर्ट में लिखा है कि चंदौली पम्प नहर, वाराणसी और कंटूर पम्प नहर, बाराबंकी में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार किया गया है लेकिन मैं इस समय इसमें नहीं जाना चाहता हूं। इसके अलावा आपके यहां जो धन का दुरुपयोग हो रहा है उसके सम्बन्ध में यांत्रिक अभियन्ता संघ ने एक ज्ञापन मुख्य मन्त्री को दिया है कि 50 करोड़ रुपये की 3600 बड़ी मशीनें बेकार पड़ी हैं। उसमें 5 करोड़ रुपये अवमूल्यन व रख-रखाव पर खर्च होते हैं, 10 करोड़ रुपये के एक लाख स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं। तो जब माननीय, यह मशीनें किसी योजना के लिए आयीं थीं तो उनका थोड़ा बहुत उपयोग हुआ और शेष को जंक, स्टोर में डाल दिया गया। दूसरी योजना शुरू हुई तो उन्होंने अपने लिए अलग से मशीनें मंगाईं और जो मशीनें बची उनको जंक में डाल दिया, इससे जंक का स्टोर बढ़ता चला गया। तो माननीय, मैं पूछना चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया इस तरह क्यों बरबाद किया जा रहा है। इसलिए जो मशीनें पड़ी हैं उनका स्तेमाल होना चाहिए। यदि नहीं स्तेमाल होता है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

माननीय, आपने पहले ही कहा था कि 86 प्रतिशत जनता प्रदेश की कृषि पर आधारित है। माननीय, जो पिछड़े हिस्से हैं उन पर अवश्य ध्यान रखें।

अब मैं थोड़ा सा ध्यान मंत्री जी का बुन्देलखंड की ओर ले जाना चाहूंगा जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी जरा सोचें कि वहां पर सिंचाई की क्या सुविधा उपलब्ध है। आप देखें, पश्चिमी क्षेत्र में 6810.9 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल है, 6024.4 हेक्टेयर बोया हुआ क्षेत्रफल, योजनाकाल से पूर्व 1820.5 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, 1979-80 में 3190.38 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई हुई। मध्य क्षेत्र में 3766.3 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल कृषि योग्य है, 3037.5 हेक्टेयर बोया हुआ क्षेत्रफल है, योजनाकाल से पूर्व 602.0 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी आज वहां 1589.78 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। पूर्वी क्षेत्र में 6844.4 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल है, 5481.5 बोया हुआ क्षेत्रफल है, योजना काल से पूर्व 100.8 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, वर्ष 1979-80 में 3147.13 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हुई। बुन्देलखंड को लीजिए जहां 2459 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल है, 1814.1 हेक्टेयर बोया हुआ क्षेत्रफल है, योजना काल से पूर्व 227.7 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और 1979-80 में केवल 591.18 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई हुई। इससे साफ जाहिर है कि बुन्देलखंड के साथ कितना अन्याय हुआ है। मैं कहता हूं कि बुन्देलखंड की समस्याओं को आपको समझना चाहिए और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि "जुल्म जितने हैं हमी पर वह किए जाते हैं,

हम भी ऐसे हैं कि उस पर भी जिए जाते हैं।" आपने 381 करोड़ का बजट रखा है उसमें जो 16.28 करोड़ बुन्देलखंड के लिए रखा है उससे समस्या हल होने वाली नहीं है। हमारे पास सिंचाई की कमी है। आप देखें पश्चिमी क्षेत्र ऊपर आ जाये, पूर्व में नलकूप इसलिए कि लेवल नीचे चला जाय, हम कहीं नहीं। में नहरें इसलिए कि पानी मान्यवर, कौन सी कमी बुन्देलखंड में है। बुन्देलखंड के साथ आप अन्याय, पक्षपात कर रहे हैं। बुन्देलखंड की जनता में इससे भयंकर रोष व्याप्त हो रहा है। वहां की भोलीभाली जनता एक दिन विद्रोह कर सकती है। मंत्री जी समय रहते ही देखें और वहां की जनता का जो न्यायपूर्ण हिस्सा है उसे देने की कृपा करें।

(श्रीमती किशोरी शुक्ला का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कृष्ण मगन सिंह--

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपको पार्टी के मुख्य सचेतक की सूची मिली होगी श्रीमन्, और मैं सोच रहा हूं कि उसका अनुसरण नहीं हो रहा है और इस प्रकार से जिन्हें पार्टी की ओर से बोलने के लिए कहा गया है उन व्यक्तियों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कृपया सूची का अनुसरण करें।

श्रीमती किशोरी शुक्ला--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र पूर्वांचल में गोरखपुर जनपद में सहजनवां क्षेत्र है जहां से मैं सिंचाई मन्त्री, शारदा प्रसाद शुक्ल को पराजित करके आई हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक कोड़िया क्षेत्र आता है। 40 हजार की जनता वहां की है। सिंचाई के साधन के अभाव में माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि 100 ट्यूबवेल मेरे क्षेत्र सहजनवां में लगवाये जायं क्योंकि हमारा क्षेत्र एक सिंचाई मंत्री का था जो लोकदल का गढ़ था। मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगी कि वहां पर राइका-बेल बांध अवश्य बनाया जाय। दूसरे एक भक्सा रिंग बांध है उसके लिए अधिशासी अभियन्ता ने प्रोजेक्ट भेजा है, उसको मंजूर किया जाय। तीसरे आमी नदी पर धारा 301 के अन्तर्गत एक प्रश्न मैंने लगाया था। वहां पर 15-16 गांव हैं आमी नदी में भीषण बाढ़ आती है और एक नाव दुर्घटना होने से 10 आदमी डूब कर मर गए थे। मैं निवेदन करूंगी कि उस क्षेत्र में हरदी गांव से ले कर मगहर रेलवे लाइन तक दो पुलिया बीच में बना दी जायं तथा एक 2 किलो मीटर बांध, ताकि फिर कोई दुर्घटना न हो। मेरा क्षेत्र रोहड़ी, राप्ती तथा आमी नदियों से घिरा हुआ है। वहां बाढ़ से लोग ग्रस्त हैं। मेरे क्षेत्र में जंगल कौड़िया में एक गोबडैला नाला पड़ता है। हर साल नाव से डूब कर लोग मर जाते हैं। वहां पुल बनाया जाय ताकि कोई दुर्घटना फिर न हो। एक बात और यह है कि एक पचगांवा गांव है। वहां एक सफ पी0 पी0 गंज से मेहराबल होते हुए बस्ती निकल (Road) जाती है। उस बीच में एक फर्लांग ऐसा रास्ता गांव में है जिसके बीच में बंजर जमीन है जिसमें लोग जबरदस्त मकान बनाए हुए हैं। उसके लिए मंत्री महोदय

[श्रीमती किशोरी शुक्ला---]

निर्देश दे कर जो यह एक फर्लांग बंजर भूमि है उसमें मिट्टी डलवा कर दोनों तरफ के मकान गिरा दिए जायं और उसे सड़क से जोड़ दिया जाय जिससे 22, 23 गांव की जनता जो आने-जाने के लिए जो त्रस्त है उसके लिए आवागमन का रास्ता खुल जायगा। इन शब्दों के साथ मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करती हूं और विपक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं घोर विरोध करती हूं।

*श्री प्रभु नारायण सिंह---

सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं जोरदार समर्थन करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि जिस गति से इस प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था हो रही है उसमें चार चांद लग जायेंगे। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में कृषि तथा कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने, सिंचाई साधनों की उपलब्धि का बड़ा महत्व है। श्रीमन्, प्रदेश की कुल आय का 54 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है और प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और कृषि पर निर्भर है। प्रदेश की जलवायु सचमुच कृषि के योग्य है और यहां पर बहुफसली कराई जा सकती है अगर सिंचाई के अधिक साधन मुहइया कर दिए जायं तो। 1947 से अब तक देखा जाय तो जहां 47 में कुल सिंचन क्षमता 27.5 लाख हेक्टेयर थी वहां 80 तक वह बढ़कर 78 52 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। यद्यपि प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए साधनों में जो वृद्धि हुई है वे पर्याप्त नहीं हैं फिर भी प्रदेश में खेती का कुल क्षेत्रफल जो है वह 173.75 लाख हेक्टेयर है। और उसमें से 1979-80 के अन्त तक केवल लगभग 50 प्रतिशत ही सरकारी साधनों द्वारा सिंचाई की सुविधा दी जा सकेगी जो कि सचमुच बहुत ही कम है। मान्यवर, छठी पंच वर्षीय योजना में जो संरचना हुई है उसके अनुसार मैं निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक सिंचाई के साधन दिए जायं ताकि उस अविकसित क्षेत्र का विकास हो सके।

मान्यवर, एक बाढ़ नियंत्रण योजना है। मैं उस जनपद से आता हूं जौनपुर से, जो कि दो महीने से बाढ़ से डूबा हुआ है। आज वहां पर पूरा सदन यह मांग कर रहा है कि पानी कम हो हम माननीय सदस्य पानी मांग रहे हैं सिंचाई के लिये। मैं उनको दावत देता हूं कि वे मेरे साथ जौनपुर चलें और वहां के पानी का वे इस्तेमाल कर सकें तो उस क्षेत्र का भी कल्याण होगा और वहां से पानी भी हट जायेगा। जौनपुर को देखते हुए जो वहां नलकूपों की संख्या है वह बहुत ही कम है। मान्यवर, चालित नलकूपों की संख्या की तुलना हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जहां मेरठ में 589, अलीगढ़ में 616, इलाहाबाद में 759, फैजाबाद में 529, आजमगढ़ में 681, बस्ती में 548, देवरिया में 508, बदायूं में 762, मुरादाबाद में 847, गाजीपुर में 547, वाराणसी में 1128 नलकूपों वहीं जौनपुर में केवल 430 नलकूप हैं। जौनपुर सचमुच में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसके लिए विशेष योजनायें चलाई जानी चाहिये। अगर उसके लिये विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा तो निश्चय ही वह और पिछड़ जायेगा। तृतीय और द्वितीय योजना में जो ट्यूबवेल वहां लगे हैं चाहे वे कहीं भी लगे हों, उनमें से बहुत से ट्यूबवेल खराब पड़े हुये हैं। चाहे वे नलकूपों के रख-रखाव के कारण हों अथवा नलकूप चालकों की लापरवाही के कारण हों, लेकिन वे बेकार पड़े हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई विभाग के पास एक मेंटिनेन्स डिवीजन है जो इन नलकूपों की देख रेख करता है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र जौनपुर में वह मेंटिनेन्स डिवीजन वही है । अतः मैं मांग करूंगा कि वहां एक मेन्टनेन्स डिशीजन खोल दिया जाय जो कि उसका रख रखाव भी कर सके ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में शारदा कैनाल की एक मात्र शाखा जाती है जिसका टेल हमारे क्षेत्र में पड़ता है । वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको भी चौड़ा किया जाय । उसका मोडलिंग हो रहा है और नहर गहरी की जा रही है । अगर उस क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जायेगा तो बहुत से किसान उससे लाभान्वित हो सकेंगे ।

इसके साथ ही वहां पर वाटर लागिंग की भी समस्या है । हमारे क्षेत्र गौरा बादशाहपुर में 47 गांवों में वाटर लागिंग होता है । बनारस में त्रिलोचन महादेव के पास 30 ऐसे गांव हैं जो वाटर लागिंग के कारण डूबे हुए रहते हैं । वहां से एक नाद नदी आती है जो माननीय ऊदल के क्षेत्र में भी जाती है । वहां से पानी जाम हो जाता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक फाटक बना दिया जाय जिससे आवश्यकतानुसार पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है बाकी पानी को निकाला भी जा सकता है । साथ ही सई और गोमती नदी का जो सैलाब आता है वह भी हमारे क्षेत्र को तबाह किये हुये है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां टेक्नीशियन्स को भेजें और देखें कि कैसे उस पानी का इस्तेमाल हो सकता है । वही नाद नदी उस क्षेत्र के दक्षिणी छोर से जाती है उसमें भी बांध बनाया जाय और उससे सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है । वह एक हल्की सी नदी है । आसानी से बांध बन सकता है । और उसके पानी का उपयोग भी हो सकेगा । इन चन्द शब्दों के साथ में यह जो सिंचाई का बजट है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे साथी जो भूल कर कटौती का प्रस्ताव रखे हैं उसे वापस ले लेंगे ।

[समय 2 बजे अपराह्न]

श्री ऊदल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा कृषि प्रधान देश है जिसमें सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम पूर जमीन को सिंचाई के साधन देने में समर्थ नहीं हो पाये हैं । अभी तक 30, 35 परसेंट क्षेत्र में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सके हैं । सिंचाई का विस्तार जितना होगा और सिस्टमैटिक तरीके से होगा उतना ही कृषि क्षेत्र में उत्पादन होगा और हमारे प्रदेश का तरक्की होगी । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आज हमारे देश का आय 50 परसेंट खेती से होता है ।

सिंचाई के मुख्य रूप से चार स्रोत हैं, पुराने साधन तो अब बन्द हो गये हैं जैसे डाल डोरा से सिंचाई होती थी, ढेंकल से सिंचाई होती थी, लेकिन आज मुख्य रूप से नहर, ट्यूबवेल, लिफ्ट कैनाल और माइनर इरिगेशन तथा कुछ प्राइवेट ट्यूबवेल लगा कर सिंचाई होती है । लेकिन इसमें जो त्रुटियां है उन पर

[श्री ऊदल---]

मैं समझता हूं कि विभाग को ध्यान देना चाहिए । एक तो यह कि बिना प्लानिंग के योजनायें बनाकर काम शुरू कर देते हैं, पिछले जमाने में चाहे किसी की सरकार रही बिना प्लानिंग के काम किया जाता रहा नतीजा यह होता है कि जो एस्टीमेट बनते हैं वह ठीक नहीं होता है और समयबद्ध नहीं होता है । जिसके कारण अनुमानित व्यय में करोड़ों वृद्धि हो जाती है कुछ तो महंगाई बढ़ने से होता है या फिर काम समयबद्ध नहीं होता है । इस प्रकार से करोड़ों-करोड़ों रुपया एस्टीमेट में बढ़ जाते हैं । मैं निःसंकोच इस बात को कहना चाहता हूं कि एक ही योजना में तीन-तीन और चार-चार बार एस्टीमेट बढ़ाये गये । तो इस प्रथा को रोकने की आवश्यकता है । जो हमारा डिजाइन डायरेक्टरेट है और सिंचाई विभाग का भी मैं समझता हूं कि वह बहुत अक्षम है उसे पुनर्गठित कर सक्षम बनाने की आवश्यकता है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं सोन लिफ्ट कैनाल का जिस सोन पर बैराज बनाया जा रहा है उसके लिए मैंने चार-पांच महीने पहले चीफ इंजीनियर साहब से बात की थी जबानी शिकायत की थी कि आप कृपा करके उसकी जांच करायें, पता चला है कि उन्होंने जांच किया है मेरी उनसे बाद में बात नहीं हुई लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी बात सही थी । बिना नक्शे के, बिना डिजाइन के प्लान बना दिया सोन पर और सोन लिफ्ट का काम किया जा रहा है सोन लिफ्ट कैनाल को पूरा हो जाना चाहिए था जो नहीं हुई । अब एक और योजना बाण सागर बन रही है अगर वह बन जायेगी तो सोन लिफ्ट पर जो करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है वह बिल्कुल बेकार हो जायेगा । मेरा ऐसा दावा है और मेरा ऐसा अनुमान है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप प्लान-प्लानिंग कर दीजिए और समयबद्ध कार्यक्रम बना लीजिए । प्राथमिकता के आधार पर उसको बनवा लिया जाए । इस काम को आपको शुरू करना चाहिए । हमारी जो नहरें हैं, यह त्रुटिपूर्ण हैं और इसके कई कारण हैं । इसका एक कारण यह है कि हमारा सिंचाई विभाग मृगतृष्णा में पड़ा रहता है । हम कहते हैं कि हम सिंचाई बहुत कर लेंगे, पानी सबको दे देंगे, लेकिन हो बहुत कम पाता है । मिसाल के लिए, शारदा सहायक में बहुत पानी है, लेकिन कितना पानी है, उसको ही ठीक से नहीं दे पा रहे हैं और उसको हम और लम्बा करने जा रहे हैं । यह योजना 80 तक पूरी होनी थी । इस मृगतृष्णा में हमारे यहां शारदा सागर नहर है जो टेल पर है । अब उस नहर को शारदा सहायक में ले लिया गया है । उसके लिए जमीन ली जा रही है । इस पर एक बार मिनिस्टर साहब के सामने, चीफ इंजीनियर से मैंने ट्यूबवेल लगाने को कहा तो उन्होंने कहा कि मार्च 80 तक इसमें हम पानी दे देंगे । आजकल वह चीफ इंजीनियर साहब, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा । मार्च, 80 तो बीत गया और अभी देखें कितना समय और लगता है । जब मिनिस्टर साहब के यहां उनसे बात हुई थी और उन्होंने मार्च, 80 की बात कही थी, तभी मैंने उनसे कहा था कि 82 तक भी आप पानी दे देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा । यह तीन साल पहले मंत्री जी से कहा था और अब तक न मार्डलिंग हुई और न पानी गया । एक बाबतपुर रजबहा है, यह भी 80-81 तक बनने वाला था, अब कब बनेगा, पता नहीं ।

बाढ़ जो आती है, उनकी भी भीषण समस्या है । नदियों की बाढ़ अपनी जगह है, इसके अलावा वाटर लागिंग की समस्या है, गावों में जो पानी भरा है, वह सड़कों तथा नहरों के ठीक से निर्माण न होने और जल निकासी हेतु पुलिया न बनने से होता है । इसका परिणाम यह होता है कि लोग नहरों को और अच्छी पक्की सड़कों को काट देते हैं, जिससे लाखों

रुपये का नुकसान होता है। इसलिए इनके लिए ऐसी प्लानिंग होनी चाहिये, जिससे यह नौबत पैदा न हो।

शारदा सहायक में मैंने यह भी देखा है...।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, दो मिनट और, गांव वालों को निकलना यहां से है और पुलिया बनाई गई है 4 फर्लांग, 6 फर्लांग और एक किलो मीटर दूर। अब गांव का आदमी इतनी दूर कैसे जाएगा। उसके लिए ग्रामीणों को समय-समय पर सत्याग्रह करना पड़ता है। अब ट्यूबवेल की कुछ बात कहना चाहता हूं। हमारे वाराणसी का काफी क्षेत्र, जो जौनपुर की तरफ है खासकर के वहां काफी बड़ा क्षेत्र ट्यूबवेल का है। वहां का पानी बहुत अच्छा है। वाराणसी के जितने ट्यूबवेल थे प्रदेश भर में वे सब से ज्यादा घन्टे चले हैं और उनका पानी भी सबसे अच्छा रहा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उधर ट्यूबवेल लगवाने के लिए मंत्री जी का ध्यान नहीं जा रहा है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि उधर भी वे ध्यान देने की कृपा करें।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग का काम भी बहुत संतोषजनक नहीं है। कल आपको याद होगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर उन्हीं के दल के बहुमत से सदस्यों ने काफी तीखी आलोचना की थी लेकिन आज आपको तो सौभाग्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग की भी अगर आप तह में जायेंगे तो देखेंगे कि इसमें भी काफी भ्रष्टाचार है और उनको दूर करने की जितनी भी गुन्जाइश हो सके और प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था को जितनी अच्छी से अच्छी बना सके और लोगों को सिंचाई की सुविधायें और साधन दे सकें, मैं समझता हूं उससे किसान संतुष्ट होंगे और प्रदेश उन्नति करेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राज कुमार राय--

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया और जो कटौती का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है, उसका विरोध करने का मौका दिया।

माननीय, माननीय सिंचाई मंत्री ने जो आज बहुत ही बुद्धिमत्ता से बजट पेश किया है, वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन आपके माध्यम से उनसे 2-3 बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे सिंचाई मंत्री जो प्रदेश में बाढ़ की विभिषिका के कार्य को भी देखते हैं और आज तक भी मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इन दोनों विषयों का क्या सम्बन्ध है। एक ओर तो प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं तो उसी समय जब बाढ़ से सारा प्रदेश प्रभावित हो तो वे कैसे इसको समझ सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम वे इस पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय---]

अवश्य ही विचार करें क्योंकि यह बहुत ही असंगत है जिसकी ओर इस बजट के समय में, ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरी राय में बाढ़ विभाग और सिंचाई विभाग दोनों अलग-अलग होना चाहिये । सिंचाई का काम बड़ा ही रचनात्मक कार्य है और इसे बाढ़ से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है । बाढ़ का कन्ट्रोल एक ओर से किया जा सकता है और सिंचाई का दूसरी ओर से । दोनों के इलाके भी भिन्न-भिन्न होते हैं । मेरी प्रार्थना है कि अगर मंत्री जी इन दोनों कार्य को देखें तो कम से कम बाढ़ के लिए एक अलग से सेल बना दें जो उस कार्य को देखें । इन दोनों चीजों को अलग रखकर ही देखा जाय । मंडलीय मीटिंग में भी मने माननीय सिंचाई मंत्री जी से, और आज आपके माध्यम से भी प्रार्थना करता हूं कि सिंचाई की जो भी योजनायें हैं, चाहे वे नहर की हों, नलकूप की हों या और किसी प्रकार की हो, उस क्षेत्र के सदस्यों की राय भी लेकर बनायी जाय ताकि हम जिन इलाकों से आते हैं, उस क्षेत्र को या 2-3 क्षेत्रों को मिलकर हम यह कह सकें और आपके माध्यम से घोषणा कर सकें और मनवा भी सकें कि यह हो रहा है । कहीं भी हम आपके सम्पर्क में आते हैं, लेकिन आज 3 महीने हो गए हैं, हमे नहीं मालूम कि कौन-कौन सी योजनायें हमारे यहां पर 1 पैसे से 100 रुपये तक की आ रही हैं जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हमारे यहां पर लागू कर देंगे । इसलिए यह आवश्यक है कि आप सारी चीजों का साफ कर दें ताकि हम भी समझ लें और जिस तरह हम आपके कन्धे से कन्धा मिला कर काम करते आये हैं आगे भी कर सकें ।

एक निवेदन में शारदा सहायक परियोजना, जो हमारे क्षेत्र के लिये बनी थी, उसके लिये करूंगा । शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत दोहरी घाट पम्प नहर का शिलान्यास 1975-76 में श्री जगन्नाथ चौधरी ने किया था और राज्य सरकार की तरफ से यह स्पष्ट आश्वासन मिला था कि 1980 में यह काम पूरा हो जायेगा और उस नहर से पानी मिलने लगेगा । हम लोग उसके लिये एस० ई० से भी मिले थे श्री मित्तल से, मगर कुछ नहीं हुआ है अभी तक । 1980 का यह उत्तरार्द्ध चल रहा है, 1981-82 तक भी अगर पूरा हो जाये तो आश्चर्य की बात होगी । मैं चाहूंगा कि इसके लिए मंत्री जी शीघ्र आदेश देने की कृपा करें ताकि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिये था, अब पूरा हो सके और सिंचाई की सुविधायें हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हो सके । आप मान्यवर, पूर्वान्चल के ही निवासी हैं और वहां सिंचाई की कितनी कमी है इसको आप भली भांति जानते हैं । वहां की जन-संख्या केवल खेती पर निर्भर करती है और खेती बिना सिंचाई के सम्भव नहीं है । वहां लोग भुखमरी के शिकार होकर रोजगार के लिए दूसरे देशों में मलाया और सिंगापुर दौड़ रहे हैं । बम्बई और कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं मेरा सुझाव है कि पूर्वान्चल के लिए एक अलग सेल बना कर वहां सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करायी जायं ।

हमारे यहां जो दोहरीघाट सूरजपुर माइनर तथा सिकरीपुर माइनर है उसके लिए जमीन 15 वर्ष पूर्व ली गयी थी । सड़क के लिए भी जमीन ली गयी थी, पर वह काम आज तक शुरू नहीं हुआ है । आज तक न नहर बनी है और न सड़क बनी है । आपसे अनुरोध है कि सिकरीपुर माइनर को जल्दी बनवा दें और उसकी लाइनिंग करवा दें । आप आदेश दे देते हैं, मगर आपके अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं ।

एक समस्या और हमारे यहां गांवों में वाटर लागिंग की है । सैकड़ों गांव आज पानी में डूबे हुये हैं । 4-5 फुट पानी वहां भरा हुआ है । अगर

पम्प करके पानी नहीं निकाला गया तो वह सारे गांव नष्ट हो जायेंगे, फसलें बिलकुल बरबाद हो जायेंगी। इसलिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यह तुरन्त बहुत जरूरी है कि गांव में भरे हुये पानी को किसी तरह से निकलवाया जाय। कुछ ऐसा उपाय भी सोंचे जिससे कि निचले इलाके में जलभराव न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध और प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। हमारा जनपद प्रतापगढ़ है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 30-32 साल में सिंचाई की सुविधा बहुत कुछ हुई है और उससे प्रोडक्शन बढ़ा है। यह भी सही है कि पिछले वर्ष कितना जबरदस्त सूखा था कि उससे जनता बहुत परेशान हुई। लेकिन सिंचाई के माध्यम से, जहां नहरें थीं, वहां के लोगों पर सूखे का प्रभाव नहीं पड़ा। खरीफ की फसल बहुत अच्छी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बिलकुल सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया गया। एक इलाका मानधाता ब्लाक का है, वहां पर रामपुर गौरी, रामपुर मनगढ़ी है, वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है और उन लोगों की मांग है कि वहां एक नहर या नहर की एक शाखा दी जाय और मैं उम्मीद करता हूं कि कि माननीय मन्त्री जी इसका उल्लेख अपने जवाब में करेंगे हमारी मांग दूसरी यह है कि पट्टी में सिंचाई की कोई नहर नहीं गयी हुई है। वहां की जनता की मांग नहर और ट्यूबवेल की है। वह इलाका मेरे ख्याल से 20 फीसदी नहरों से लाभान्वित हुआ है लेकिन 80 फीसदी इलाका अब भी अनइरीगेटेड है। वहां पर न ट्यूबवेल है और न नहर ही है। तीसरी बात यह है कि कुछ ऐसी भी शिकायतें मिली हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ दिन पूर्व नहर कट जाने से लगभग 200 एकड़ जमीन, कुछ ऐसे गांव हैं, जिनमें वह डूब गयीं और उनका मोआवजा भी बना, मोआवजा का आश्वासन दिया गया कि मोआवजा मिलेगा। मैं खुद एस0 पी0 बहादुर एक अधिकारी हैं, उनसे मैं मिला, उन्होंने कहा कि मोआवजा बना हुआ है। लेकिन अभी नहीं मिला है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको मुआवजा तुरन्त दिलाया जाय। मान्यवर, वहां का इलाका डूब गया है और सारी फसल सड़ गयी, लेकिन वहां पर मुआवजा एप्रूव होने के बावजूद भी अभी तक मिला नहीं। एस0 पी0 बहादुर ने आश्वासन दिया कि मिल जायगा। लेकिन अभी नहीं मिला। चौथी बात की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां से एक आफिस इलाहाबाद में कर दिया गया है जबकि नहरों का हिसाब-किताब का ताल्लुक हमारे जनपद से है। लेकिन उसे तोड़कर इलाहाबाद कर दिया गया। अगर हम लोगों का कुछ काम पड़ता है, तो हम लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है। हमारा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी उस आफिस को इलाहाबाद से प्रतापगढ़ ट्रान्सफर करने की कृपा करें। उसका ज्यादातर ताल्लुक प्रतापगढ़ से ही है। इस विभाग के पतरौलों की ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

शिकायत आती है क्योंकि वह कुछ गलत सिंचाई लिख देते हैं। तो पतरौलों का इस तरह का हिसाब रखा जाय कि जहां के वह रहने वाले हैं, वहाँ पर उनको न रखा जाय। बहुत सी शिकायतें आती हैं कि मैंने सिंचाई नहीं की और मेरी सिंचाई लिख दी गयी। तो उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां कुछ ट्यूबवेले जो दिये गये हैं बहुत कम दिये गये हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें ट्यूबवेल कामयाब नहीं हो सकते। ट्यूबवेल की बहुत कमी है। मैं निवेदन करूंगा कि ट्यूबवेल हमारे जिले में बढ़ाये जायं ताकि ट्यूबवेल से सिंचाई ज्यादा से ज्यादा हो सके। सूखा जब पड़ जाता है, तो ट्यूबवेल भी काम नहीं करता और नहरों में भी पानी नहीं आता। तो पुरान कुएं जो हैं उनको दुरुस्त कराना चाहिए। यदि पुरान कुएं ही दुरुस्त रहे और अच्छी हालत में रहें तो सूखे से हम निपट सकते हैं। और इस विभाग में करप्शन और भ्रष्टाचार की जो बात कही गयी। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं (शोर) इन अधिकारियों की इफीशियेन्सी की जहां तक बात ह, वह इनम कमी नहीं ह। हम आज अपन देश और प्रदेश के निर्माण के लिए इनकी जरूरत है और इन्हीं के द्वारा आज बड़ी-बड़ी योजना और परियोजनाएं, नहरें व क ा-कारखाने लगे हैं। इनको आज प्रोत्साहन की जरूरत है और छोटी-छोटी बातें कहकर इनका रिकार्ड खराब करना अच्छा नहीं है अभी तक जो काम किये हैं, इन लोगों न जे प्रोजेक्ट बनायें हैं, सराहनीय हैं। वैसे तो हर इन्स्टीट्यूशन में कुछ न कुछ होता है, वह यहां भी है। म इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय मन्त्री जी बजट लाये हैं उसका तहे दिल से इस आशा के साथ कि जो सुझाव मेरे द्वारा दिये गये हैं, उन पर विचार किया जायेगा और हमारे क्षेत्र की उन परेशानियों की ओर ध्यान दिया जायेगा, समर्थन करता हूं।

श्री कन्हैया लाल--

माननीय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध एवं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसके अन्दर कई कारण हैं। माननीय मन्त्री जी ने अभी जो बजट प्रस्तुत किया है, जो करीब डढ़ पन्ने का है। जिसमें कई प्रोजेक्ट नये-नये हैं बिजली उत्पादन के तो माननीय मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि क्या इन प्रोजेक्टों में जितनी बिजली पैदा होगी, उससे मथुरा जिले को भी कुछ फायदा होगा? श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सन् 62 में जब किसानों की बात सरकार में कहते थे तो हमको यही जवाब मिलता था कि राम गंगा परियोज बना रहे हैं, उसमें से आपको पानी मिलेगा और सन् 69 में जब वर्तमान सिंचाई मंत्री इस विभाग के एक डिप्टी मिनिस्टर हुए, उनसे कहा गया। तो उस वक्त भी यही कहा जाता रहा है कि राम गंगा प्रोजेक्ट से पानी आपको दिया जायेगा लेकिन मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राम गंगा परियोजना बन जाने के बाद भी हमारे जिले को पानी नहीं मिला। तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि इन 33 वर्षों में खासतौर से सिंचाई में कितना काम हुआ है, हमारे जिले में, इसका ब्योरा तो माननीय मन्त्री जी के पास होगा। मथुरा जिले में इसके चार डिवीजन भी बनाया है और एक सर्किल भी है। लेकिन वह डिवीजन और सर्किल मथुरा जिले के निर्माण के लिए नहीं हैं, बल्कि और खराबी पैदा करने के लिए ह और इसके अतिरिक्त हमारे यहां एक बड़ा नाला है, उस पर हुल्वाना ड्रेन बना रहे हैं, गोवर्द्धन ड्रेन के पैरेलेल। सन् 1962 में जब गोवर्द्धन ड्रेन बन रही थी, उस

वक्त हम लोगों ने विरोध किया था कि यह गलत बनाया जा रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना और आज जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उसका पानी उल्टा चलने लगता है और उसका पानी हरियाणा वगैरह की तरफ से चला आता है। जब इस बात की शिकायत हुयी। तब यह कहा गया कि इसको रि-माडेल किया जाये और उसकी गहराई बढ़ाई जाय।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

इधर गैलरी में ज्यादा भीड़ न लगाने दी जाए, बहुत भीड़ हो रही है।

श्री कन्हैया लाल--

तो मान्यवर, वह नहीं माने और बजाए उस गोवर्द्धन ड्रेन को ठीक करने के हुल्वाना ड्रेन बना रहे है, जिससे अभी जो मथुरा जिले में जो कुछ उपजाऊ जमीन है, वह इन ड्रेन्स की वजह से भी जाती रहेगी यह नाला छाता एव गोवर्द्धन दो चुनाव क्षेत्रों में होकर जाता है। जबकि इन ड्रेन्स का बराबर विरोध हो रहा है और छाता के जो प्रतिनिधि हैं, वह भी इसका विरोध कर रहे है और मैं भी इसका विरोध कर रहा हूं। छाता क्षेत्र को पूरी जनता विरोध कर रही है, गोवर्द्धन क्षेत्र का मैं विधायक विरोध कर रहा हूं, गोवर्द्धन क्षेत्र की पूरी जनता विरोध कर रही है लेकिन सरकार हुल्वाना ड्रेन को बनाने पर आमादा है हुल्वाना ड्रेन बनाया जा रहा है और कहा जाता है कि गोवर्द्धन ड्रेन में हरियाणा और राजस्थान का पानी आता है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताना चाहता हूं हरियाणा वालों ने रुझानो ड्रेन बनाया है जो गोवर्द्धन ड्रेन से कई गुना ज्यादा कैपसिटी का है। हरियाणा का जितना पानी है वह रुझानो ड्रेन से ले जायेंगे। इसमें केवल मथुरा का पानी ले जाना है और उसके लिये गोवर्द्धन ड्रेन काफी है। हुल्वाना ड्रेन का विचार सरकार को त्याग देना चाहिये। इससे किसानों को लाभ कम होगा नुकसान अधिक होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मथुरा जिले में मोहनपुर, नेवादा, विरजा लालपुर, वाद, खैरी, कोयला अगनपुरा जहां सिंचाई का साधन नहीं है वहां का किसान केवल धान पैदा करना चाहता है वह केवल धान के लिये खरीफ में पानी चाहता है। तो मैं माननीय मन्त्री जो से निवेदन करूंगा कि जो यह आपको मथुरा लिफ्ट रजवाहा है इसके द्वारा वहां के किसानों को खरीफ में पानी दिया जाय इससे उत्पादन बढ़ेगा और वहां के किसानों को सुविधा मिलेगी। दूसरी बात मैं ट्यूबवेल के बारे में कह रहा था। जैसा अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 18 हजार ट्यूबवेल हमारे उत्तर प्रदेश में है। आगरा में 334 ट्यूब वेल, अलीगढ़ में 616, एटा में 368, मैनपुरी में 321, मथुरा में केवल 13 ट्यूब वेल है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई जिला हो जहां पर 13 ट्यूब वेल हो। मान्यवर मथुरा जिला राजस्थान से मिला हुआ है। मैं माननीय मन्त्री जी कहना चाहता हूं कि राम गंगा से मथुरा जिले को पानी नहीं दे सकते हैं, टेहरी बांध का कब तक किसान इंतजार करे, मान्यवर जैसा आपने बताया कि 5 सौ ट्यूब वेल हर जिले के बारे में कोटा है। 13 ट्यूबवेल मथुरा जिले में है यह कितने शर्म की बात है। मैं आपके बजट का विरोध करता हूं और माननीय श्री रियासत हुसैन द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यदि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तो महसूस होता है कि मंत्री जी की का समर्थन न करते हुये अधिकारियों की नीति का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह संकल्प दोहराया है कि वह इस विभाग के भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे इस कारण में इस बजट का समर्थन करता हूं। और रियासत साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने दो एसे विभाग लिये है जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, परिवहन और सिचाई मान्यवर, अभी तक मंत्री जी भ्रष्टाचार दूर करने में कतई सफल नहीं हो पाये है। इसका एक कारण यह है कि हमारे मंत्री जी बड़े ही समाजवादी है उनके कमरे में विधायक लोग खड़े रहते है और व अपने विभाग के इंजीनियरर्स से बात करते है। वह कहते हैं कि हमारा मंत्री जी से सीधा सम्पर्क है। मैं समझता हूं कि इस कारण मंत्री जी को भ्रष्टाचार दूर करने में काफी संकोच हो रहा है। मान्यवर, इस प्रदेश के पूर्ण बजट का 25 प्रतिशत बजट सिचाई विभाग पर खर्च होता है। लेकिन आप पांचों पंचवर्षीय योजना को देखें तो महसूस करेंगें। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि 21 हजार 3 सौ 55 हेक्टेयर में से केवल 8710 हेक्टेयर सिचाई योग्य हो सकी है। (व्यवधान) में भ्रष्टाचार का।

(कई सदस्य क साथ बोलने लगे)ए

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें।

श्री नरेश चन्द्र--

एक नमूना भ्रष्टाचार का पेश करता हूं। उत्तर प्रदेश के सिचाई विभाग ने रुमानिया से ट्रेक्टर खरीदने का निर्णय लिया जब कि हिन्दुस्तान ट्रेक्टर भी 65 हार्स पावर के हैं लेकिन वहां से इसलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि वह ज्यादा रेट के हैं और उनका कमीशन ज्यादा है। मैं निवेदन करुंगा कि वह इसका देखें और फारेन करेन्सी का दुरुपयोग न होने दें। मान्यवर, माइनर इरीगेशन है। इसमें ट्यूबवेल बनते हैं। इसके लगाने में जो असमानता है उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूर्व क्षत्र के 15 जिलों में 7617, पश्चिमी क्षेत्र में 8423 और मध्य क्षेत्र में 1991 ही केवल लगाये गये। जो कि मध्य क्षेत्र के साथ अन्याय है। मैं अनुरोध करुंगा कि पूर्व मंत्रियों की भांति पूर्वी जिले के होने के नाते अन्याय न होने देंगे और मध्य क्षेत्र को भी देखें। मेरा हरदोई क्षेत्र जो है शारदा नहर के अन्तर्गत आता है। लेकिन इस क्षेत्र का डिवीजन उन्नाव है। हमारे क्षेत्र के इंजीनियर उन्नाव में रहते है जिससे हमारे क्षेत्र की घोर उपेक्षा है। यह नहर 18 सौ किलो मीटर के रेंज में है। पानी नहीं पहुंचता, ट्यूबवेल लगाने की बात जब होती है तो वह नहीं लग पाता। कह देते हैं कमाण्ड एरिया है। अतः कमाण्ड एरिया काट दें और ट्यूबवेल लगवा दें। जितने भी ट्यूबवेल लगे है उसमें से 72 आज भी बेकार हैं। मेरा निवेदन है कि सिचाई और विद्युत विभाग की एक समन्वय समिति बनायें और निश्चित कर दें कि जो ट्यूबवेल बनेगा उसमें 3 माह के अन्दर बिजली लग जायेगी और काम करने लगेगा।

हमारे ट्यूबवेल के इंजीनियरों ने रिग मशीनों को बेकार कर दिया है। इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें। ट्यूबवेल डिवीजन में जो मैकेनिकल इंजीनियर रखते हैं, नियमों में संशोधन करके उनमें सिविल भी रख क्योंकि नालियों आदि का काम भी होता है। आखिर में सुझाव है कि जो नहरों को सफाई होती है उसका कोई प्रमाण नहीं होता। सफाई तो होती नहीं लेकिन पैसा निकाल लिया जाता है। अतः आदेश होने चाहिए कि जहां सफाई हो वहां के गांवों के प्रधानों से लिखवा लिया कर कि सफाई हुई। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री सोमांश प्रकाश का नाम पुकारे जाने तथा--कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कटौती के प्रस्ताव पर मेरा नाम भी है...

(शोर)

श्री सोमांश प्रकाश--

माननीय उपाध्यक्ष, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, मैं उसके लिए आप का बड़ा आभारी हूं और जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। माध्यवर, जो विरोधी भाइयों ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मेरा सुझाव है कि वह इसको प्रस्तुत न करें क्योंकि सिंचाई ही कृषकों का भगवान होता है। जो भी सिंचाई मंत्री रहे हैं उनको मेरे किसानों ने वरुण देवता की उपाधि दी है। अगर वह नाराज हो जायें तो क्या सिंचाई होगी। अतः जो सिंचाई मंत्री है वह वरुण देवता के स्थान पर हैं। सबसे बिशेष बात हमारी जो छोटी माइनर हैं उनके सम्बन्ध में कहूंगा। उनकी सफाई के लिए बजट में अलग से पैसा रखें क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होता है उनकी सफाई नहीं होती और सिंचाई बहुत कम हो पाती है। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में काठा नाला है जो बरसाती है और 10 वर्षों से बड़ा नुकसान करता आ रहा है। इसके नहरीकरण की योजना सुनता आ रहा हूं 10 वर्षों से लेकिन कुछ नहीं हुआ अतः इसी बजट में इसके नहरीकरण की योजना लेने का कष्ट करें। प्रशासन का कोई जी० ओ० है कि एक मील से 3 मील तक जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई गांव सभा करती है तो मान्यवर, उनके पास न पैसा होता है और न साधन और वह वैसे ही पड़े रहते हैं जिससे बड़ा नुकसान होता है। अतः इसमें कोई संशोधन ऐसा कर दें कि उनको खोदाई, सफाई, भी सिंचाई विभाग के अन्तर्गत होने लगे। जमुना नदी के विषय में, इसमें सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जो डिस्चार्ज है वह सही नहीं हो पाता और कभी कम और कभी ज्यादा होता है। मेरी जानकारी है कि ताजे-वाला हेडवर्क्स जो हरियाणा में है उससे पानी मिलता है 49·5 प्रतिशत और हरियाणा का उसमें 0·5 प्रतिशत है। हिमांचल प्रदेश का 50 प्रतिशत है हरियाणा का इतना काम होते हुए जब पानी लेता है तो 66 प्रतिशत पानी लेता है जो विरोध की बात है और अनुरोध है तथा सुझाव है कि इसमें एक एग्रीमेन्ट हुआ था उसे निरस्त कर दिया जाये और 2 मंत्रियों के बीच में इस पर पुनः विचार

[श्री सौमांश प्रकाश---]

किया जाये । और सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम इस पानी को अपनी बाउण्ड्री में नहीं लेंगे यह काम चलने वाला नहीं है । इस लिये मेरा निवेदन है कि इसमें ध्यान दिया जायें जिससे जमुना का पानी हमारे बार्डर में आ जाये । नलकूपों के विषय में कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, इसकी कमी के कारण चल नहीं पाते । कम से कम 12 घन्ट इनके चलाने का प्रबन्ध करें चाहे इसके लिए आपको अलग से बिजली की लाइन लगवाने का प्रबन्ध करना पड़े । चाहे इस के लिए जेनरेटर का सिस्टम हो जब तक 12 घन्ट बिजली नहीं चलेगी किसान को कोई लाभ नहीं होगा । किसी भी प्रकार का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा । मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान देते हुए अपने विचार रखें । जयहिंद ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, रियासत साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट का प्रस्ताव रखा है, उसकी निन्दा तो मैं नहीं करता चन्गू, मंगू विधायकों की तरह, परन्तु उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । विरोध करने का औचित्य यही है कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और पूरे बजट का एक चौथाई हिस्सा यह सदन माननीय मंत्री जी को देन जा रहा हूं । सिंचाई विभाग की आवश्यकता क्या है इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । प्रश्न यह है कि जितना पैसा आज उन्हें मिलता है क्या वह इसकी गारन्टी देंगें कि एक-एक पैसा प्रदेश के विकास में, प्रदेश के उत्पादन बढ़ाने में, जो असिंचित क्षेत्र हैं उनको सिंचित करने में लगेगा । अगर ऐसा वह आश्वासन दें तो निश्चित रूप से मैं उनके प्रति बड़ा आभारी रहूंगा । मुझे ऐसा लग रहा है, न जाने क्यूं कि ऐसा आश्वासन वह दे देंगे लेकिन कार्य रूप में वह आश्वासन को परिणत करेंगे इसमें मुझे संदेह है । आज सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है । इसको घोटाले का विभाग कहें तो अतिश्योक्ति न होगी । माननीय मंत्री जी को सिंचाई मंत्री न कह कर घोटाला विभाग का मंत्री कहें तो बुरा न होगा ।

मान्यवर, 100 करोड़ का घोटाला, सिंचाई विभाग में बड़े-बड़े घोटाले चल रहे हैं । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस विभाग के अधिकारियों की इन्ट्रीग्रिटी के सम्बन्ध में जनता उंगली उठा रही हो, उसे एक मिनट भी उस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिये । यह किसी दल का सवाल नहीं है । यह जो आपने आश्वासन दिया है स्वच्छ प्रशासन देने का उसका सवाल है । इस दिशा में जो कदम होगा, मजबूत कदम होगा, सही कदम होगा, उसका स्वागत करेंगे ।

एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजनैतिक काकस बनाया गया है । आपके विभाग में चंडाल चौकड़ी है । जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है । 20 वर्ष समाजवादी आन्दोलन में लगा रहा । आपका विभाग जातिवाद के चक्कर में फसा है । कोई पनप नहीं सकता । एक से एक भ्रष्टाचारी, घूसखोर पड़े हैं । माननीय बहुगुणा जी ने जिस इन्जीनियर के खिलाफ लिखा, तिवारी जी ने लिखा उसके खिलाफ कार्यवाही करके अविलम्ब निलम्बित किया जाये, राम नरेश यादव ने लिखा सेवा से मुक्त कर दिया जाये । माननीय मन्त्री जी ने सबको बहाल कर दिया । मैं नाम नहीं लेना चाहता । इस सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 42 लाख रुपये का पोल डम्प किया और दूसरे दिन लिख दिया बाढ़ में बह गया । (शोर) । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का भ्रष्टाचार आपके विभाग में पनप रहा है । कई बार कहा, आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है । गंडक योजना कई बार तोड़ी गयी । (शोर) । इसी बहाने भ्रष्टाचार को मौका मिलता है । पिछले साल तोड़ा, फिर तोड़ा । 10 तारीख को तोड़ दिया । बैंक के एकाउन्ट बन्द कर दिये । इन लोगों के बीच माननीय मन्त्री जी आपको अपने विभाग का शासन चलाना है । तो, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने इनके प्रति अपनी राय नहीं बदली तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो आप पर बीतेगी, वह तो बीतेगी ही, प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करने वाली । मैं धमकी नहीं देता । आप भी वही फील कर रहे हैं ।

अब मैं 2–3 बातें माननीय मन्त्री जी के विचार के लिये और कहना चाहता हूं । पैसा आपके पास है और पी0 डब्लू0 डी0 से दुगुना पैसा मिल रहा है । पहले भी दिया गया था और आज भी दिया जा रहा है । इसलिये सुझाव है कि ये जो नहर हैं, आप नयी सड़कें बना रहे हैं, हम कहते कि अगर उस पैसे से अपनी रोड बनायें तो पैसे की भी बचत होगी और आवागमन की भी व्यवस्था हो जायेगी और विकास भी हो सकेगा । इसी तरह से कहना चाहता हूं कि घोषणा तो कर देते हैं कि सूखे क्षेत्र या बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र जो हैं, वहां वसूली नहीं होगी, लेकिन वहां से वसूली हो रही है । पिछली बार भी हुयी है और इस साल भी हो रही है । तो, आपको स्पष्ट आश्वासन देना पड़ेगा कि जो इलाके बाढ़ और सूखे से ग्रसित हैं, वहां वसूली नहीं होगी ।

इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि आप खेतों को पानी देते हैं तो उसका लगान हमसे लेते हैं । पानी खेतों तक पहुंचाने के लिये नालियां बन रही हैं और उनके खर्च की रिकवरी किसानों से क्यों हो रही है ? नालियों के निर्माण की वसूली किसानों से ले रहे हैं । आप पानी देते हैं, उसका पैसा लेते हैं । जब पानी का दाम ले रहे हैं तो नालियों के बनाने का दाम क्यों वसूल कर रहे हैं ? वह सिंचाई विभाग से वसूल होना चाहिये, यह मेरा अनुरोध है ।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि आपके पास सिंचाई विभाग में लाखों एकड़ जमीन पड़ी है । आपकी जानकारी में नहीं होगी और न आपके ये अधिकारी लाये होंगे । न्यौड़ा में 400–500 एकड़ जमीन पड़ी हुयी है । लोग उस पर कब्जा करते चले जा रहे हैं । इसी तरह से प्रदेश में अन्य जगहों पर नहर विभाग की जमीन पर लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं जिसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी आपको नहीं है । मेरा निवेदन है कि उस जमीन का सही उपयोग होना चाहिये ।

मान्यवर, इनका कोई पुल बनाने का सिद्धान्त है । जब कोई माननीय सदस्य पुल बनाने के लिये कहता है तो कह देते हैं कि एक किलोमीटर के अंदर नहीं बन सकता । अब वह चाहे जितना महत्वपूर्ण मामला हो, लेकिन पुल नहीं बन सकता । तो निवेदन है कि वहां के गावों की आवश्यकता और महत्व को

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

देखकर उसको करना चाहिये । यह सिद्धान्त कि एक किलोमीटर के भीतर दूसरा पुल नहीं बनेगा, इसको बदल दें । तो जहां आवश्यकता हो, चकबन्दी रोड हो या उस पुल का वहां के विकास के लिये महत्व हो, तो उसको जरूर बनाया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी आप अपने विभाग को चुस्त करें । यदि आप इस विभाग को मजबूत नहीं करेंगे तो यह विभाग तो डूबेगा ही, आपको भी ले डूबेगा और देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के प्रस्ताव के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं । विरोध पक्ष के साथियों ने जो कहा, उनकी भावनाओं को हम महसूस करते हैं । मान्यवर, सिंचाई मन्त्री ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है कि जिसके नाम से ही उनकी योग्यता प्रकट होती है । वह वीर भी हैं और बहादुर भी हैं । इसलिये लगता है कि जो विरोधी पक्ष के साथियों की जो शंकायें हैं, वे अवश्य दूर होंगी । अब उसमें एक बात देखना पड़ेगा । पहले वाले मन्त्री जी सामने उधर बैठे थे और दूसरे मन्त्री इधर बैठे हैं जो कि इस समय बागडोर सम्भाले हैं । पहले जो गड़बड़ियां हो गयीं, मैं अपेक्षा करता हूं और आप लोग भी अपेक्षा करते होंगे कि गड़बड़ियां चाहे जिनके शासन में हुयी हों, वे नहीं होनी चाहिये । इसी भाव संहित में इस बजट का समर्थन करता हूं । इसी के साथ मेरे कुछ सुझाव भी हैं जिनकी तरफ मुझे आशा है कि आप जरूर ख्याल करेंगे और आपके नेतत्व में वे पूरे किये जायेंगे ।

अभी बाढ़ आयी थी । बाढ़ का सामना जो आपने किया उसमें तकलीफ तो लोगों को हुई लेकिन आप के दिये हुए राहत कार्य की प्रशंसा भी है । मैं उसकी ओर भी ध्यान दिलाना अपना फर्ज समझता हूं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आपने एक संकल्प लिया है । वह है फ्लड प्लेन जोनिंग ऐक्ट की कल्पना फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो किनारे बसे हुए लोग हैं, उनकी विपदा समाप्त करने के लिए कोई नियम बना दें और उनके बसने की कोई समुचित व्यवस्था कर दें ताकि हमेशा, हर वर्ष जो शासन का रुपया व्यय होता है, वह बच सके । इसके साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको बधाई देता हूं, अभी एक साथी ने कहा हरियाणा जल विवाद में मुख्य मंत्रियों ने समझौता कर लिया है । मैं आपको और माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इस पर आप लोगों ने प्रयास करके हरियाणा के साथ जो पहले का समझौता था उसको पुनः खुलवाया है और फिर से विचार जारी हो गया है । इसके साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं आपके विभाग के सम्बन्ध में । आपके विभाग के अन्दर फ्लड के सम्बन्ध में कुछ विसंगतियां हैं । एक विसंगति अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं । 1965 में आज से 15 साल पहले केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री माननीय के0 एल0 राव ने एक शिलान्यास किया । लेकिन 15 वर्ष पहले जो शिलान्यास किया गया था हंडिया तहसील में गोड़री बांध और रेगुलेटर का, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया । वह राजनीतिक और लाल-फीताशाही का शिकार हो गया । इलाहाबाद में लीलपुर में जो कछार के सम्बन्ध में

योजना चलायी जा रही है जिस पर कुछ धन खर्च किया गया लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया । उस समय के सिंचाई मन्त्री नाराज हो गये थे । जनसंघ और बी0 के0 डी0 की गोलबन्दी थी, वह जनसंघ की गोलबन्दी में पड़ता था इसलिए छोड़ दिया गया । आपसे अपेक्षा ह कि आप इस ओर ध्यान देंगे । आप अपने विभाग में कछ सुधार लाएं । जो आपके नियम, कानून बने हुए ह, बहुत पुराने बने ह, कमांड एरिया के, या नौकरी के या पुलिया बनान के, विभाग के नियमों और परिनियमों में संशोधन का निश्चय करें । इसके साथ एक चीज और कहना चाहता हूं नलकूप के बारे में । नलकूप को जितनी बिजली मिलती है और जो उसका रख-रखाव है, उसको देखते हुए कमांड एरिया कम करें । इतनी सिंचाई आपके नलकूप नहीं दे सकते, बिजली की उपलब्धता कम रहेगी । साथ ही साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में एक बात कहूगा । हमारे यहां शारदा सहायक पम्प कैनाल जा रही ह । दोनों तरफ से किसान मारे जा रहे हैं । आप लेते ह जमान और जमीन लेने में किसान को तकलीफ होती है । आप मुआविजा देते हैं । कोई ऐसा तरीका बना दें जो जमीन आप लें आप शासन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई ऐसी व्यवस्था करा दें कि जो जमीन आप लें उसका मुआविजा किसान से करें जमीन के बदले में जमीन दी जाय या नौकरी दी जाय। यह व्यवस्था करें । जो बिना जमीन वाला हो जाता है उसके परिवार वाले को सिंचाई विभाग में नौकरी मिल सके तो आप का नाम होगा । पांच साल आप सिंचाई मन्त्री रहेंगे । पता नहीं उसके बाद कौन रहे । इसलिए आपकी इसमें यश-कीर्ति होगी ।

पहले शासन ने हमारे यहां ज्ञानपुर लिफ्ट कैनाल पम्प बना दिया है । अभी नियम है कि जहां से पानी लिया जाता है उसका नाम वह रखा जाता ह । लेकिन पानी लिया जाता है हंडिया तहसील में किन्हुनी गांव से और नाम उसका ज्ञानपुर रखा गया है, यह विसंगति दूर करें । मै उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम चीजों को दूर करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं । आज सदन के पटल पर इस प्रदेश के सिंचाई मन्त्री जी ने जो सिंचाई का बजट रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और हमारे विरोध पक्ष से जिस भाई ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसकी मैं घोर निन्दा और भर्त्सना करता हूं ।

[समय 3 बजें अपराह्न]

मान्यवर, निस्संदेह माननीय सिंचाई मन्त्री एक नौजवान ओजस्वी मन्त्री हैं, जैसी उन्होंने घोषणा की है कि मैं इस सिंचाई विभाग से भ्रष्टाचार को दूर कर दूंगा, मुझे विश्वास है कि उनकी घोषणा में कुछ दम है और वह अपनी घोषणा पर अमल करेंगे क्योंकि श्री वीर बहादुर सिंह पिछले 20 वर्षों से हमारे मित्र रहे हैं । उनकी ईमानदारी के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि वह ऐसा कर गुजरेंगें । मगर मान्यवर, इस घोषणा की लाज रखना माननीय मन्त्री जी

[श्री श्याम लाल बाजपेयी—]

का परम कर्तव्य है । मैं यह उस दिन समझूंगा जब इस प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर होगा, जिस दिन जो यह दानवी सेना है उससे कम से कम 10 इक्जीक्यूटिव इंजीनियर और 15 सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जब यहाँ पर निलम्बित किये जायेंगें और माननीय मन्त्री जी घोषणा करेंगें कि मैंने अपने हस्ताक्षरों से उनको निलम्बित किया है तब मैं समझूंगा कि उनकी घोषणा ठीक थी ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें ।)

मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र माननीय मन्त्री जी इस चीज को कर दिखायेंगें क्योंकि उनके ऊपर सिफारिश और दबाव का असर नहीं पड़ता है । मान्यवर, यह प्रदेश जो है सिंचाई से बहुत वर्षों से वन्चित है । बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं इस प्रदेश के अन्दर जहां पर अभी पानी की लहर को देना है । मैं मान्यवर, बुन्देलखंड की बात क्या करूं, मैं तो अपने बाराबंकी जनपद की बात कर रहा हूं जो लखनऊ की नाक के नीचे है । मगर पानी के नाम पर मिंमियाता और घिघियाता है । क्योंकि आपके जो इक्जीक्युटिव इंजीनियर हैं, शहंशाह, सम्राट और नवाबी युग बीत गया लेकिन यह अधिकारी जो नवाब, सम्राट और शहंशाह बने बैठे हैं उनके सामने हम विधायक मच्छर से ज्यादा नहीं हैं । इस सम्मानित सदन के सम्मानित विधायक इन अफसरों और इंजीनियरों के सामने कोई वकत नहीं रखते । यह इंजीनियर, अफसर कहते हैं कि यह खद्दर धारी चिरकुट आये हैं, आज आये ह कल चले जायेंगें । मैं तो इस धरती का परमानेंट बाशिन्दा हूं । हम टेंपरेरी हैं और यह परमानेंट हैं ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

अधिष्ठाता महोदय, आपने सारा जीवन राजनीति में खपा दिया, आपने गवर्नमेंट देखीं हैं, मैं आपके माध्यम से अपने वर्तमान सिंचाई मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि विधायकों के सम्मान की रक्षा अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा । आप जब तक सिंचाई मन्त्री हैं तब तक यह इंजीनियर और अफसर आपको सर कहते हैं लेकिन बाद में वह सबसे पहले आपको टर्रं दिखायेंगें । वह तो कहते हैं कि मैं तो परमानेंट बाशिन्दा हूं और आपको यह टेंपरेरी समझते हैं । मान्यवर, भ्रष्टाचार की जहां तक बात है तो मान्यवर, पी० डब्लू० डी० में पैसा कंकड, पत्थर और तारकोल के नाम पर निकल जाता है लेकिन यहां पर तो समुद्र है पैसा पानी में यह इंजीनियर डाल देंगें, पानी कागज पर आया और चला गया और बजट टिलो-टिलो । अगला बजट फिर फरवरी में आ जायगा और इन बाशिन्दों की जय जयकार फिर करनी पड़ेगी । तो मान्यवर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि फैजाबाद मण्डल की जो मीटिंग हुयी थी जिसमें नहरों, साइफनों और नालियों की बात किया था उसके सम्बन्ध में कृपया मन्त्री जी अपने अधिकारियों से कहदें कि हैदरगढ़ क्षेत्र को दुरुस्त कर दें तो ठीक होगा ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि 14 नलकूपों के बारे में मैंने आपसे कहा था । चूंकि हैदरगढ़ बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है और कांग्रेस पार्टी से वहां से तीन व्यक्ति जीतने वाले हैं, उनमें सर्वाधिक मतों से जीतने वालों में मैं हूं, इसलिये कांग्रेस के नाम पर जो मैं जीता हूं और श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां घोषणा किया था कि यह बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिये श्रीमती इन्दिरा गांधी के शब्दों की लाज यदि आपको है, तो आप अपने अधिकारियों से कह द कि वहां के विधायक, श्री श्याम लाल बाजपेयी हैं, तो पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते वहां नलकूप लगवायें । मैंने आपसे

कहा था कि वहां के इंजीनियरों को बदल दें, लेकिन मेरी प्रार्थना को माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार नहीं किया । इसलिये मालूम होता है कि आप भी उनके सामने नतमस्तक हो गये हैं, लेकिन ऐसा न करें प्यारे ।

(हंसी)

मान्यवर, यह किसी द्वेष की भावना से बात नहीं कर रहा हूं बल्कि यह पीड़ा है उन लोगों की जिन्होंने आपको मत देकर आपको और हमको यहां बिठाया है । उनके प्रति जो आपको भावना होनी चाहिये और जो हमारा आपका दायित्व है यदि वह नहीं निभाया तो यहां सदन में बैठना नहीं चाहिये इसलिये मान्यवर, जो हमारी भावना है और जो दायित्व है वह पूरा करना चाहिये । मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी से जो निवेदन है वह तो है ही लेकिन भ्रष्टाचार निवारण के लिये माननीय मन्त्री जी इस दानवी सेना के और पापियों के निलम्बन के आदेश हम देखना चाहते हैं । यदि यह नहीं होगा तो आपको उभरती हुई तस्वीर जो है वह भी आपको कलंकित करने लगेगी, तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी । इसलिये मुझे यकीन है कि इस दानवी सेना पर आपका तीर जरूर चलेगा । अन्त में मैं प्यारे मन्त्री जी द्वारा रखे हुये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की घोर निन्दा, घोर निन्दा, घोर निन्दा करता हूं ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर अपने अधिकारों को रखने का अवसर मुझे प्रदान किया ।

मान्यवर, जितनी भी नदियां हमारे इस प्रदेश में गुजरती है वह सब पहाड़ों से आ रही हैं । जिन पहाड़ों से यह नदियां आ रही है वह पहाड़ आज पानी के लिए तरस रहे हैं और चाहे वह पानी पीने के लिये हो या सिंचाई के लिये हो । मान्यवर, सिंचाई विभाग के मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसको देखकर, इस सम्बन्ध में जो पुस्तकें हमको दिये गये हैं उनको देखकर हमारी तबियत खुश हुई जा रही है । लेकिन मान्यवर, आप देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में तो उल्टी गंगा बह रही है ।

(सदन से बिजली चली गयी)

(बिजली आने पर)

आप के माध्यम से अपने उस क्षेत्र की बात कह रहा हूं जहां से उत्तर प्रदेश के मैदानी हिस्सों में सारी नदियां बह कर आती हैं । मैं कह रहा था कि पर्वतीय क्षेत्र में उल्टी गंगा बह रही है जहां, मान्यवर, हैंड पम्प और टेल ऊपर । नहर पूर्ण दिखाई गई है । हम कई बार उच्च अधिकारियों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—]

वहां ले गये और उन को बताया कि नहरें ऐसी बन रही हैं। इससे तो हमारे गांव के लोग जो बिल्कुल अनपढ़ हैं वहां पर पनचक्की चलाते ह उसके लिये गूल बनाते ह जो बहुत अच्छी रहती है। कहने का मतलब यह है कि इन इंजीनियरों से तो हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे ह कि जिनकी पनचक्कियां गूलों के द्वारा बदस्तूर चलती हैं। मेरा कहना यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में उल्टी गंगा बहाई जा रही है। अधिकांश नहरें आप को बंजर मिलेंगी। उदाहरण-स्वरूप मेरे क्षेत्र में विकास खंड सल्ट में एक नहर है बनराणा और एक नहर ह नीगांव में, तड़ाखेत विकास खण्ड के अन्तर्गत। उन में कितना ही रुपया खर्च कर दिया गया है लेकिन मान्यवर जब हेड नीचे और टेल ऊपर हो गई तो पानी कैसे चढ़ेगा।

इस विकास के युग में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का प्रविधान है। मेरे क्षेत्र में भी कुछ लिफ्ट योजना चलाई जा रही हैं। मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद में इन्डो-जरमन कृषि विकास परियोजना चली। उस परियोजना के माध्यम से गांवों म नहरें बनाई गई। नहरें बनाई गई लेकिन आज तक वहां पर लिफ्ट योजना की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

इसके अलावा हल्द्वानी के पास जमरानी बांध बना है जिसका जिक्र इस पुस्तक में भी किया गया है। जमरानी बांध के लिए लगभग 82 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मान्यवर, इस बांध को अगर आप देखें, मेरा सिंचाई मन्त्री जी को उसे देखने का निमन्त्रण ह, इसमें लगभग पचास हजार कट्टे सिमेंट खर्च किये गये हैं जब कि ज्यादा से ज्यादा आठ-दस हजार कट्टे सीमेंट खर्च हुये हैं बाकी जो सिमेंट था उससे हल्द्वानी, कालाढुंगी में तमाम इमारतें बनी हुई ह और भी पर्वतीय अंचलों में जितने मकान बन रहे हैं यहां तक कि चूल्हे तक सीमेंट के बन रहे हैं सब सिंचाई विभाग की ओर से बन रहे ह, उसी से वह सीमेंट लिया जाता ह।

इसके अलावा, मान्यवर, मेरा सिंचाई मंत्री जी से एक सुझाव यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में छोट-छोट तालाब बनाय जायं, कच्च तालाब, पक्के नहीं क्योंकि पक्कों में जो सीमेंट लगता है उसे खा जाते हैं। इससे कुछ पानी भी रुकेगा और कच्ची गूलें भी बनेंगी जिससे वहां की भूमि सिंचित की जा सके।

इस के अलावा, मान्यवर, आप की टिहरी बांध योजना बन रही है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं सारे पहाड़ की ओर से बोल रहा हूं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध ह कि मुझे कुछ समय और दें। मैं आप से कम पढ़ा लिखा भी हूं, बोलना सीख रहा हूं। इसलिए मुझे समय दिया जाय।

मान्यवर, टेहरी बांध परियोजना बन रही हैं अब जिसमें 82 गांव प्रभावित हैं। जब आप उनकी वहां से हट रहे हैं जो पढ़ियों से वहां बसे हुए थे तो उनक बसाने की भी व्यवस्था होनी चहिये। मुझे इस बात का भी खतरा है कि बरसात होने पर बांधों में दरार पड़ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। लिहाजा टेहरी बांध परियोजना जो एशिया में सबसे बड़ी हैं यदि उसमें दरार पड़ गयी तो हरद्वार से लेकर बारिस तक के गांव नहीं बच सकेंगे जहां से गंगा जी निकलेंगी। लिहाजा इस योजना पर फिर से विचार किया

जाय । मैदानी इलाके में जो शहरों का गन्दा पानी है उसे नदियों में न डाल कर खेतों की ओर मोड़ दिया जाय तो उससे पैदावार बढ़ेगी । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । खेती के लिये पानी की नितान्त आवश्यकता होती है । इसलिये जरूरी है कि जो हमारा गन्दा पानी है उसका पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय । मेरा एक सुझाव यह है कि वर्षों से बेलदार सिंचाई विभाग के अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं और जे० ई० तथा इंजीनियर का चूल्हा चौका करते हैं, अफसरों का सामान ढोते हैं । मेरा निवेदन है कि उनको स्थायी किया जाय । मेरे क्षेत्र में सशालगड्डी उपजाऊ भूमि को काट रही है । एक एकड़ का काश्तकार वहां बड़ा काश्तकार माना जाता है लेकिन इस नदी के द्वारा वहां की उपजाऊ भूमि कटती जा रही है । इसको कटने से रोकने का व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ में जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं

*श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश की प्रगति का जो रास्ता है उस रास्ते को मजबूत बनाने के लिये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सिंचाई विभाग की सिंचाई क्षमता जोड़ता है । सिंचाई विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है खेतों को सिंचित करना जिसके लिये कांग्रेस के जमाने में बड़ी-बड़ी योजनायें चलाई गयी थी लेकिन आज जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है माननीय रियासत हुसैन साहब के जरिये, जिस प्रकार जनता पार्टी की सरकार ने सारी योजनाओं को समाप्त कर दिया था, उसी प्रकार शायद वही मंसूबा आज भी उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है । सिंचाई मंत्री महोदय को मैं इस बात के लिये बधाई देता हूं कि आज तक जो इस बात की व्यवस्था नहीं थी कि जो ट्यूबवेल्स के द्वारा अथवा नहर के जरिये सिंचाई होती थी दोनों स्तर के किसानों की जो धनराशि है उसे एक कर दिया है । जहां तक ट्यूबवेल्स की बात है 1320 ट्यूबवेल्स यह सरकार बनाने जा रही है लेकिन जो पहले से सरकारी तौर तरीका चला आता है, अनियमितताएं होती आ रही हैं वह पुनः न दोहराई जायं जैसे जिस जगह ट्यूबवेल लगना चाहिये उस जगह न लगा कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है । हमारे प्रदेश में 1 लाख 72 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित भूमि है लेकिन हम केवल 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर पाते हैं और 50 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित नहीं कर पाते ।

आज जरूरत इस बात की है कि इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाये जायं और योजनायें बनायी जायं कि किस तरीके से तमाम जमीनों की सिंचाई की जा सके और उनमें किस तरीके से क्षमता लाई जा सके । इसीलिये आज हमारे प्रदेश में एक्शोर्ड इर्रीगेशन की आवश्यकता है जिससे कि हमारे ट्यूबवेल 100 या 200 एकड़ जमीन की सिंचाई कर सके और एक ट्यूबवेल को इतनी एक्शोर्ड सिंचन क्षमता होना चाहिए । इसका प्राविधान मंत्री जी को करना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि इस विभाग के अन्दर नहरें आती हैं । अभी माननीय ओझा जी कह रहे थे । मैं कहता हूं कि शारदा सहायक परियोजना में जिसका कार्य सन् 82 में पूर्ण हो जाना था वह सन् 86 तक बन पायेगी । यह बहुत ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भोला पाण्डेय---]

अकर्मण्यता का प्रतीक है । इसकी मूल जड़ में कोआर्डिनेशन की भावना का अभाव है । हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उनमें भी कोआर्डिनेशन होना चाहिए । अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि इस विभाग के अन्दर बहुत भ्रष्टाचार है । मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन हमें यह भी इन्कार नहीं करना चाहिए कि यह विरासत जो हमें मिली है वह पिछली लोकदल और जनता पार्टी की सरकार से मिली है...(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

मान्यवर, बाढ़ की समस्या का समाधान करना सिंचाई विभाग का काम है । इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि बाढ़ पूरे प्रदेश के अन्दर एक दैवी आपदा है जिससे निपटना सिंचाई विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है । मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से एक सूबे के अन्दर बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय बना हुआ है उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के अन्दर भी बाढ़ जैसी दैवी आपदाओं से निपटने के लिये अलग से एक बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय होना चाहिए ।

मान्यवर, मैं बलिया जिले के दोआबा क्षेत्र से आता हूं । मेरा क्षेत्र गंगा और घाघरा नदी के बीच में है । उस क्षेत्र में दोनों तरफ से पानी आता है और लगभग पूरा क्षेत्र जलप्लावन हो जाता है । उसके निकासी की अभी तक कोई ठोस योजना सरकार द्वारा नहीं बनायी गई है, जिससे वहां के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से राहत मिल सके । मैं मांग करूंगा कि मंत्री जी वहां जायं । एक बार वे वहां गये भी थे और उन्होंने निरीक्षण भी किया था । मैं चाहता हूं कि वे उस क्षेत्र में एक मजबूत बांध बनाने की व्यवस्था करें जिससे हमेशा के लिये लोगों को बाढ़ से राहत दिलायी जा सके । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर एक बैरिया संसार टोला में एक बांध बन रहा था लेकिन एक भूतपूर्व विधायक के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण वह रोक दिया गया । उसकी वजह से 20/25 गांव उस बंधे के भीतर आने से छूट गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस बंधे के अन्दर इन गांवों को भी समाहित करने का कष्ट करें ।

इसके अतिरिक्त मैं स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, इसके लिये जरूरी है कि हम अपने यहां की बनी चीजों से ही काम लें । हिन्दुस्तान ट्रेक्टर जो हमारी यहां की कम्पनी है वहीं से मशीनरी लें । किसी विदेशी फैक्टरी रूमानिया से उसे मंगाने की बात कही गई है, मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं । विदेशी वस्तुओं को मंगा कर इस कृषि प्रधान देश में उनका उपयोग न किया जाय । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि चाहे वह सारदा सहायक परियोजना हो, चाहे गंडक परियोजना हो या राम गंगा परियोजना हो उससे अन्दर जो विगत तीन वर्षों में घोटाले किये गये हैं चाहे वह अधिकारियों द्वारा किये गये हों या मन्त्रियों द्वारा किये गये हों उनकी जांच करने के लिए कमीशन बैठाया जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती कोई न कर सके ।

मैंने कई बार अपने जिले के बारे में शिकायत की माननीय मन्त्री जी को लिख कर भी दिया पतेरा कटोला में जहां से पाठक जी जीत कर आये हैं वहां पर बांध बनाया जाय । वहां पर बड़ी समस्या लोगों को है उसका समाधान किया जाय । मैं निवेदन करूंगा अपने विरोधी पक्ष के लोगों से जिन्होंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे वापस ले लें मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और प्रदेश की

प्रगति के लिए सिंचाई विभाग की प्रशासनिक क्षमता बढ़ायी जाय और इसकी अनियमितताओं को रोका जाय ।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के अनुदानों पर बोलने का मौका दिया । मैं बहुत देर से दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की बातें सुन रहा था और खासकर मैंने कटौती के प्रस्ताव पर गौर किया तो मुझे एक दृश्य याद आया । यहां पर जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने रामलीला जरूर देखी होगी । रामलीला में राम रावण और सीता को जब पर्दे के बाहर देखते हैं तो कुछ और रूप होता है और जब पर्दे के भीतर देखते हैं तो राम रावण का पैर दबाता हुआ और सीता को बीड़ी पीते हुए देखते हैं । तो उनका कटौती का प्रस्ताव भी ठीक उसी तरह का है बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है । मैं कहना चाहता हूं कि हमें जनता के दर्द का पूरा एहसास आपको भी है । जो जनप्रतिनिधि होकर हम यहां आये हैं इसलिए यहां पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रदेश स्तर पर उनका हल ढूंढने का प्रयास करें । योजनाओं को किस प्रकार धरती पर उतारा जाय यह हमारा इरादा भी है । इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सब में इसके लिए कंस्ट्रक्टिव एप्रोच होना चाहिये मगर डिस्ट्रक्टिव नहीं । यह दुर्भाग्य है कि हमारे विरोधी दलों का जो एप्रोच है, जिस प्रकार वह सदन में बातें रखते हैं वह कदापि कंस्ट्रक्टिव नहीं है । आप भी सत्ता में आये थे, जनता ने आपको चुन कर भेजा था लेकिन आपने देखा कि आपके कमालनामें से जनता ने आपको उतार कर धरती पर बैठा दिया ।

मैं मंत्री जी की सिंचाई विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सर्वप्रथम सबसे बड़ी समस्या जो है वह वाटर लौगिंग की है । वाटर लौगिंग का मुख्य कारण जो मैं समझ सका हूं वह यह है कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट के वर्क होते हैं चाहे वह सड़कों का निर्माण हो, चाहे ट्यूब वेलों की नालियों का हो, चाहे वह नहरों का हो उनको बनाने में वहां की टोपोग्राफी को हमारे इंजीनियर साहबान नजरअंदाज करके काम शुरू करते हैं । और उसको बदल दे रहे हैं । नतीजा यह होता है कि जो नालियां बनती हैं उनके बनाते समय उस इलाके की जमीन के नेचुरल फ्लो पर ध्यान नहीं जाता है । इलाके में तो पानी भर जाता है क्योंकि वह नालियां बंधा का काम करती हैं व दूसरे इलाके के पानी का बहाव रोक देती है । मेरा निश्चित मत है कि जब तक प्रदेश में सारे डेवलपमेंट के काम करने वाले विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं होगा, आपकी वाटर लागिंग की समस्या प्रदेश में हल होने वाली नहीं है । मेरा मत है इस समस्या को समाप्त करने के लिए प्रदेश में एक ड्रेनेज लागिंग कारपोरेशन का निर्माण किया जाना चाहिए, जो सारे प्रदेश में इस समस्या का विस्तृत अध्ययन करे और उसके बाद वह राय दे कि यह काम कैसे हो, समस्या कैसे हल हो और उसका कराये ताकि पानी के नेचुरल बहाव के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को योजनाबद्ध तरीके से दूर किया जा सके । मान्यवर, इस बीच जितनी भी सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे वह खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत हुआ हो, उन सड़कों पर मिट्टी पड़ती चली गई, लेकिन पानी निकासी की कोई

[श्री प्रियदर्शी जेतली--]

व्यवस्था नहीं सोची गई । मैं मन्त्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस समस्या को अपने कार्यकाल में किसी हद तक हल कराने का रास्ता बता देंगे । यदि आप ऐसा कर सकें तो यह प्रदेश के लिए बड़े कल्याण का काम होगा और आने वाली पीढ़ी आपकी आभारी रहेगी ।

मान्यवर, नहरों के निर्माण में यह बात देखी कि उसके अन्तर्गत जो जमीनें ली जा रही हैं या ली गई ह, जिन किसानों की जमीन ली गई, उनको मुआवजा आज तक नहीं दिया गया । हमारे यहां भाउल ग्राम से नहर निकली ह, लेकिन मुआवजा आज तक काश्तकारों को नहीं दिया गया है, काश्तकार इधर-उधर घूम रहे हैं । इसके अलावा नहरों में आप इस बात की व्यवस्था नहीं कर सके कि उनमें पानी निकासी के लिए साईफन लगना चाहिए । मैं आपको ग्राम महराजगंज की बात कहना चाहता हूं, वहां एक नहर ग्राम के उत्तर से गई और दूसरी दक्षिण से निकाल कर आगे दोनों मिला दी गई फलतः उन दोनों नहरों के बीच के गांव डूब पड़ हैं । इसके लिए मैंने अधिकारियों को स्थिति देखने के लिए बुलाया था लेकिन आज तक उनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि अधिकारी लोग इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उसको कदापि बरदाश्त नहीं किया जाना चाहिये । अब मैं नलकूप से सिंचाई की क्षमता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पहले से लगे ट्यूब वेलों की कैपिसिटी कम हो चुकी है, पुराने ट्यूब वेल में उतना पानी अब नहीं आ रहा है, लेकिन आपने कमाण्ड एरिया अब भी उसका उतना ही कर रखा है । इसलिए यह निश्चित कर दिया जाए कि जिन ट्यूब वेल की कैपिसिटी, डिस्चार्ज कम हो चुका है, उनका कमांड एरिया निश्चित रूप से कम कर दिया जाय। चौथी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं ट्यूब वेल की नालियों की । उनको यदि आप देखें तो दुख होता है यह आज बनीं कल टूट कर खत्म हो जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं है । मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी नालियां जो बनने के 6 महीने बाद तक टूट जाएं, उसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । हम जिन चीजों को भ्रष्टाचार कहकर छोड़ देते हैं, उसको कोई वजन नहीं देते हैं, यह देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आपको चाहिए यह कि इस प्रकार के कार्यों को देशद्रोह मानकर भ्रष्टाचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर, तो निश्चित रूप से एक नया युग ला सकता है और हम भ्रष्टाचार को कारगर तरीके से रोक सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी के इस अनुदान के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री धर्मवीर सिंह--

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

यदि आपकी तबियत ठीक न हो तो आप बैठ कर बोल सकते हैं ?

श्री धर्मवीर सिंह--

माननीय, चूंकि मेरी तबियत ठीक नहीं है इसलिए मैं अपने क्षेत्र की ही 2-1 बातें कहना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मेरठ में मैं बरनावा क्षेत्र से चुनकर आया हूं और यह मेरा लगातार पांचवा टर्म है जो मैं वहां से चुनकर आया हूं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 100 फीसदी सिंचाई ट्यूबवेल्स से होती है और नहरों का उस क्षेत्र में कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिसके कारण वहां पर लगातार ग्राउंड वाटर लेविल हर साल 1 मीटर नीचे गिरता जा रहा है और आज स्थिति यह है कि वहां के कुओं की गहराई लगभग 80 फुट हो गयी है । मैंने इसके लिए प्रयास भी किया था कि वहां पर एक नहर निकाली जाय जिसको ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने रिकमेंड भी किया था कि वहां पर नहर बनायी जाय जिससे पानी का लेविल ऊपर आ जाय, वित्त व्यय समिति से भी उसको क्लियरेन्स मिला गया था और बजट में 5 करोड़ रुपये का प्राविधान भी कर दिया गया था । यह स्कीम हिन्दन-कृष्णा दोआबे के नाम से चालू होने वाली थी और जिसमें 11 लाख रुपया खर्च भी हो चुका था और 50 लाख रुपये का सामान भी साइट (मौके) पर पड़ा हुआ है लेकिन मुझे जानकारी मिली है, निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह ठीक है या नहीं, कि इस स्कीम को स्थगित किया जा रहा है और वहां पर नहर बनाने की योजना को समाप्त किया जा रहा है । मुझे यह भी मालूम हुआ है कि एक्सपर्ट्स बौडी की पिछले महीने 29 तारीख को कोई मीटिंग हुयी थी उसमें भी उन्होंने रिकमैन्ड किया था कि इस स्कीम को अवश्य लागू किया जाना चाहिए । अगर इसको लागू नहीं करते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से 5-6 वर्ष के बाद उस जगह के लोग भागने वाले हैं क्योंकि पीने के पानी की वहां पर सुविधा नहीं रह जायेगी । मगर आप गर्मियों के दिनों में मई और जून के महीनों म वहां जाकर देखें तो पायेंग कि वहां के लोग बैरेल्स में पानी इक्ट्ठा कर लेते हैं ट्यूबवेल्स से ताकि उन्हें रोजाना के पानी के प्रयोग में सुविधा हो सके । तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको किसी राजनैतिक आधार पर न देखें । आखिरकार वे प्रदेश भर के सिंचाई मंत्री हैं और उन्हें पूरे प्रदेश की स्थिति को देखना चाहिए । इसलिए मेरा मंत्री जी से बड़ा ही विनम्र निवेदन है कि इस स्कीम को व्यक्तिगत रूप से देखें और हिन्दन और कृष्ण दोआब की जो स्कीम है नहर की, उसको स्थगित न करें और चालू रखें ।

श्रीमती बेनी बाई--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्व-पूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री ने इस आदरणीय सदन के समक्ष आज जो सिंचाई का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं हृदय से स्वगत करती हूं । मान्यवर, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर 85 प्रतिशत जनसंख्या निवास गांवों में करती है जिसका मुख्य उद्यम खेती है । मान्यवर, बुन्देलखंड में यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिए जायं तो अकेला ही यह क्षत्र इस प्रदेश को बहुत गल्ला दे सकता है ।

झांसी जिले में 3 वर्ष पूर्व कांग्रेस के शासन काल में 5 योजनायें स्वीकृत हुयी थीं । जिनमें पहली मऊ रानीपुर तहसील में पुरार नदी पर बांध की, दूसरी लेचुरा में सकीट बांध, तीसरी लखेरी नदी पर बांध, चौथी रानीपुर के पास

[श्रीमती बेनीबाई--]

मरदा बांध और पांचवी झांसी तहसील में खपरैल बाँध । इन 5 डैम्स की पिछली सरकार ने घोषणा की थी लेकिन इस बजट में उनमें से एक भी स्कीम का जिक्र नहीं हैं । इनके अलावा नोटघाट म बेतवा नदी पर कोलमा और तेदोला गांव के समीप लिफ्ट इरीगेशन के लिए गांव सभो ने दो मशीने लगायी है लेकिन वह उनका आर्थिक व्यय वहन करने में असमर्थ है, इस कारण वे मशीनें वैसी ही पड़ी हैं । उन दोनों मशीनों को सिचाई विभाग अगर अपने अधीन ले ले तो उससे सैंकड़ों गांव में पानी उपलब्ध हो सकता हैं ।

हमारे यहाँ बड़े गांव में जो पम्प कैनाल चलती हैं और उसमें जो तीन मशीनें लगीं हे उनमें से केवल एक मशीन ही चलती, दो बन्द रहती हैं जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है । हमारे बड़े गांव में मटर की बहुत अच्छी फसल हो सकती है । अगर तीन मशीनों को चला दिया जाये तो काफी पानी मिलेगा और मटर की काफी उपज हो सकती है ।

चकबन्दी में गूलों के लिए जो जमीन ली गयी थी उसमें यह कहा गया था कि सिंचाई विभाग गूलें बनवायेगा । बाद में उस विभाग ने यह कह दिया कि किसान स्वयं गूले बनवायें । किसान स्वयं उनको नहीं बनवा सकता है क्योंकि वह सक्षम नहीं है । सिंचाई विभाग को ही उन गूलों को बनवाना चाहिए और उनके बनवाने में जो व्यय आये वह किसानों से ले लिया जाये ।

हमारे यहां बरुआ सागर में एक बड़ा तालाब हैं जहां से तीन नहरे निकलती हैं । हमारे यहाँ रबी, खरीफ और जायद यह तीन फसले होती हैं । इन नहरों से पानी बहुत कम निकलता है । अगर इनको 2 फिट गहरा और दो फुट ऊंचा करवा दिया जाये तो काफी पानी मिल सकता है ।

हमारे वहां सपरार डैम जो बना है, उस वक्त यह कहा गया था कि उससे जो जमीन निकलेगी वह वही के लोगों को दी जायेगी, मगर वह जमीन वन विभाग को दे दी गयी । वन विभाग ने उसमें जो पेड़ लगाये हैं वे सभी पानी में सड़ गये हैं और नष्ट हो गये हैं । इस पर खर्च हुआ लाखो रुपया बरबाद चला गया । अगर यह जमीन, जो बहुत ऊपजाऊ है, किसानों को दे दी जाये तो इससे काफी पैदावार हो सकती है और किसानों का भी भला हो सकता हैं । इसमें हजारों मन गल्ला पैदा हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समथन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री शम्भू नाथ--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग खेती ही करते हैं और यहां पर खेती के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता है जिसके लिए नलकूप व नहरों का होना बहुत जरूरी है । गाँव में जो भी नलकूप लगाया जाता है वह तुरन्त खराब हो जाता है और उससे लोगों को पानी नहीं मिलता । नहरों की भी हालत यह है कि उनसे भी पानी नहीं मिल पाता । जब जरूरत होती हैं तब नहरें पानी नहीं देतीं, जब फसल सूख जाती है, पानी की जरूरत नहीं होती, तब पानी दिया जाता है । मेरे क्षेत्र में, जहां से मैं चुन कर आता हूं, ट्यूबवेलों की बहुत ही कमी है । मैंने मंत्री जी से 15 ट्यूबवेल्स लगाने की माँग की हैं । मेरे क्षेत्र में पिकिया एवं छोटी सरजू नदी है जिसम 8

तालो का पानी आता है। बाढ़ का पानी भी उसी नदी में आता है। उसके कारण सारा गांव जलमग्न हो जाता है। इसलिए उस नदी की खुदाई बहुत आवश्यक है, उसे गहरा किया जाना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में कुछ नलकूप तो ऐसी जगह लगाये गये हैं जहां पानी ही नहीं है या बहुत कम है। उसको ठीक कराने की व्यवस्था करें। जहां तक सवाल है नहरों का, नहरें जिस गांव में शारदा कैनाल गयी है, वहां के गांव की किसानों की तमाम जमीन उन नहरों में चली गयी है। गांव के लोग जो कम खेतिहर हैं, वह उजड़ गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उन काश्तकारों को जिनके खेत नहरो में चले गये हैं, उस गांव की पुनः चकबन्दी करा कर जमीन दी जाय, यदि जमीन न दी जाय, तो उनका जितना हक बनता है, उनको मुआवजा दिया जाय। दूसरी बात जहां नहरों पर पुलिया बननी है, पुलिया ऐसी जगह बनती है, जहां से गांव से मतलब नहीं है। गांव के सामने पुलिया बननी चाहिए। इसके बाद जहां से वह निकलती है, जहां सर्वे होता है, वहां नहरें नहीं निकलती ह, बल्कि सर्वे कहीं होता है और नहरें कहीं निकलती हैं। इसलिए गांव की बात देखते हैं, गांव के प्रधान और लोगों की सहमति से नहरें निकाली जायं ताकि उस गाँव को कोई दिक्कत न हो। जहां पर शारदा कैनाल की नहरें निकाली गयी हैं, उसकी पटरी पक्की कराई जाय ताकि आवागमन की सुविधा हो सके। मेरे क्षेत्र में दो जगह पुलिया बनी है। मुझे यह देखने को मिला कि मेरे गांव में स्वयं पुलिया बनी और वे पुलिया अधूरी हैं। सीमेन्ट पुलिया में था ही नहीं। गांव वालों न रोका, ओवरसियर महोदय ने पुलिया का सारा पेमेंट कर दिया और पुलिया अधूरी पड़ी है। अब कहते हैं ओवरसियर महोदय कि अब मैं क्या करूं, पुलिया का निर्माण तो हो गया। फैजाबाद में इनईपुर में पुलिया बनी, जिस दिन पुलिया का उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिया टूट गयी। तो मैं मान्यवर मांग करता हूं कि जो पुलिया इंजीनियर, ओवरसियर, अधिशासी अभियंता या जिन लोगों ने उसको पास किया है, उनको तुरन्त सस्पेंड करने की कार्यवाही करें ताकि ऐसी धांधली न हो सके। जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, अवश्य भ्रष्टाचार इस विभाग में है। मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इस सिंचाई विभाग में एक

जीलेंस सेल की व्यवस्था करें ताकि वह विजीलेंस सेल स्वयं जाकर जांच करें और भ्रष्टाचार समाप्त हो। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी अपनी एक नीति निर्धारित करें कि हर गांव को पानी देना अत्यन्त आवश्यक है। जहां तक सवाल है तीन साल जनता पार्टी का, सूखे में इन लोगो ने देश को बरबाद कर दिया।

(व्यवधान)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, दो मिनट हमको भी तो मौका दे दें।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, नहरें कट जाती हैं, नहरों को काटते हैं, बड़े लोग, लेकिन फंसते ह गरीब लोग, मुलजिम बनते हैं। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि

[श्री शम्भूनाथ--]

गरीब लोग सताये न जायं । इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी के बजट का स्वागत करता हूं और विरोधी पार्टी से कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(श्री किरनपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर) (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शान्तिपूर्वक बैठें ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे माननीय सिंचाई मन्त्री जी के बजट पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जो सिंचाई मंत्री जी ने अनुदान मांगा है उसका मैं विरोध करता हूं और जो माननीय रियासत हुसैन ने कुछ विशेष कारणों से कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । मैं 3-4 दिनों से देख रहा हूं, जब आपका बजट आता है और वह पास होता है, तो दोनों तरफ के माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के ऊपर खूब खुलकर जोरशोर से बोला करते हैं ।

मान्यवर, (व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, 17 विधायक इन्डिपेन्डेन्ट रूप से चुनकर आये हैं, इनको भी तो मौका दिया जाना चाहिए । (व्यवधान) मान्यवर, हमारा व्यवस्था का प्रश्न हैं । जितने भी माननीय सदस्य अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, उनको अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष समय दे देते ह, बोलने का । अगर वह नहीं हैं तो आप उसी तरह से इधर के माननीय सदस्यों को भी समय दें, जो इन्डिपेन्डेन्ट माननीय सदस्य हैं, उनको भी समय दें (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं नियमों से भी और अपने विवेक से भी काम लेता हूं । जो कुछ आप कह रहे हैं, उसको मैं निरस्त करता हूं ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, आपके सिंचाई विभाग में बहुत से भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी हैं । इस विभाग के लिए (व्यवधान) जिन माननीय सदस्यों ने इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर तो प्रकाश डाला लेकिन (व्यवधान) मान्यवर, मैं तो यह समझता हूं कि जो भी भ्रष्ट कर्मचारी या आफिसर जनता के पैसे से खिलवाड़ करते हों, इसके लिए तो यह सभी मानते हैं कि इनको कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए । लेकिन मान्यवर, हरेक विभाग और सिंचाई विभाग में कुछ गिने-चुने ईमानदार कर्मचारी और अफसर भी हैं । लेकिन दुर्भाग्य उनका यह है कि वह ईमानदार कर्मचारी व अफसर अपने घरों में ही बैठकर अपना रोना रो लेते हैं और भ्रष्ट कर्मचारी या अफसर अपनी ऊंची-ऊंची सिफारिश लगाकर अच्छे-अच्छे स्थानों पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ ईमानदार आदमी को मौका नहीं मिलता और न ही उनकी इस

विशेषता को देखकर इन्हें कोई प्रमोशन या प्रोत्साहन वगैरह दिया जाता है। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ईमानदार कर्मचारियों और अधिकारियों को भ्रष्ट लोग प्रताड़ित और परेशान न करने पायें, ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाये (शोर) यह जिम्मेदारी किसी सही अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को सौंपी जाती रहनी चाहिए।

एक सदस्य––

कोई आपका आदमी हो, तो उसका नाम दे दीजिए।

श्री किरनपाल सिंह––

आप लोगों की तरह दलाली और चापलूसी नहीं करता। जैसा कि आप लोग करते हैं। 10–20 हजार रुपया लेकर इधर से उधर दलाली करके काम कराने का ठेका (व्यवधान) और कौन कर्मचारी कैसे हैं, सही या गलत हैं, उससे सांठ–गांठ कर और मंत्रियों के पास जाकर ट्रांसफर की दरख्वास्त करते रहते हैं। (शोर) आप 34 वर्ष की क्या बात करते हैं, इसके बारे में तो हमने कहा नहीं मैंने तो केवल शासन को कहा है। तीन और तेरह साल की बात नहीं कर रहा हूं। जो शासन में होता है, उसके लिए मैंने कहा। तो मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक परियोजना लागू हुयी मध्य गंगा परियोजना। उसका बजट 66·01 करोड़ रुपया का है और सन् 1976–77 में शुरू हुयी थी और मान्यवर, उस पर सन् 77–78 तक तो 1417·23 लाख रुपया व्यय हो चुका है और इस वर्ष लगभग 7 सौ लाख रुपया खर्च की मांग की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह नई परियोजना है उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है जितना काम दिखाया गया है, जहाँ तक मैंने देखा है उतना काम नहीं हुआ है। उसको आप जांच कराये और जो नक्शे नहरों के व नालियों के बनाये गये हैं नहर निकालने के लिये जिसमें इंजीनियर लोग किसानों से मिलकर अनापसनाप पैसा लेकर नक्शे को बदलते रहते ह इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि जो नक्शा पुख्ता हुआ हो उसको प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए जिससे इंजीनियर लोग किसानों से पैसा लेकर उसमें हेरफेर न कर सकें। सिंचाई कृषि के लिए परमावश्यक है। मैंने जैसा देखा 30–30 सालों में। 173–75 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो बोई जाती है और उसकी 50 प्रतिशत की सिंचाई का व्यवस्था हमारी सरकार कर पाई है यह अफसोस की बात है। मान्यवर, तीन चौथाई भूमि ऐसी है जिसमें खेती नहीं होती है। 1/8 भूमि में खेती होती है उसका भी 50 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था आज तक हो पाई है दुख की बात है। इसका कारण यह है कि आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने कृषि पर विशेष ध्यान नहीं दिया बल्कि गुलाब की खेती शहरों में फौवारों को लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। किसान की खेती और गेहूं का बाल पर ध्यान नहीं दिया, नदी, नहर व नालों पर ध्यान नहीं। मान्यवर एक चीज में यह कहना चाहता हूं कि जिन जगहों से सरकारी ट्यूबवेल निकाल लिये गये हैं उनको नालियां अब भी वहां पर मौजूद हैं उनको ईंटों का नीलाम ठेके पर कर दिया जाय। जो जमीन है वह आस–पास के किसानों को खेती के लिए दे दी जाय। क्योंकि किसान उन नालियों से आज परेशान हैं वह प्राइवेट ट्यूबवेल का पानी उन नालियों से नहीं ले जा सकता है और उससे गूल कर भी दर्ज कर दिया और लिया जाता है। मान्यवर, एक बात और मंत्री जी से कहना चाहता हूं मेरी जानकारी ह कि

[श्री किरनपाल सिंह--]

सिंचाई विभाग में फिजूलखर्ची बहुत है उस खच को आप रोकें। जैसे डाक बंगलों में अनापसनाप खर्च होता है उसमें लाखों रुपये प्रति वर्ष व्यय होता है मेरा निवेदन है कि आने वाले कुछ सालों तक इन इंसपेक्शन हाउसों को एक भी पैसा न दिया जाय क्योंकि उनके पर्दे और सोफे वही रहते हैं और पैसा निमित्त खा लिया जाता ह। इन शब्दों के साथ में माननीय रियासत हुसैन साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के इस आय-व्ययक के ऊपर चर्चा करने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। श्रीमन् हमारे सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं और दो एक सुझाव दे रहा हूं। पहले बात यह है कि म आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र से आता हूं और वहां पर निजामाबाद टौंस नदी से बिल्कुल मिला हुआ है। आप सब जानते हैं कि टौंस नदी में हर साल बाढ़ आती ह और बहुत बड़ी संख्या में बरबादी होती है। मेरा एक सुझाव ह कि टौंस नदी का बहादोपुर गांव म जो नाला है वहां एक बांध बनवाया जाये जिससे मझगवां, जमुलपुर और कौठिया जो घिर जाते हैं बाढ़ में और इस साल भी घिरे हुए है, वहां एक रेगुलेटर लगवा दिया जाये और बांध बनवा दिया जाये तो जनता का कल्याण होगा। गम्भीरबन ताल है जहां बहुत पानी इकट्ठा रहता है और इस साल तो गंगा जमुना की बाढ़ से ज्यादा हो गया और आस-पास के किसानों के खेत नष्ट हो गये। हमारा सुझाव है कि सिंचाई विभाग के लोग उस ताल से एक ड्रेन की खुदायी की जाय और पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय जिससे पचासों गांवों को बचाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शान्त रहें।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

आप हमारी बात सुनें। जब आप बोल रहे थे उस वक्त मैं कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन हमारी बात भी सुनिये। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सिंचाई विभाग के लिए जरूरी हो गया है कि शारदा सहायक के कामों पर विशेष रूप से दृष्टि डालें। आजमगढ़ म, 5-6-7 जिलों में इस पर काम हुआ है तो शारदा सहायक नहरों को देख-भाल करने के लिए अच्छे से अच्छे लोग भेजे जायें ताकि अच्छा काम हो जाये। 6 खण्ड ह आजमगढ़ में और जहां पर सुना जाता ह कि 20 हजार बोरी सीमेन्ट प्रतिवर्ष एक खण्ड को मिलती है। बड़ा व्यय होता है, भारी खर्चा ह, सारी चीजें हैं लेकिन पूरा का पूरा सीमेन्ट लगता नहीं। इसलिए सिंचाई मंत्री, कार्यकर्ता भी है, मंत्रा भी ह, इसको देखें। ट्यूबवेल के बारे म कहना है कि बजाये इसके कि नये ट्यूबवेल लगाये जायें, थोड़े दिन के लिए जो पुराने हैं उनका सर्वे करा लिया जाये। जहां तक मेरी जानकारी है अधिकतर हमारे यहां ट्यूबवेल बिल्कुल बेकार पड़े हैं। 6-6 महीने तक वहां कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए जरूरत है कमाण्ड एरिया कम कर दिया जाये दूसरे

देखभाल भी की जाये । आपरेटर रहते नहीं, गांव वाले उसे चलाते हैं, तो नये के स्थान पर जो बने हुए हैं उनकी देखभाल की जाय । मेरा मतलब यह नहीं कि नये को रोक दिया जाये.....

(शोर)

श्रीमन् ऐसी सभा यह है कि अगर कोई आदमी ठीक तरह से अपनी बात कहना चाहें तो कहने भी नहीं पाता । ऐसा आप लोगों का अभ्यास बना हुआ है । चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिए मैं जरूर चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के लोग जो नलकूप हैं उनका सर्वेक्षण करायें कि क्या खराबी ह और दुरुस्त करायें । नहरों पर पुलिया बनाना बड़ा आवश्यक है जब तक पुलिया नहीं बनेगी, ठीक से काम नहीं चलेगा । यह मुझे कहना था, इन शब्दों के साथ मैं जो बजट हैं, सिंचाई मन्त्री न जो रखा है, उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं ।

[समय 4 बजे अपराह्न]

श्री दीनानाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई विभाग के अनुदान पर बहस में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 54 प्रतिशत आमदनी खेती से होती है । बाढ़ और सिंचाई दोनों ही इसी विभाग से सम्बन्धित हैं । बस्ती जिला उत्तर में घाघरा से और दक्षिण में राप्ती की बाढ़ से ग्रस्त है । आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहराइच, गोन्डा, बस्ती, गोरखपुर, बलिया में यदि जलकुन्डी योजना कार्यान्वित कर दी जाये तो यह बाढ़ से बच जायेगा । मान्यवर, बस्ती जिले में सिंचाई के लिए नलकूपों की भी कमी है । बांसी विधान सभा क्षेत्र में राप्ती नदी का कटाव है । बंजरहा पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर काम किया और बाढ़ से बांसी विधान सभा क्षेत्र को बचाया । इसके लिए सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिनकी वजह से बंजरहा कटाव बचाया जा सका । सन् 1962 से बंजरहा कटान पर सिंचाई विभाग द्वारा कार्य हो रहा है । आजतक बंजरहा कटान पूरी तरह से रोका नहीं जा सका । यदि ठीक से कार्य किया गया होता और पक्का ठोकर लगाया होता तो बंजरहा कटान रुक गया होता । जब मिट्टी उपलब्ध नहीं होती है तब बेहया से वहां का कटान रोका जाता है । जब नदी सूख जाती है, पानी नहीं रह जाता तब नदी की धारा बदलने के लिए कार्य नहीं होता है । जब नदी भर जाती ह तो दूसरी तरफ से नावों पर बालू लाद कर लाया जाता है और कटान रोकने का प्रयास किया जाता ह । मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बंजरहा कटान पर सरकार का लगभग एक करोड़ रुपया खर्च हो गया है । यदि एक करोड़ रुपये के सिक्के के बोरे में बन्द करके रख दिया गया होता तो बंजरहा कटान रुक गया होता । मान्यवर, बंजरहा पर पक्का ठोकर लगाकर कटान को रोकने की योजना बनाई जाये ताकि वहां के रहने वालों को परमानेन्ट रिलीफ मिले । दूसरी बात बांसी पनघटिया बन्धा है । यह 32 किलो मीटर लम्बा है । ईंटों की सोलिंग हुई थी उसको निकाल कर कटान रोका गया । मैं माननीय

[श्री दीनानाथ--]

मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि 32 किलो मीटर बन्धे पर पुनः ईटों को सोलिंग को जाये जिससे बाढ़ के समय वर्षात में उस बन्धे का पूरा निरीक्षण किया जा सके। मान्यवर, एक बांध बांसी विधान सभा क्षेत्र में बाँसी-डुमरियागंज राप्ती नदी के किनारे है । उसके लिए शासन से धन भी स्वीकृत है लेकिन अभी तक उसपर काम नहीं हुआ । आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बांसी डुमरियागंज बांध पर भी काम शीघ्र प्रारम्भ किया जाये ताकि बांसी विधान सभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि बांसी विधान सभा क्षेत्र, इटवा, डुमरियागंज तथा खेसरहा विधान सभा क्षेत्र को भी बाढ़ से बचाया जा सके। मान्यवर, पत्थरताल में वाटरलागिंग की समस्या है । मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि पत्थरताल से वाटरलागिंग समस्या को समाप्त कर ।

मान्यवर, एक निवेदन यह करना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नलकूप नहीं लगाये गये । देश को आजाद हुये 32 साल हो गये । लेकिन बांसी पूरब में एक भी नलकूप नहीं लगाया गया । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि बांसी विधान सभा क्षेत्र में नलकूल लगाने की व्यवस्था मन्त्री महोदय करने की कृपा कर । मान्यवर, बांसी विधान सभा क्षेत्र बस्ती जिले का पुराना परम्परागत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए सिचाई की योजनायें बनानी होंगी । अतः निवेदन है कि नहरों के निकालने के मामले का कार्यान्वियन जल्दी हो सके ।

इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष से प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप लोग बैठ जायें ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, जो लोग रोज बोलते हैं, उन्हीं को रोज बोलने का मौका दिया जाता है । आखिर कोई नियम तो होना चाहिये ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको कटौती पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मेरा पहला निवेदन है कि जब अंग्रेज यहां से गये तो सारा नहर विभाग मुनाफे में चल रहा था । लेकिन आजादी के बाद इस 33 साल में यह नहर विभाग अब घाटे में चल रहा है । आखिर ऐसा क्यों है ?

मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि इस प्रदेश की जमीन बहुत उर्वरक है । लेकिन सिंचाई की व्यवस्था केवल 29 33 सैकड़ा ही है और यह भी अगर सरकार के आंकड़ों को यकीन भी करलें तो जहां गेहूं के लिए 5 पानी की आवश्यकता है, वे केवल 2 पानी की गारंटी करते हैं यानी केवल सूखे से रक्षा कर सकते हैं । नारे बहुत देते हैं लेकिन नारों से तो काम चलता नहीं क्योंकि नारे तो केवल संकेतात्मक होते हैं, नारे उत्पादन नहीं बढ़ा सकते । दूसरे ये कहते हैं कि उत्पादक

ही सिंचाई का इंतजाम करें। ये केवल रक्षात्मक सिंचाई से ही तोबा कर लेते हैं। तो जितनी सिंचित भूमि है, उसको सींचने के लिये कोई संकल्प नहीं है। हमारे समाजवादी दल के साथी ने कहा कि सूख की जमीन को सींच सकते हैं। अब वह कसे सींचगें कह नहीं सकता। हमने सवाल पूंछा तो माननीय मन्त्री जी ने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया। हमने कहा कि सरकार के पास ऐसी योजना है कि इस प्रकार से सरकार किस हिस्से को कैसे सींचेगी इसका कोई सर्वेक्षण कराये। सरकार को पता नहीं है कि कितनी जमीन असिंचित है और किस तरह से सिंचगी। कोई सर्वेक्षण आज तक नहीं हुआ कि किस जगह पर पानी जमीन के अन्दर अच्छा उपलब्ध है और नहर और नदी का पानी बांध से नहीं जा सकता है लिफ्ट करके भी नहीं आ सकता है तो ट्यूबवेल का सहारा लें। ट्यूबवेल के लिए पानी का लेबिल नीचे गिर गया है तो तालाब बनाएं। कौन सा तरीका कहां अपनाएं इसका सर्वे कराएं जिससे पुनरूक्ति न हो। ऐसा नहीं कि बिजली की लाइन भी चली जा रही है, ट्यूबवेल के लिए वहां नहर भी न चली जा रही है। कोई नियोजन नहीं है। इस सूबे में अनियोजित ढंग से सिंचाई चलाई जा रही है। सिंचाई का कोई लाभ नहीं है। आप प्रदेश की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई नहीं करते हैं। सरकार न स्वयं कहा है कि रक्षात्मक सिंचाई करते रहे हैं, अब प्रयास करगे कि उत्पादक सिंचाई करें। मेरा सरकार से पहला निवेदन यह है कि चार छः महीने में प्रदेश में जितने इंजीनियर हैं उनको लगा कर सारे सूबे का सर्वेक्षण करा लें कि कहां पर किस तरह से सिंचाई की जाय। किस जगह पर ट्यूबवेल लगायेंगे, किस जगह पर ग्रैविटी कैनाल से सिंचाई होगी, किस जगह पर एलेक्ट्रिकल कैनाल से सिंवाई होगी और किस जगह पर तालाब से सिंचाई होगी। जब चारों बातें तय हो जाय तब उसके लिए साधन जुटाने की बात हो। किसी जगह पर ट्यूबवेल लगाये गये, बाद म वहीं लिफ्ट कैनाल योजना या ग्रैविटी कैनाल योजना आ गयी जैसे प्रतापगढ़ या रायबरेली में आ गयी, जो ट्यूबवेल पर खर्च हुआ और जो बिजली की लाइन पड़ी, वह अनुत्पादक हो गया। उसके बाद पानी पहुंचेगा नहर से। तो सबसे पहले सारे प्रदेश के इंजीनियर्स को लगा कर छः महीने सारे प्रदेश का सर्वे करवा लें जो पोटेंशल हमारे यहां है। उसके बाद उसके अनुरूप कार्य हो।

बांध के सम्बन्ध में एक निवेदन कर दूं। हमारे और साथियों ने कहा, आपके जितने बंधे हैं, उससे जितनी सिंचाई होती है, वह घटे पर काम चला जाता है, हम खर्चे को बरदाश्त नहीं कर पाते। कारण क्या है? बांध बनाने में इतना अधिक समय लगाते हैं, बहुत से इंजीनियर बेकार बने रहते हैं क्योंकि सर्वे का काम बहुत दिनों तक चलता है और बनाने का काम थोड़े दिन चलता है। नतीजा यह होता है कि पैसे का अपव्यय होता है। श्री के0 एल0 राव केन्द्र में सिंचाई मन्त्री थे। उन्होंने एक बात बतायी कि चीन में एक बांध 80 दिन में बांध दिया जिसको हिन्दुस्तान में 13 वर्ष में बांधते। न जाने कितने मकान बनाने पड़ते हैं इंजीनियरों के रहने के लिए। वहां न इंजीनियरों के रहन के लिए इंतजाम करना पड़ा और 80 दिन में बांध बना दिया। शारदा नहर में न जाने कितने मकान बने पड़े हैं। बेकार पड़े हैं। यही हाल रामगंगा का है। जिस नहर या बांध की योजना को लिया जाय उसको एक या दो साल मे पूरा कर लिया जाय। हमारे यहां दस दस, बारह बारह साल हो जाते हैं लेकिन बांध फिर भी पूरे नहीं होते

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

हैं । इसमें खर्चा बहुत होता है । इसको बचाया जाय । सर्वेक्षण कराइये उसके बाद नियोजन करें कि पांच साल के अन्दर सूबे को किस तरह से सींच सकते हैं। मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं हमारे प्रदेश के अन्दर जमाने के अन्दर पानी बहुत है हिमालय से सतत बहने वाली नदियां हैं । इस वजह से यदि प्रदेश प्यासा रहे तो दुख की बात है । इस लिए मैं चाहूंगा कि भली प्रकार से नियोजन कर कि कहां किस साधन से सिंचाई हो सकती है, उसके अनुसार पांच साल के सिंचाई का नियोजन करें । इस विभाग पर रेवेन्यू का बोझ बहुत चल रहा है । रेवेन्यू का बोझ सरकार इस प्रकार हटाये कि पहले सरकार पानी देना निश्चित करे और उसके अनुसार रेवेन्यू के तौर पर टैक्स लगा दे और उसका अलग हिसाब रखे । जब जितना पानी दे तो उतना टैक्स ले और यह जो कर्मचारियों की फौज लगा रखी है इसको हटा कर दूसरी जगह लगा दे । इसी तरह से जो ट्यूबवेल सरकार लगाती है तो इन ट्यूबवेल्स को कोआपरेटिव में सरकार किसानों को सुपुर्द कर दे और प्रत्येक ट्यूबवेल का जो एरिया है चाहे 300 एकड़ से घटाकर 200 एकड़ कर दें लेकिन यह जो ट्यूबवेल्स हैं इनको किसानों के सुपुर्द कर दें । भविष्य में जो ट्यूबवेल्स लगायें जायं उनको लगाने का काम तो सरकार करें लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी किसानों को दे दें ताकि किसान उनसे सिंचाई कर सक । ओसराबन्दी वगैरह के सम्बन्ध में सरकार कानून बना कर उसको करे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सुझावों पर अमल करने की कोशिश करगे ।

श्री जटाशंकर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है और उस पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन के लिए अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, यहां जो चर्चा हुयी है अगर ध्यान दें तो जो सत्तापक्ष के बन्धु हैं उन्होंने कटौती के प्रस्ताव का ही समर्थन पूरे भाषण में किया है और अन्त में घिसे पिटे रिकार्ड की तरह कह देते हैं कि हम कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हैं । उद्देश्य कटौती के प्रस्ताव का यही दिया गया है कि सुझाव देना और विभाग की आलोचना करना । वह आप कर ही रहे हैं कि विभाग की नीति की आलोचना भी कर रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं और आखिर में घिसे-पिटे रिकार्ड की तरह कह देते हैं कि कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । इससे तो आश्चर्य होता है । आप कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और आखीर में वह वाक्य बोल देते हैं । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं वह बहराइच जिले का नानपारा विधान सभा क्षेत्र है । वहां पर शारदा सहायक परियोजना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गिरजापुरी प्रोजेक्ट वहां पर बन रहा है । मान्यवर, उसके विषय में यह कहना है कि वहां पर जो नहर निकल रही है, सिंही पुरवा के पास भावा नदी के पास में जहां नहर गिरायी जा रही है तो वहां उस नहर के बन जाने से 10-12 गांव ऐसे हो जायेंगे कि अगर वहां गोपिया गांव के पास साइफन नहीं दिया गया तो वह 10-12 गांव विनिष्ट हो जायेंगे । मुझे वहां के कर्मचारियों और इंजीनियरों द्वारा पता लगा है कि वहां पर कोई साइफन देने की योजना नहीं है । इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय अगर वहां पर साइफन प्राविधान नहीं किया जाता है तो वहां के निवासियों को अपार कष्ट होगा । माननीय मन्त्री जी से इसको मैंने मण्डल की बैठक में कहा था और उसके बाद बहराइच में मुझे पता चला कि वहां साइफन का प्राविधान नहीं किया जा रहा

है । हमें आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया था कि आप आश्वस्त रहें पानी नहीं फैलेगा, साइफन अगर वहां नहीं दियय है, नहर वहां ग्राउन्ड लेबिल से ऊंची है, बाढ़ का पानी जब बहेगा तो नहर की ऊंचाई उस पानी को रोकेगी । लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आया और किसी को समझ में नहीं आया कि गांव कैसे नहीं डूबेंगे । इस लिए मिहीपुरवा के पास गोपिया गांव के पास जिला बहराइच म साइफन का दिया जाना आवश्यक है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां पर साइफन अवश्य दिया जाय । दूसरी समस्या यह है कि जो नहर निकल रही ह उस पर पुलिया नहीं दी जा रही है । अभी बोलते हुये हमारे भाई ने कहा कि पुलिया ऐसी जगह दी जा रहीं है जो गांव की एप्रोच से एक-एक किलो मीटर दूरी पर है । लोगों को घूम कर आना पड़ेगा तब उनको पुलिया मिलेगी । वहां पर जंगल से रोड और नहर निकलती है रोड और नहर के बाद गांव पड़ता है रोड की एप्रोच के लिये नहर पर पुलिया से लोग सड़क पर पहुंचेंगे और वह जो पुलिया दी जा रहा है वह ऐसे-ऐसे स्थानों पर दी जा रही है जो आम रास्ते नहीं हैं । आम रास्ते से अलग पुलिया दी जा रही है । जंगल का रास्ता है । 8-10 मील दूर पर गांव बसे हैं । इसलिए आम रास्ते के एप्रोच पर पुलिया नहीं होगी तो वहां लोगों के लिये परेशानी खड़ी हो जायगी । इसलिये इस ओर भी ध्यान दिया जाय ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मिहीपुरवा विकास खण्ड भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है । वहां अभी तक कोई राहत कार्य नहीं शुरू किया गया है । जबकि 80 प्रतिशत मक्का की फसल वहां नष्ट हो चुकी है । इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय । इन्ही शब्दों के साथ में मान्यवर, आपको पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत सिंचाई के बजट पर आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा यदि कोई चीज किसानों के लिये उपयोगी है तो वह है पानी । यदि हर खेत को पानी मिल जाय तो चाहे जैसा खेत हो, चाहे ऊसर हो या बन्जर उसमें पैदावार जरूर होगी और यदि बढ़िया जमीन को पानी मिल जाय तो पैदावार और अधिक होगी । मान्यवर, यह भी सत्य है कि 54 प्रतिशत आय इस देश की कृषि पर निर्भर है, यहां 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और खेती के लिये सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है । तो जब 80 प्रतिशत कृषि करने वाले किसानों का भविष्य सिंचाई पर निर्भर है तो इस विभाग के लिए हमको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है । वैसे सरकारी स्तर पर प्रयास किया गया और किया जायेगा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की आर्थिक हालत सुधरे । लेकिन जो प्रयास किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है सिंचाई विभाग

[श्री मुईद अहमद—]

के अधिकारियों पर अंकुश लगाने को, यदि उन पर अंकुश लगा रहेगा तो निश्चित ही जितना अनुदान दिया जा रहा है उसमें अधिकतम लाभ किसानों का होगा।

मान्यवर, अब मैं वाटरलागिंग की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि वाटरलागिंग की समस्या सबसे ज्यादा है इसका कारण यह है कि हर जगह नहर खोदी जा रही हैं, पुल और सड़कें बनाई जा रही हैं। तो हर जगह जब निर्माण कार्य हो गया है तो नेचुरल रूप में जो पानी बहता था वह रुक गया और जिससे जगह-जगह वाटरलागिंग की समस्या पैदा हो गयी। मान्यवर, हमारे सुल्तानपुर जिले में हमारे निर्वाचन क्षेत्र के बीच से गोमती जाती है। गोमती नदी के बाढ़ से अनवरत वर्षा से, वहां प्रलय मचा हुआ है और 80 फीसदी किसानों की फसल नष्ट हो गई। 70 फीसदी किसानों के मकान गिर चुके हैं। पूरी तरह से वहां पर तबाही आई है। वाटर लागिंग के संबंध में सब से बड़ी भादा ड्रेन वहां की है। पैसा सैंक्शन हो चुका है, काम शुरू हो गया मगर जैसे ही एक किलोमीटर भादा ड्रेन की खुदाई हुई कि उसकी खुदाई बंद कर दी गई। इसे चाहे लापरवाही कहें या जो विभाग के अधिकारी हैं उन को पता नहीं था कि इस समय वहां 50-50 गांवों डूबे हैं यदि इस ड्रेन की खुदाई कर दी जाती तो इन गांवों को, जो आज भी डूबे हैं, राहत पहुंचती।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि श्रमिक कृषक, लघु कृषक को सिंचाई के लिये पैसा दिया जाता है कि वह अपनी सिंचाई के लिए मशीन खरीदे, ट्यूब वेल लगवाये और अपने खेत की सिंचाई करे। इसमें एक सुधार की आवश्यकता है यह पैसा उन को भूमि विकास बैंक के द्वारा या अन्य बैंकों के द्वारा दिया जाता है जब पैसा किसानों को दिया जाता है तो चैक तो जरूर ही दिया जाता है वह तो दिया ही जाय मगर उन को बाध्य कर दिया जाता है कि वह सामान को, ट्यूब वैल के लिए मशीनरी, मोटर, आदि फलां एजेन्सी से खरीदे। नतीजा यह होता है कि एक तो वह कमीशन उस आदमी को देता है जहां से चैक लेता है भूमि विकास बैंक या जिस शाखा से वह लोन लेता है वहां दूसरा सब से ज्यादा पैसा उस का बरबाद होता है उस पर जो एजेन्सी होती है जिसे बैंक के अधिकारी तय किये रहते हैं। वहां से जब वह मोटर के पार्ट, सिंचाई की मशीनरी, लेता है तो उसे कमीशन में डेढ़ गुना, दो गुना पैसा देना पड़ता है और जो मशीनें लेता है वह थर्ड रेट, सेकेन्ड रेट, की होती हैं जिस की वजह से जब किसान उन को लगाता है तो एक महीने में वे समाप्त हो जाती हैं। यह स्थिति है। इस में सुधार करना होगा।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि इस समय हर आदमी जानता है कि बाढ़ से किसानों के खेत भरे हुये हैं मगर नहर के अमीन सिंचाई कर लगा रहे हैं और सिंचाई कर लागू कर के वे किसान का खून फिर चूसेंगे। इसे बंद कर देना चाहिए।

एक बात मुझे यह कहनी है कि मुझे पता चला है कि सुल्तानपुर में नहरों में पानी फिर दिया जा रहा है। इस समय नहरों में पानी नहीं जाना चाहिए। किसानों को इस समय पानी की जरूरत नहीं है। अगर पानी दिया जाता है तो बाढ़ तो आई ही हुई है उससे और बढ़ावा होगा और अधिक तबाही होगी।

अंत में एक बात और कहूंगा। हमारे विधायक विरोधी पक्ष के यह कहते हैं कि सत्ता पक्ष के कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है। यह उनका भ्रम है। उनका मजाक है। ऐसी बात नहीं है। सच यह है कि हम लोग सत्य बोलने वाले हैं (व्यवधान) जो कमियां हैं उन को कहते हुये मैं फिर से खुले हृदय से बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ--

मान्यवर, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे रियासत हुसैन साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जिस तरह से इस प्रदेश में जितनी रकबा गेहूं की खेती होती है उतनी ही जड़हनियां की खेती होता है। यदि जड़हनियां के लिये पानी की व्यवस्था कर दी जाय, ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था कर दी जाय तो गेहूं से कम रकबा जड़हनियां का नहीं है गेहूं से अच्छी फसल उस की है। हम लोगों ने माननीय भानु प्रताप सिंह जी राज्य सभा के मेम्बर हैं उन के नतृत्व में एक डेलीगेशन ले कर गये। हमने फिर 5 ट्यूबवेल लगाये लेबर डेवलपमेंट सोसायटी के जरिये। उसके अन्दर हमने 900 से 1 हजार कुवंटल गेहूं उगाया जबकि उसमें कुछ नहीं होता था। अगर ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था कर दें तो जड़हनियां खेतों में अच्छा खेती हो जायगी। इसी तरह से शोहरतगढ़, देवरिया तथा गोरखपुर का जो तराई एरिया है उसमें अगर ट्यूबवेल की व्यवस्था कर देंगे तो अच्छी पैदावार गेहूं की भी हो सकती है। मेरे एरिया में बाढ़ की भीषण समस्या है। बासी में दो बंध बने कुजां और बन्जहरा। 5 लाख रुपये उन पर खर्च हुए लेकिन वह कट गये और 70 एकड़ जमीन चली गई और 6 लाख से ज्यादा रुपया खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पी० ए० सी० कमेटी है। ये सारे मामले उनके सुपुर्द कर दिये जाते हैं लेकिन उनका फैसला कब होता है? आप इसमें परिवर्तन करें। पिछली दफा चीफ इंजीनियर विजय साहब थे और इस समय शेर सिंह जी हैं। जब उनसे कोई बात पूछी जाती है तो कहते हैं कि पी० ए० सी० को गई हुई है। कृषि मंत्री जी ने कहा कि दोनों गांव कट रहे हैं और यह उत्तर दिया कि पी० ए० सी० के सामने मामला विचाराधीन है। जब गांव कट जायगा तो उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी? पी० ए० सी० सारे मामलात को लटका देती है। उसके लिये मेरा सुझाव है कि आप चीफ इंजीनियर को अख्तियार दें। ऐसी विषम स्थिति में जब गांव डूब रहा हो तो उनको कुछ फंड दें जो उनके अधिकार में रहे और उस फंड को वह इस्तेमाल कर सकें वर्ना 77 के मामलात आज तक पी० ए० सी० के सामने पड़े हुए हैं। पता नहीं पी० ए० सी० कब बैठेगी और क्या तय करेगी? मेरे जनपद बस्ती में एक एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं कान्ती मोहन श्रीवास्तव और शेर सिंह चीफ इंजीनियर हैं। उनकी पकड़ सारे प्रदेश पर है लेकिन बस्ती जनपद के ड्रेनेज विभाग पर उनकी पकड़ बिलकुल नहीं है। यह एक्जिक्यूटिव इंजीनियर साहब ने लाखों रुपये का गबन किया लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ पाया। जैसे पुराने जमाने में राजा नवाबों के साथ डोली में बांदियां जाती थीं वैसे ही यह एक्जिक्यूटिव इंजीनियर जहां रहे वहां से बस्ती में अपने साथ

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ---]

ठेकेदार ले आये, दो जूनियर इंजीनियर ले आये बांदा से और एक असिस्टेंट इंजीनियर अमर बहादुर डुमरियागंज में लगा हुआ है और इन सबने मिल कर बस्ती जनपद को तबाह कर रखा है। एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि बंजरहा बांध पर जहां पर ठोकर लगी हुई है वहां कटान नहीं हो रहा है लेकिन 4 दिन बाद वहां पर एक लाख का काम शुरू कर दिया गया। मेरा खुला आरोप है कि इन एक्जिक्यूटिव इंजीनियर द्वारा सारा जिला तबाह तथा बरबाद किया जा रहा है। इसी तरह से डुमरियागंज कस्बे में बन्धे बना दिये गये लेकिन हालत बाढ़ में यह हुई कि सारा कस्बा डूब गया और कमर-कमर तक पानी लगा हुआ है लेकिन कोई भी अधिकारी वहां नहीं गया असिस्टेंट इंजीनियर साहब रात में डुमरियागंज नहीं रहना चाहते और कोई भी इंजीनियर वहां नहीं जाना चाहता और शेर सिंह जैसे अफसर की भी इतने भ्रष्ट तथा बेईमान एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के सामने कुछ नहीं चल पाती है। इसका कारण यही है जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा कि उसकी सीधी वहां तक पहुंच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों पर मंत्री महोदय कृपा करें और इसकी कुछ व्यवस्था करें। ट्यूबवेल की बाबत में यह कहना चाहता हूं कि यह आपकी किताब है। बस्ती जनपद इस प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। वह सबसे बड़ी खेती का जनपद है और सबसे ज्यादा खेती वहां पर होती है। मान्यवर, आप देखेंगे कि आजमगढ़ में 688 देवरिया में 548, गोरखपुर में 508 ट्यूबवेल हैं, बस्ती में 548 ट्यूबवेल हैं जो कि बहुत कम हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे बस्ती के लिये और ट्यूबवेलों की व्यवस्था करें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरयू नहर परियोजना चल रही है। इससे गांव के गांव तबाह हो जायेंगे। इस वर्ष हमारे यहाँ चकबन्दी होनी चाहिए थी। वहां से नहर निकलने वाली है और तमाम किसान रोड़े डालेंगे। इसलिये मान्यवर, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां-जहां नहर निकल रही है, बांध बना रहे हैं उसके लिए आप यह करा दें कि चकबन्दी कानून में अमेंडमेंट करा दें कि वहां-वहां चकबन्दी करा दी जायेगी। अन्यथा मान्यवर, कई गांव तबाह हो जायेंगे। उनकी सारी जमीन चली जायेगी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह जायेगा। साथ ही मेरा अन्त में यह भी निवेदन है कि जिन लोगों की इस तरह से जमीन ली जाय उनके घर वालों को नौकरी दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महेश चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मेरठ जिले के बागपत क्षेत्र से चुनाव लड़कर आया हूं। मुझे आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना है कि मेरठ जिले के लिये 21 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें कोई भी योजना बनाने का निर्णय नहीं लिया गया। हमारे यहाँ से इंजीनियर्स या जिलाधिकारी जो भी योजना वहां से बनाकर भेजते हैं उनके ऊपर एजेन्डे में विचार नहीं किया गया है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं। मेरे क्षेत्र को पीछे छोड़ा जा रहा है और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र को नेग्लेक्ट न किया जाय। वहाँ अनेकों ऐसी चीजों को मैंने देखा है कि जो वहाँ पर कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं।

माननीय, हमारे क्षेत्र में आसोका गांव में एक बिजरौल ड्रेन है जिससे वहां के लोग बहुत पीड़ित हैं। उस ड्रेन का सारा पानी सारे क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और गांव को तबाह कर देता है ... (सदन में बिजली के चले जाने पर कुछ सुनाई नहीं दिया)। लोग नहर को काटकर अपने गांव से पानी निकालते हैं। जो पानी वहां पर इकट्ठा हो जाता है उसके निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं वहां पर सहायक अभियन्ता से मिला था। इदरीसपुर माइनर जो बड़ौत तक जाती है वह पक्की नहीं है जिससे कि वहां के किसान भी अपना गन्ना मिलों तक नहीं ले जा पाते हैं और सस्ते में ही वहीं पर बेंच देते हैं। साथ ही पानी से कटाव भी हो जाता है जिससे गावों तक पानी फैल जाता है। इस माइनर को पक्का करने के बारे में कई प्रोपजल्स दिए गए हैं लेकिन अभी तक उसमें कोई कारगर व्यवस्था नहीं की गई है। अतः मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको पक्का करने के आदेश दें।

माननीय, वहां एक घटौली गांव है जिसमें हिन्डन नदी द्वारा बाढ़ आती रहती है। उसको 3 बार काट चुकी है। बार-बार लिखे जाने के बावजूद भी उस गांव को बचाने के लिए एजेन्डे में कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया है। अतः मेरी अपील है कि वहां पर उचित व्यवस्था की जाय और पत्थर लगाने की परमीशन दी जाय।

इसके अतिरिक्त मेरी मंत्री जी से यह भी अपील है कि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने के लिये जो व्यवस्था उन्होंने की है उसमें ऐसे कदम उठायें जिससे आमूल-चूल परिवर्तन होकर यह भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

(इस समय 4 बजकर 43 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

भ्रष्टाचार कैनाल विभाग में, नहर विभाग में और ट्यूब वेल विभाग में इतना अधिक है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रदेश का करोड़ों रुपया कमीशन के रूप में अधिकारी लोग खा रहे ह। इस विषय में हमेशा माननीय सदस्य कहते रहते हैं पर मैं समझता हूं कि इसका सरकार के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर कोई असर नही पड़ता है। यह अधिकारी नीचे के स्तर से शुरू होकर ऊपर तक जाते हैं उनको कमीशन की आदत रहती है और उसको वह अनिवार्य मान कर चलते हैं। तो इस कमीशन की प्रथा पर चोट करनी पड़ेगी उसके लिए चाहे उधर के सदस्य हों या इधर के सदस्य हों मिल कर जिहाद बोलना चाहिये ताकि ठेकेदारों और अधिकारियों की जेब में जो यह जनता का पैसा जा रहा है उसको रोका जाय और उसे प्रदेश की तरक्की के काम में लगाया जाय। इनमें माननीय सदस्यों का सहयोग जरूरी होता है जब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होती है तो माननीय सदस्य ही कोशिश करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात के लिये अपने दिल को साफ करें ताकि विभाग का भ्रष्टाचार दूर हो। तभी प्रदेश का विकास होगा और प्रगति के कार्यक्रमों को हम लागू कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज जो उन्होंने वादा किया है कि इन दोनों विभागों से जो उनके पास हैं भ्रष्टाचार मिटायेंगे। उन्होंने जो इस बात का आश्वासन दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस विषय पर चर्चा कल भी चलेगी, जो बाकी सदस्य हैं उनको कल बोलने का अवसर मिलेगा (व्यवधान) देवरिया वालों को कल समय मिलेगा। (व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आईटम 11 लेता हूं। नियम 51 में आज मुझे 10 सूचनायें मिलीं जिनमें से एक श्री शंकर सिंह की सूचना जो दिनांक 21-9-80 को झांसी जनपद के बरुवा सागर की पुलिस के अभद्र व्यवहार के विरुद्ध कर रहे अनशनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में है, को मैंने स्वीकार किया है। बाकी सूचनाएं अस्वीकृत हैं। (व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

गाजीपुर के सम्बन्ध में हमारी एक सूचना थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नियमानुसार एक ही सूचना ली जा सकती है। महत्व की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह ले ली गयी।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है अगर आप इजाजत दें तो मैं पूंछ लूं। मान्यवर, आप जैसे महान व्यक्ति इस जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हैं और यहां से अरबों रुपया स्वीकार करते हैं जिसे एक व्यक्ति खर्च करता है। दो अरब रुपये सुपुर्द कर देंगे क्या आप इसको इजाजत देंगे, दो अरब रुपया किसी विभाग की स्थापना के लिए खर्च करेंगे। 30 सालों का आपका तजुर्बा है .. (व्यवधान) मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो बात कही, उसमें मेरी व्यवस्था की आवश्यकता तो है नहीं। यह तो सदन के सामने है वह अपने विवेक से उसको दे देगा या नहीं देगा। सदन तो हमसे भी ऊपर है। इसपर मैं अपनी व्यवस्था क्या दूंगा।

राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् व तेरह विश्व-विद्यालय की सभाओं के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन कराये जाने हेतु, दिनांक 16 जुलाई, 1980 को,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने हेतु दिनांक 7 अगस्त, 1980 को, तथा

तेरह विश्वविद्यालयों की सभाओं में कार्य करने के लिए प्रत्येक सभा के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक 27 अगस्त, 1980 को,

पारित प्रस्तावों द्वारा श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया था कि वे जिस प्रकार तथा जिस तिथि को आदेश दें, यह सदन उक्त निकायों के लिए निर्वाचन करे ;

और चूंकि उक्त प्रस्तावों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा उक्त निकायों के निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार निर्वाचन की प्रक्रिया म कठिनाई उत्पन्न हो रही है ;

अत: यह सदन उक्त प्रस्तावों का आंशिक संशोधन करते हुए उक्त निकायों के निर्वाचन के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और उसके अनुसार किये गये कार्य को निरस्त करता है तथा माननीय उपाध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि उक्त निकायों के निर्वाचन के लिए नये कार्यक्रम को निर्धारित करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह कि यह सदन माननीय संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा तेरह विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं, आज दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य निराश्रित सहायता समिति तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए और 13 विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अब निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:

1--नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 को अपराह्न 5 बजे तक
2--नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	शनिवार, दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 को अपराह्न 3 बजे, (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)

[श्री उपाध्यक्ष---]

3--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	सोमवार, दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 को अपराह्न 5 बजे तक
4—निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो— (क) राज्य निरश्रित सहायता समिति तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए, तथा (ख) 13 विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिए	गुरुवार, दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 को मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा

जालौन जनपद की कदौरा थाना की पुलिस द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री पोखर, निवासिनी ग्राम अमेरवा, थाना कदौरा, जिला जालौन व कुछ अन्य लोगों के एक प्रार्थना-पत्र 5-9-1980 को मुख्य मन्त्री जी को दिया जिसमें थाना कदौरा की पुलिस द्वारा ग्राम अमेरवा व पिपरिया में जाकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा प्रार्थिनी श्रीमती चन्दा के साथ दो पुलिस जवानों द्वारा बलात्कार करने के आरोप लगाये गये थे। इस प्रार्थना-पत्र पर जांच विशेष जांच शाखा को सौंपी गई। विशेष जांच शाखा के द्वारा की गई जांच के अनुसार बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा गांव वालों के साथ कतिपय दुर्व्यवहार किया जाना प्रतीत होता है। जांच अधिकारी की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है जिसके आधार पर दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री शंकर सिंह--

मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-9-80 को श्रीमती चन्दा देवी ने दिया, यह क्या है इसमें क्या शिकायतें थीं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यदि आप आज्ञा दें तो पूरा पढ़ दूं।

मान्यवर, इसमें 2 बातें मुख्य कही गयी है। एक तो यह है कि थाना कदौरा की पुलिस 2-9-80 को सुबह 6 बजे ग्राम मिरिया का डेरा पहुंची और प्रार्थीगणों के घरों में घुस गई तथा प्रार्थीगणों की औरतों के बाल पकड़े, पकड़ कर घरों से खींच कर उन्हें बुरी तरह मारा पीटा तथा उनके साथ बहुत ही अमानुषिक अभद्र व्यवहार किया। पुलिस का यह कृत्य लगभग चार घंटे चलता रहा और दूसरा यह कि पुलिस थाना कदौरा ने ग्राम के अभिरवां में पोखर मल्लाह की औरत श्रीमती चन्दा देवी के साथ जबरन थानेदार की मौजूदगी में दो सिपाहियों ने बारी-बारी से बलात्कार किया। पोखर घर में मौजूद

नहीं था। इसके पूर्व भी पुलिस वाले प्रार्थी को परेशान व गाली गलौज कर चुके हैं।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, प्रार्थना-पत्र से जाहिर है जिस पर गांव वालों के हस्ताक्षर भी हैं कि चन्दा देवी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। यह बात भी उससे साफ है कि बलात्कार भी किया गया है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस विशेष अधिकारी ने जब जांच की तो उस दौरान में कदौरा में जो पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी तैनात थे, उनको वहां से हटा दिया था या नहीं? यदि नहीं तो क्या उनके वहां पर रहते हुए और लोगों को आतंकित करते हुए, सही बात की जानकारी हासिल हो सकती थी?

श्री ब्रह्म दत्त--

यहां से निर्देश दिए गए थे कि पुलिस थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें और दूसरे लोगों के खिलाफ भी जिनके नाम इसमें आये हैं, कार्यवाही करें।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच तभी हो सकती है जब कि उनका उस थाने से स्थानान्तरण कर दिया जाता। उनके वहां रहते हुए क्या सही बात सामने आ सकती है। अगर दोषी कर्मचारी वहीं पर रहते हैं तो सही स्थिति सामने आनी असम्भव है। तो क्या माननीय मन्त्री जी दोषी अधिकारियों को उस थाने से स्थानान्तरित कराकर उसके बाद ही जांच करायेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य तो स्थानान्तरण की ही बात कह रहे हैं, हमने तो विभागीय कार्यवाही करने के भी आदेश दे दिए हैं।

श्री दलगंजन सिंह--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जांच करने के बाद पुलिस द्वारा गांव वालों के साथ कतिपय दुर्व्यवहार किया जाना प्रतीत होता है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि दुर्व्यवहार जो किया गया वह औरतों के साथ किया गया और श्रीमती चन्दा के साथ किया गया या दीगर लोगों के साथ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जो प्रार्थना-पत्र है उसके दोनों पैराज को मैंने पढ़ कर सुना दिया है।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, मेरा सवाल यह नहीं था। मैंने पूछा था कि आपने अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया है कि जांच के बाद कतिपय दुर्व्यवहार साबित हुआ है। तो यह जो दुर्व्यवहार हुआ, क्या वह स्त्रियों के साथ हुआ या वहां के लोगों के साथ हुआ और क्या श्रीमती चन्दा के साथ बलात्कार हुआ है?

श्री ब्रह्म दत्त—

बलात्कार की बात तो साबित नहीं हुयी है लेकिन यह सही है कि गांव वालों के साथ दुर्व्यवहार हुआ।

श्री दलगंजन सिंह—

क्या यह दुर्व्यवहार औरतों के साथ हुआ या गांव वालों के साथ ?

श्री ब्रह्म दत्त—

गांव वालों में औरत और मर्द दोनों होते हैं।

श्री मोहम्मद नबी—

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत अगर कोई अपराध सिद्ध होता है तो कोर्ट में मुकदमा दायर करके जांच करायी जाती है। तो क्या इस प्रार्थना-पत्र पर 376 का मुकदमा दायर किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मुकदमा कायम करके जांच कराने की कृपा करेगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

यह प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को 5 सितम्बर, 1980 को दिया गया जिस पर उन्होंने 6 सितम्बर, 1980 को गृह सचिव को आदेश दिया कि पुलिस के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं। महिला के साथ बलात्कार किया जाना बताया गया है। कृपया तुरन्त जांच हेतु किसी वरिष्ठ अधिकारी को तुरन्त मौके पर भेजने का कष्ट करें। महिला का मेडिकल भी कराया गया और जांच विशेष अनुसंधान शाखा को सौंप दिया गया। विभागीय कार्यवाही के आदेश भी इसी प्रार्थना-पत्र के आधार पर दे दिए गए हैं।

श्री हुकम सिंह—

इस औरत का जो मेडिकल हुआ क्या डाक्टरी रिपोर्ट में उसके शरीर पर कोई चोट का होना या बलात्कार का होना पाया गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

बलात्कार होना नहीं पाया गया न ही चोट का होना पाया गया।

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980†

[समय 5 बजे अपराह्न]

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय। मान्यवर, विश्व बैंक ने 500 नलकूपों के लिए हमारे प्रदेश को रुपया दिया है। इस विधेयक के जरिए यह व्यवस्था की जा रही है कि अन्डर ग्राउन्ड पाइप लाइन बिछाई जाये क्योंकि खतों के ऊपर नालियां बनाने में किसान के खेतों की जमीन चली जाती

†दिनांक 7 अगस्त, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

थी, नालियों के टूट जाने पर पानी वेस्ट चला जाता था, बह जाया करता था, उसमें खर्च भी अधिक आता था, अतः यह निश्चय किया गया है कि अन्डर ग्राउन्ड पाइप लाइन बिछाई जाये जिससे किसानों की जमीन भी न लेना पड़े और पानी भी वेस्ट न होने पाये सदन को इसका स्वागत करना चाहिए और आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री मित्रसेन--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जमीन के अन्दर से नालियां बनाना चाहते हैं और उसके लिए यह कानून बना रहे हैं, पर जिनके खेतों के नीचे से होकर पाइप लाइन बिछाई जायेगी वे झगड़ा करेंगे उसको जाने नहीं देंगे। आप उनको कोई मुआवजा भी नहीं देंगे। जो फसल खड़ी होगी और उसका नुकसान होगा तो उसी का मुआवजा देने की बात इसमें कही गई है, पर जब तक आप जिसके खेत के नीचे से पाइप लाइन ले जायेंगे उसके लिए जमीन देने की व्यवस्था नहीं करेंगे, यह काम आपका होने वाला नहीं है। गांव के सामन्त लोग तो अपने खेतों से जाने नहीं देंगे, गरीब के खेतों से ही आप ले जायेंगे और उसका अगर मुआवजा नहीं देंगे तो वे लोग रुकावट डालेंगे और आपका काम होने नहीं देंगे। फिर जब कभी पाइप लाइन टूटेगी तो उसकी मरम्मत करने के लिए भी आपको खेत को खोदना पड़ेगा, उसके लिए भी आपने कोई मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं की है। लिहाजा इन सब बातों पर विचार करने के लिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये ताकि वहां इन सभी बातों पर विचार हो सके। नतीजा यह होगा कि हमारे ट्यूबवेल हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेंगे, यदि आपको थोड़ा सा मुआवजा पड़ेगा, तो देने में क्या दिक्कत है? अभी अगर नहीं देंगे तो नतीजा यह रहेगा कि आपकी ट्यूबवेल ठीक न चल पायगी और किसान नालियां खोलने नहीं देंगे और पुलिस में रिपोर्ट वगैरह होगी। तो मान्यवर, मुआवजे की व्यवस्था कर दें, जिससे कि आपकी योजना भी सफल हो जायगी।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 जो माननीय सिंचाई मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसमें बहुत ज्यादा वाद-विवाद का गुंजाइश नहीं है केवल विरोधी पक्ष माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नाली जहां से जायगी, उसमें किसान वगैरह नाली खोदने के लिए एतराज कर देंगे, तो क्या होगा? वैसे उनकी शंका कुछ हद तक सही भी है। अगर इस दृष्टि से सोचेंगे तो सरकार मुआवजा भी दे देगी। लेकिन अगर एक चक के बीच से नाली जाती है और उसके बीच की जमीन का मुआवजा सरकार ने दे दिया, तो वह सरकार की जमीन हो जायगी और सरकार जो प्राविधान किया है कि जो नीचे से नाली जा रही है, उसके ऊपर किसान अपनी खेती कर सकता है। जो नाली बन रही है, वह अन्डर ग्राउण्ड नाली में लीकेज न हो, नाली का पानी बाहर बहे न, उसकी छीजन न हो। इसी ध्येय को मन में रख कर ऐसी व्यवस्था किया है। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है, तो इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो माननीय मंत्री जी ने संशोधन विधेयक रखा है, इसको सर्वसम्मति से पास किय

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

जाय । इस तरह से शासन का बहुत काफी पैसा बचेगा और समय भी बचगा । अगर मुआवजा देने का प्राविधान किया जायगा, तो फिर नोटिस दी जायगी और यह जो नया कार्य अमल में लाना चाहते हैं, इसमें देरी होगी। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि विरोधी पक्ष अपने संशोधन को वापस ले लें ।

*श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सिचाई मंत्री जी ने संशोधन विधेयक पेश किया है और उस पर माननीय मित्रसेन जी यादव ने संशोधन प्रस्तुत किया है और जो शंका व्यक्त की गई है मान्यवर, वह निर्मूल नहीं है, चाहिये तो यह कि कोई स्पष्ट विधेयक लाकर यहां पास कराते और उसमें सारी बातों को स्पष्ट कर दिया जाता । आप नीचे से नाली बनाना चाहते हैं । मान लीजिए किसी प्राइवेट ट्यूबवेल के खेत से या प्राइवेट ट्यूबवेल जहां लगे हैं, वहां तो आपकी नाली की जरूरत नहीं पड़ेगी । उसके खेत से आप नाली ले जायेंगे सरकारी ट्यूबवेल तक, तो मान्यवर, उसको आपत्ति होगी और उसमें एक झंझट लगेगा, झगड़ा पड़ेगा । सड़कों के झगड़े पड़ जाते हैं । इसमें स्पष्ट बात आपने नहीं रखा कि इसके अन्दर आप किस तरह से, इसको व्यवहारिक बनायेंगे ।

दूसरी बात मान लीजिए किसान की फसल खड़ी हुई है और आपके कर्मचारी उसमें नाली बनाने जायेंगे, खोदाई करेंगे, खोदाई भी आपको गहरी करनी पड़ेगी ।

तीसरी बात अगर मान लीजिए अन्दर से नाली खराब हो गई, सीवर लाइन भी खराब हो जाती है, उस हालत में आप क्या करेंगे । तो मान्यवर, यह स्पष्ट नहीं है । इसलिए मैं भी इस राय का हूं कि संशोधन बिधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि उसमें अच्छी तरह से स्पष्ट आ जाये और हम लोग भी यही चाहते हैं कि कोई इस तरह का उपाय निकले जिसमें कानून में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े । तो मैं चाहूंगा और उनसे इस बात की आशा करूंगा कि वह इससे सहमत होकर इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करेंगे, ताकि जनमत भी जान लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि कितने से कितना अच्छा विधेयक हो, हर एक का आप विरोध ही करेंगे। never anticip ate evils till he behaves like that अर्थात् तब तक बुराई न सोचें जब तक उस तरह का बर्ताव न हो । या केवल एक विरोध करने का काम ही अपनाया हुआ है और जो प्राईवेट ट्यूबवेल्स वाले हैं, वह अपने पड़ोसियों को सिचाई नहीं करने देते हैं और देते भी हैं तो मनमाने ढंग से पैसे वसूलते हैं । इन्हीं सब बातों को दूर करने के लिए किया जा रहा है रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट है, उसके अन्तर्गत कोई भी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है । इसलिए (व्यवधान) आप लोग कृपया न बोलें । इससे अच्छा भी विधेयक और क्या आ सकता है कि अन्डर ग्राउन्ड जब लाईनें बिछेंगी, उसमें कोई भी गुंजाइश विरोध करने की नहीं रहेगी । किसी भी काश्तकार की भूमि भी खराब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं होगी और जो प्राईवेट ट्यूबवेल्स हैं वह किसी दूसरे गर्जमंद काश्तकार को सिंचाई तो करने देते ही नहीं बल्कि गूलें भी नहीं बनाने देते और सरकारी ट्यूबवेल की भी गूलें नहीं बनाने देते हैं। तो इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए ही अन्डर ग्राउड पाइप लाईनें डाली जायेंगी, जिससे यह सारी परेशानियां दूर हो सकें। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात की गयी है, उसको इन्हें वापस ले लेना चाहिये।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, यह जो राजकीय नलकूप का संशोधन विधेयक है और इसके ऊपर श्री मित्रसेन यादव जी ने जो संशोधन रखा है। मैं इस संशोधन की पुष्टि के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह जो विधेयक आया है। यह स्पष्ट विधेयक नहीं है। इस विधेयक में आप देखें, इसमें जो धारा 7 दी है कि इसके अन्तर्गत नलकूप अधिकारी या नलकूप अधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जमीन लेने के लिए अधिकृत कर दिया जायेगा तो मान्यवर, इसमें नलकूप अधिकारी या कोई भी कर्मचारी, अमीन या लेखपाल के स्तर का कर्मचारी होगा वह उस जमीन को लेने के लिए अधिकृत किया जायेगा, जिनकी रिपुटेशन पब्लिक में पहले से ही अच्छा होती नहीं है। घूस लेन के लिए पहले ही बदनाम ह। दूसरे यह कि इस विधेयक की धारा 8 में यह रखा गया है कि भूमि-स्वामी या अध्यासी को कम से कम अड़तालीस घंटे की नोटिस दी जायगी। तो मान्यवर, मेरी यह समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से हो पायेगा कि 48 घंटों में वह अपनी भरी-पुरी खेती को हटा ले कोई खेतों में छप्पर तो होते नहीं कि उनको फौरन हटा लिया जायगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह विधेयक जिस उद्देश्य से रखा गया है कि किसान अपने खेतों को खोदने की अनुमति नहीं देते और गूलें नहीं बनाने देते तो इसलिए गूलें जमीन के अन्दर से बना दी जायेंगी, तो इससे भी उनकी मन्शा पूरी नहीं होगी।

इसके साथ ही साथ एक बात और है वह यह है कि मान्यवर, इस कार्य से जिसकी जमीन ली जायेगी इसपर झगड़ खड़े हो जायेंगे। इसमें है कि उस जमीन की प्रकार देखा जायेगा और फसल की परिपक्वता की दशा देखी जायेगी। इस प्रकार नलकूप अधिकारी और किसानों के बीच में झगड़े खड़े हो जायेंगे वह अपनी फसल का ज्यादा कीमत लेना चाहेगा और नलकूप अधिकारी उसको फसल की कम कीमत लगायेंगे। इसलिये इस विधेयक को जिस उद्देश्य से पास करना चाहते हैं वह लाभ किसानों को नहीं मिल पायेगा और न ही उसका लाभ गवर्नमेंट के विभाग को होगा। इसलिये मेरा मत है कि एक विधेयक स्पष्ट लाना चाहिये। अतः इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर देना चाहिये जिससे सोच समझ कर अच्छी तरह से किसानों के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुये कोई विधेयक आये तो ज्याद अच्छा होगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता जी, क्षमा कीजियेगा उपाध्यक्ष जी, दोपहर में अधिष्ठाता जी बैठे थे जब मैं बोला था,

श्री उपाध्यक्ष--

माफ किया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आभारी हूं । अभी सदन में एक प्रस्ताव एक लाइन का हमारे माननीय मंत्री जी ने रखा है । उसके ऊपर विपक्ष की ओर से संशोधन आया है और साथ-साथ यह कहा गया कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । मान्यवर, म बहुत देर से सोच रहा था कि क्या इन्होंने यह संकल्प कर लिया है कि कितना ही अच्छा विधेयक लाया जाय उसमें विघ्नमक्षिका की तरह टांग अड़ायेंगे । इससे ज्यादा किसानों के हित में और कौन सा विधेयक हो सकता है । जिस जमीन पर नालियां बनती थी उसकी जमीन को बराबर करके दिया जायेगा और उसपर उनको जुताई करने का अवसर मिलेगा । उसके खेत को नीचे से सरकार द्वारा पाइप लाइन डाली जायेगी और जो नालियों से अधिक पानी बहता था उसकी बचत होगी इसके लिये तो आपको माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहिये । जिसने किसानों के हित म नाली की जगह पाइप लाइन की व्यवस्था की यह कितना श्रेयस्कर और अच्छा काम है । प्रवर समिति को सौपने का पहाड़ा अब आप कब तक पढ़ते रहेंगे। मैं विरोध पक्ष से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लें और सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने रखा है पास करें।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय मित्रसेन यादव ने रखा है उसपर बोलने का अवसर दिया मान्यवर, मैं अपना सुझाव इस रूप में देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है उसके दो उद्देश्य हो सकते हैं । एक तो यह कि माननीय मंत्री जी ने यह आवश्यकता महसूस की कि जो खेती नालियों के बनाने में इस्तेमाल होती है वह उस इस्तेमाल से बचाकर उसको खेती योग्य भूमि बना देंगे और कृषि उस पर होगी । जिससे पैदावार बढ़ेगी । दूसरी बात यह है कि जो नालियां बनाई जाती थी खेतों के ऊपर आये दिन उन नालियों को लेकर झगड़े हुआ करते थे । एक किस्सा हमारे क्षेत्र का है । एक नाली एक किसान के चक से होकर जाती थी उस किसान ने उस नाली को तोड़कर जोत लिया । मान्यवर, जो बात समर्थन करने को होगी उसका समर्थन करने के लिये मैं हमेशा तैयार लेकिन जो आलोचना की बात होगी उसकी मैं जरूर आलोचना करूंगा । विरोध पक्ष में बैठा हूं इसलिये विरोध करूं ऐसी बात नहीं है । इस संशोधन से दो चीजों का निराकरण हो जायेगा ।

एक जो नालियों को लेकर झगड़ा होता था वह समाप्त होगा और दूसरे जो जमीन बेकार हो जाती थी वह भी बच जायेगी । इसमें छोटे-छोटे किसानों को फायदा होगा लेकिन वहीं पर जो हमारे मित्रसेन यादव जी ने संशोधन रखा है उसमें एक बात है । राजेन्द्र त्रिपाठी ने भी कहा जो नालियां बनवायेंगे उसमें अगर सप्लेज हो जायेगा विभाग को लापरवाही से और नुकसान होता है तो इसमें मुआवजे का प्राविधान भी होना चाहिये । अगर यह हो जाता तो मैं निस्संदेह इसका स्वागत करता । इन सुझावों के साथ में अपने संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री चंचल सिंह--

मैं इस बात का हूं कि जो काम जल्दी हो सकता है उसमें रिवाज हो गया है कि रुकावट डालें, संशोधन पेश किये जाते हैं जो हम सुझाव देते हैं वैसे

नहीं दिये जा सकते, जरूरी है कि हम वक्त जाया करें ? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और इसमें 80 प्रतिशत लोग खेतों पर निर्भर है। ट्यूबवेलों में जो खराबियां हैं उनको देखते हुए अगर इस विभाग को सफेद हाथी कहा जाये तो अनुचित नहीं होगा। बिजली नहीं मिलती तो वह चलेंगे कैसे और अगर आती तो जो वहां सुपरवाइजर होते हैं वे अपनी जेब गरम करने को सोचते हैं। कोई गूल है नहीं, जो हैं टूटे-फूटे हैं। इसलिए हमें सुझाव देना चाहिये कि जो खराबियां हैं उनको दूर करना चाहिए और 12 घंटे बिजली आनी चाहिए। गूल पक्के होने चाहिये और अगर आप नहीं बनवा सके तो जो फूडफार वर्क योजना है उसमें गूलों को पक्का करा देना चाहियें। लिफ्ट कैनाल बनाना चाहिये। जहां बन सकते हैं वहां बनाकर लोगों को इरीगेशन देना चाहिये और जो खराबियां हैं उनको तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जैसा मंत्री जी ने कहा है कि अगर किसान की मड़िया या कोई ऐसी चीज रास्ते में पड़ गयी तो उसको उठाने के लिए 48 घन्टे होंगे और दूसरी बात जहां पाइप लाइन ले जायेंगे। जैसे खेत है, एक मील में आधा एकड़ जमीन लगेगी। मैं कहता हूं कि कहीं-कहीं ऐसे स्थान से भी आप जायेंगे जहां रोडवेज की सड़कें हों और चीजें होंगी, उस पर हैवी मोटर्स चलने पर दबाव पड़ता है। इसलिए मेरी नहीं समझ में आता कि वह सीमेन्ट कन्क्रीट की पाइप होंगी या लोहे की होंगी। तो बहुत सी जगहों पर लोहे की पाइप की व्यवस्था करा दें तो उचित होगा। खेतों में जहां अण्डर-ग्राउण्ड पाइप लगाये जायेंगे तो वे टूट भी सकती हैं। यह पाइप हम लोग देखते हैं। इनकी उम्र बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसे पाइप लगाये जायें जो मजबूत हों। इन सभी कमियों को दूर करना है। इसमें कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है इसमें अनेक त्रुटियां हो सकती हैं। इसी नाते यह न्यायोचित है कि इसको प्रवर समिति को भेज दें। एक महीने का समय अधिक नहीं होता। जहां-जहां त्रुटि होगी रिपोर्ट से सरकार के ज्ञान में वह बातें आ जायेंगी। तो उनको पूरा करके पेश कर दें।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी को, जो किसानों की भावनाओं को पहचानते हैं, इसके लिए बधाई देता हूं। यह जो सरकारी नलकूप संशोधन विधेयक लाया गया है इसे किसान बहुत दिनों से चाहते थे। रोज ही किसान हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अन्डरग्राउन्ड नालियां बनायी जाय। अन्डर ग्राउन्ड नालियों से पानी के छीजन की बचत होगी और जो रास्ते और गलियारों में पानी भर जाता है उसका भी बचाव होगा। रास्ते साफ रहेंगे। एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। विरोध पक्ष को पता नहीं क्या हो गया है। उन्होंने रख दिया कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। इनको जनता ने वोट नहीं दिया तो यह उसका बदला यहां निकालना चाहते हैं। किसान के हित में यह संशोधन आया है इसको स्वीकार करें। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो विश्व बैंक के नलकूप हैं इसम उनकी बात है, सरकारी नलकूप जो बने हैं उनकी नालियों को भी अन्डरग्राउन्ड बनाना चाहिये। यह किसान के हित में है, जमीन के हितमें है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस संशोधन को वापस करेंगे और बिना किसी विलम्ब के स्वीकार करेंगे।

*श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं श्री मित्रसेन यादव जी का, जो प्रवर समिति का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं। अभी एक सरकारी विद्वान भाषण दे रहे थे उनके भाषण को मैंने बड़े गौर से सुना। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आप लोग विद्वान अवश्य हो सकते हैं कम से कम किसान तो नहीं। सही पूंछा जाय तो यह प्रस्ताव इसीलिए नहीं लाया गया है कि इसका विरोध करें। इसमें किसान का हित कहां है। मान्यवर मैं यह नहीं कह सकता कि यह प्रस्ताव विश्व बैंक की तरफ से आया ह। विभागीय अधिकारियों ने विश्व बैंक का बहाना लेकर मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव दिलवाया। आप देखें कि जो किसान हैं वह जानते हैं कि आप अन्डर ग्राउन्ड पाइप डाल रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है। इसके पहले भी राजकीय ट्यूबवेलों में अन्डर ग्राउन्ड नालियां बनी हैं। आप चलें, हमारे यहां ट्यूबवेल में अन्डर ग्राउन्ड नालियां आपको मिल जायेंगी। दूसरी जगह भी होंगी। जो किसान है, जो खेत से सम्बन्ध रखता है, वह जानता है कि एक नाली नहीं शत प्रतिशत नालियां लीक करती हैं। उसका कारण क्या है। जिस मेटीरियल के पाइप होने चाहिये नहीं होते। जितना भ्रष्टाचार नलकूप विभाग में है दूसरी जगह कहीं नहीं है। 20 से 35 प्रतिशत तक कमीशन पहुंच रहा है। हमारे साथी कह रहे थे कि लोहे के पाइप डालेंगे। लोहे के क्या डालेंगे। सीमेंट के भी वह नहीं होते। बालू के होते हैं। सीमेंट तो ब्लैक में जाती है। सभी बालू इस्तेमाल होती है। खेत में पहुंचते-पहुंचते पाइप के टुकड़े-टुकड़े हो जाया करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संशोधन के सिलसिले में बोल रहे हैं या उसके बाहर ?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, विषय के भीतर ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके भाषण का विषय से सम्बन्ध नहीं है।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि किसानों के लिये इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं। कोई किसान नहीं चाहता कि पाइप लाइन डाली जाय। कोई किसान नहीं चाहता कि उसकी फसल बर्बाद हो। किसान इस बात से डरता है कि रोज-रोज लाइनों में लीकेज होती है। इनकी लाइनें हमेशा लीक होती हैं। जब किसान की फसल खड़ी होती है तो कहते हैं कि पूरे खेत को उखाड़ेंगे। किसानों को माननीय मन्त्री जी नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि जितना पाइप लाइनें डालना चाहें, डाल सकते हैं कि एक बात का आश्वासन माननीय मंत्री जी दे दें कि जो पाइप का इस्तेमाल होगा, लाइनें लीक नहीं होंगी। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पाइप लाइनें ऐसी हैं कि उनमें जितनी सीमेंट का इस्तेमाल होना चाहिये, नहीं होता। मैं कहता हूं कि जब पहली ही बार डाली जाती है, तो खुलने लगती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । जिस वक्त फसल नहीं होगी, गर्मी में फसल जब नहीं होगी, तो इनका कोई मोहकमा पाइप लाइन डालने नहीं जायेगा । जब किसान की फसल बो दी जायेगी, तब पहुंचेंगे । तो देख कि इनको किसानों के साथ हमदर्दी कहाँ है ? उसकी परेशानी को समझिये । आप किसानों के फायदे के लिये कर रहे हैं तो किसान उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार पर परदा डालने की साजिश की है । माननीय मन्त्री जी समझने की कोशिश करें । अगर इस विधेयक के साथ यह भी लागू होता कि यदि पाइप लाइन लीक होंगी, तो उनको कठिन से कठिन दण्ड दिया जायेगा, तब मैं स्वीकार करता । लेकिन यह नहीं कर सके, तो मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो क्या भ्रष्टाचार रुक जायेगा ?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, प्रवर समिति में जायेगा तो कम से कम हर बात पर विचार तो कर लगे । हर पहलुओं को देख लेंगे और तब राय देंगे ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सिंचाई मंत्री जी ने जो नलकूप संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये क्यों खड़ा हुआ हूं, उससे बारे म दलील देना चाहता हूं । अभी हमारे असरकारी साथी कह रहे थे कि—'उधर किसानों के लोग नहीं बैठे हैं, किसानों के बेटे केवल इधर बैठे हैं ।' मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनकी इस बात से तो सहमति प्रकट करता हूं कि जो पाइप लाइन डाली जायं, उनमें बहाव या सीपेज पानी का नहीं होना चाहिये । यह सत्य है । इस बात को सख्ती के साथ देखा जाय । लेकिन जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे खेत में नाली न जाय ।

(एक सदस्य द्वारा उपाध्यक्ष की ओर पीठ करके मन्त्री जी से बात करने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आप पद्धति के खिलाफ काम कर रहे हैं । पीठासीन अधिकारी की तरफ आपकी पीठ नहीं होनी चाहिये ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मान्यवर, अभी मैं कह रहा था कि गांवों में जब जाते हैं तो मांग होती है कि ऊपर नाली खत्म कर दी जाय और पाइप लाइन डाली जाय । इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसके लिये हमारे उधर के साथी लोगों को माननीय मंत्री जी को बधाई देनी चाहिये और इसको स्वीकार करना चाहिये । लेकिन ये लोग जो संशोधन का प्रस्ताव लाये, उसको देखकर हंसी आती है । मान्यवर, हमारी जितने उधर के साथी बोले, तो किसी ने नहीं कहा । मान्यवर, ये नालियां जब नीचे से जायेंगी, तो लोगों के खेतों में नालियों के ऊपर होने के कारण जो जमीन चली जाती थी, वह बच जायेगी । फिर अगर उसके खेतों म रिसेंगी, तो जिसकी फसल को नुकसान होता है, तो उसके लिये सिंचाई

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--]

विभाग जैसे नहर के कटने से मुआवजा देता है, वैसे मुआवजा देगा ही। लेकिन इतना अवश्य माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि नलकूप विभाग बड़ा गैरजिम्मेदार विभाग है इसलिये इसके ऊपर जरा सख्ती जरूर कर दें कि जो पाइप लाइनें होंगी, वे कम से कम गड़बड़ी न करें। इसके लिये हमारी पक्ष से भी बोले हैं और असरकारी किसानों के बेटे भी बोले हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा केवल संशोधन के लिए संशोधन प्रस्तुत न करें, व्यवधान उत्पन्न करने की दृष्टि से न करें। सदन में एक मिनट में कितना खर्चा होता है यह आपको नहीं मालूम है, यदि अधिक समय लगाते हैं तो यह जनता के धन का दुरुपयोग होता है। इसको स्वीकार करें, इसको पारित करें। धन्यवाद।

श्री जयदीप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। सदन में इतन जोर से जो बहस हो रही है उससे स्पष्ट है, जैसा कि पहले बहस में मालूम हुआ कि सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य इसमें जो कमियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उसको जानते हैं, लेकिन उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें किसानों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि सभी सदस्यों का यह निश्चित मत है जो यह भूमिगत नालियां बनायी जायेंगी इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। भूमि का दुरुपयोग भी इससे समाप्त हो जायगा। परन्तु यह बिल जो रखा गया है यह आपका संशोधन नहीं है। यह अफसरों का ब्यूरोक्रैसी का बनाया हुआ बिल है जो आप सदन म रख देते हैं। लैजिस्लेशन करने का हमारा काम ह। अगर हम एसा सुझाव देते हैं कि प्रवर समिति में यह संशोधन विधेयक बीस दिन, एक महीने के लिए रख दें तो हम अपने लेजिस्लेटिव अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसा बिल है वैसा ही मान लिया जाय। परन्तु उस बिल को देखना चाहते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं। उसमें सुझाव देना चाहते हैं। सत्तापक्ष यह बात कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि अपना बिल वापस ले लें और उसका पुनरीक्षण करे। हम कहते हैं कि प्रवर समिति में 15 दिन के लिए भेज कर विचार कर लें, अगर विचार सही लगें तो मान लें। नहीं तो न मानें।

इस बिल में आपने कहा है कि किसान को 48 घन्टे की नोटिस दे दी जायगी, वह अपनी जमीन से फसल हटा लेगा। क्या उसी तरह से अगर पाइप लाइन में लीकेज होगा और किसान नोटिस देगा तो वह 48 घन्टे में ठीक कर दी जायेगी ? क्योंकि हम किसान हैं इसलिए प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। लेखपाल आयेगा, अमीन आयेगा और कहेगा कि हटाओ फसल अपना 48 घंटे के अन्दर। लेकिन अगर नालियों में लीकेज हो तो कानून में क्या प्रतिबन्ध लगायेंगे कि अफसर 48 घंटे में उसको ठीक कर दें। आम तौर पर जब पुलों आदि का फाउन्डेशन लगाया जाता है तो एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर के रैंक का आदमी देखता है कि फाउन्डेशन सही पड़ा है यह नहीं। इस तरह से जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा जो नालियां डाली जायेंगी उनका मेटीरियल कैसा है, वह सीमेन्ट की थी या बालू का, क्या इसके लिए स्वयं अधिशासी अभियन्ता या एस0 डी0 ओ0 को व्यक्तिगत रूप से बनायेंगे जिम्मेदारी कि मेटीरियल सही हो। क्या यह प्रतिबन्ध लगाने के लिए तैयार हैं ? अगर तैयार हैं तो इस

संशोधन विधेयक को पास कर दें । परन्तु अगर उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते तो अवश्य ही इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में सुपुर्द किया जाय 15 दिन और 20 दिन जो भी समय आप रखें उस समय में वह अपना रिपोर्ट दे दें । आपको उसको जो चीज माननी हो मानें, आपकी बात तो मानी ही जायेगी लेकिन जो जनता की भावनाओं को यहां प्रकट किया गया है उनको देखते हुये दुबारा इस संशोधन को लायें ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस सम्बन्ध में जो विधेयक पेश किया गया है और उस पर जो विरोध पक्ष से प्रस्ताव आया है उसके विरोध में मैं अपनी राय देते हुये केवल दो बातें कहना चाहता हूं । ट्यूबवेल के लिए जो नालियां बनती हैं और उसको जो ठेकेदार बनाते हैं, मेरी जानकारी है कि पी0 डब्लू0 डी0 का ठेका नहीं लेते हैं, नहर का ठेका नहीं लेते हैं, पुल का ठेका नहीं लेते हैं, बिल्डिंग का ठेका नहीं लेते हैं लेकिन ठेकेदार लोग ट्यूबवेल की नाली को बनाने का ठेका लेते हैं । क्योंकि नाली बनाने में सब से ज्यादा पैसा उनको मिलता है, नाली बनाने में उनको करेप्शन करने का मोका मिलता है । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने इसको ठीक करने के लिए जो संशोधन रखा है तो निश्चय ही वह बधाई के पात्र हैं । सर्तकता के साथ अगर यह काम किया जायगा अन्डर ग्राउन्ड नालियां बनायीं जायेंगी तो इससे किसानों का बड़ा लाभ होगा । विरोध पक्ष के लोग जीत कर जरूर आये हैं लेकिन वह यहां पर बैठकर हेल्दी, स्वस्थ विरोध करें। ऐसा विरोध न करें कि किसान का अहित हो जाय । किसान के हित को देखते हुये आप ऐसा विरोध न कीजिये और प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव न भेजिये । इसमें समय न बरबाद कीजिये । मैं पुनः आपसे कहता हूं कि प्रवर समिति में यह प्रस्ताव नहीं जाना चाहिये । यह जो संशोधन विधेयक है यह अपने में एक बेहतरीन संशोधन है, इसको निर्विरोध पास होना चाहिये ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि बड़ी कसरत के बाद आपने समय दिया ।

उपाध्यक्ष--

आपको कसरत इसलिये करनी पड़ी कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे ।

*श्री मारकण्डेय चन्द्र--

माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक निस्संदेह किसानों के लिये लाभकारी है लेकिन उसके साथ-साथ जो किसानों को कठिनाइयां हैं, जो उनका नुकसान हो जाता है जिसके बारे में दोनों पक्षों के लोग अनुभव करते हैं कि इससे किसान का नुकसान होगा । तो हम यह चाहते हैं कि जहां कठिनाइयां हैं, दोनों पक्षों के लोग सहमत हैं, अगर माननीय सिंचाई मंत्री यहां उनको संशोधनों के रूप में स्वीकार कर लें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और प्रवर समिति में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है । मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग, माननीय सदस्य कठिनाइयों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं कि आप किसान के हमदर्द हैं आप हमसे ज्यादा किसानों के हमदर्द हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मारकन्डेय चन्द्र—]

सकते हैं, आप लोग भी किसान हैं लेकिन जो कठिनाइयां किसानों के सामने है उनको सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों ने कहा है, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि वह शहर के रहने वाले हैं या गांव के रहने वाले हैं लेकिन अगर गांवों के सम्बन्ध में उनकी जानकारी है तो मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब गांव में ट्यूबवेल की नाली टूट जाती है तो 6-6 महीने वह नहीं बनती है पूरा सीजन खत्म हो जाता है किसान दौड़ता रहता है लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। किसान तबाह हो जाता है। आपने प्राविधान किया है कि जब आप पाइप डालेंग जमीन के अन्दर तो आप 48 घन्टे का नोटिस देने के बाद भूमि अधिग्रहण करेंग और कुछ मुआवजा आपने लिखा है कि देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पाइप टूट जायेगा तो आपका किसान चाहे 10 फीट का पाइप हो या 20 फीट का उसको ठीक करने के लिए 100 मीटर, 200 मीटर जमीन को खोदना पड़ेगा। यदि नहीं खोदते हैं तो पाइप नहीं ठीक हो सकता है। यदि खोदते हैं तो जितना खुदाई करना पड़ेगा उससे फसल नष्ट होगी तो उसका क्या होगा। तो जहां आप खर्च को बचत कर रहे हैं वहीं आप इसमें प्राविधान कर दें कि जब सिंचाई का सीजन हो तो पाइप जहां खराब होगा और उससे जो फसल की क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति आप करेंगे तो ठीक होगा। दूसरी तरफ मान्यवर, 48 घंटे की सूचना देकर किसान की जमीन ले लेंगे तो मान्यवर, मंत्री जी यह भी व्यवस्था इसके साथ में करदें कि नाली जब खराब हो तो किसान की सूचना पर उसके लिए समय निश्चित करदें कि इतने समय में वह नाली ठीक हो जायेगी। अन्यथा पानी निकलता रहेगा जिससे किसान को उसमें जो बोआई करना है और सीजन निकल गया तो वह बोआई नहीं कर पायेगा, इसलिए अल्पकालिक समय की व्यवस्था यदि नहीं करेंगे कि नाली ठीक हो जाय तो इससे बड़ी भयावह स्थिति आयेगी और अक्तूबर की बोआई नहीं हो पायेगी पानी के जमाव से।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि अनेक सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उनको मंत्री जी यहीं स्वीकार कर लें तो कोई आवश्यकता नहीं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। सितम्बर का महीना है, इस समय पाइप नहीं लगवा रहे हैं तो जो नलकूप लगायेंगे उनमें यह व्यवस्था होगी, तो 15 दिन में यदि प्रवर समिति को भेज देते हैं तो कोई आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसमें किसानों का हित है। लेकिन जो कठिनाइयां हैं उनको मंत्री जी अध्ययन कर लें, और देहात से जानकारी न हो, तो आस पास के माननीय सदस्यों से जानकारी कर ल। मुझे इसम भी कोई एतराज नहीं होगा कि आप अपने दल के ही चाहे माननीय सदस्यों को प्रवर समिति म रख द। इसलिए जो सुझाव हैं उनको मंत्री जी यहीं स्वीकार कर लें या फिर इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें।

*श्री प्रभु नारायण सिंह—

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने यह जो उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और यह नहीं समझता हूं कि इसमें कोई एसी चीज है जिसको तिल का ताड़ बनाया जाय। मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि केवल विरोध के लिये विरोध किया जाय और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हर विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, इस तरह का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है । तो श्रीमन्, मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जैसे गोस्वामी तुलसी दास ने रामायण के पहले देवताओं की बंदना की, सज्जनों की बंदना की और कुछ लोगों की बंदना किया था तो वैसे ही ये लोग भी कोई विधेयक प्रस्तुत करने के पहले बंदना कर लिया करें तो शायद ऐसा न हो ।

श्रीमन्, जहां एक तरफ अन्डरग्राउन्ड रेलें बन रही हैं, अन्डर ग्राउन्ड कैनाल बन रही है, वहां हमारे उत्तर प्रदेश में, और विशेषकर मैं कहूंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां जमीन पर इतनी आबादी का घनत्व बढ़ता जा रहा है । वहां भी लोग इस तरह का प्रस्ताव रखते हों कि नाली अन्डरग्राउन्ड न बनायी जाय और ऊपर से बनायी जाय और यह भी तर्क उन्होंने दिया कि इससे किसान नाराज होगा. . . । कितना झगड़ा करता है, श्रीमन् हम लोगों की तो यह मान्यता है कि किसान बहुत ही शांतिपूर्ण प्राणी है । छोटे-छोटे किसान प्रसन्न होंगे जब उनको सचमुच में नुकसान नहीं होगा । यह जरूर है कि पाइप लाईन बिछाई जायगी लेकिन निश्चित रूप से एक गारण्टी भी किसान के लिए हो कि उस की फसल को नुकसान नहीं होगा । यह तो जैसा मंत्री जी ने कहा वर्ल्ड बैंक की योजना थी । उसके अन्तर्गत पांच सौ नल कूप लगाने थे, अन्डरग्राउन्ड पाइप लाइन बिछानी थी, अधिग्रहण के कार्य में विलम्ब नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं है, मैं नहीं समझता कि कौन सी ऐसी बात इस में है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । आंख मूद कर म समझता हूं हर सदस्य को इसका समर्थन करना चाहिए और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर देना चाहिए ।

यह जो राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक रखा गया है मैं इस का समर्थन करता हूं ।

श्री धनी राम वर्मा--

माननीय, म सिचाई मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक पर जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं और अपने कुछ चन्द सुझाव देना चाहता हूं ।

हमारे सरकारी पक्ष के भाई ने कहा है कि विरोधी पक्ष के विधायक सही बात का भी विरोध करते हैं ऐसी बात नहीं है । हम सब लोग इसका समर्थन करते हैं कि नालियां अन्डर ग्राउन्ड जाय इसमें कोई दो राय नहीं है । हम लोग चाहते हैं कि किसान की खेती बढ़े, उस पर पैदावार हो परन्तु विचार कर लिया जाय कि अन्डर ग्राउन्ड नाली डालने में जो नुकसान किसान को होगा उसके समाधान के लिए क्या उपाय होगा । हम आप सभी जानते हैं बरौनी से लेकर पनकी तक पेट्रोल पाइप लाइन का बड़ा भारी कांड हुआ था । पाइप लाइन से पेट्रोल रिसने लगा और गंगा में आग लग गई थी । पाइपों में बालू बहुत अधिक सीमेंट का अंश कम होता है यदि इस प्रकार की पाइप लाइन डाली जायगी तो उस से पानी रिसेगा । निश्चित रूप से पानी रिसेगा । किसानों की फसल नष्ट हो जायगी और जब उसको उखाड़ कर ठीक करने की कोशिश की जायगी तो उससे और भी ज्यादा नुकसान होगा । जो यह कहा गया कि 48 घण्टे का नोटिस देकर किसानों की फसल काट ली जायगी और पाइप लाइन डाल दी जायगी, यह ठीक है 48 घंटे के अन्दर नोटिस देकर फसल काट कर के पाइप लाइन डाल दी जाय इसमें दो राय नहीं है, मैं सहमत हूं, लेकिन 48 घण्टे पहले जब नोटिस दिया जाय तो उस फसल की कीमत लगा दी जाय और उसका मुआवजा भी काश्तकार को पहले ही मिल जाना चाहिए । यह नहीं कि वर्षों किसान उलझा रहे और उस को मुआवजा न मिले । माननीय,

[श्री धनी राम वर्मा--]

मैं यह कहना चाहूंगा कि काश्तकार का जो यह नुकसान होने की सम्भावना है उसको देखते हुये हमारा सिंचाई मंत्री महोदय से जो बहुत अनुभवी मंत्री हैं, से अनुरोध है कि इन संशोधनों को स्वीकार कर लें, स्वयं विचार कर लें, अपनी पार्टी में तय कर लें, भले ही आठ दिन इस को स्थगित कर दें, विचार कर लें कि सचमुच में इस में कमियां हैं और उन कमियों को दूर करें और तब जब यह प्रस्ताव पास होगा तो किसान का उससे हित होगा। हम लोग सब चाहते ह कि अंडर ग्राउंड नालियां बनाई जायं तो निश्चित रूप से जो कमियां ह वे भी दूर की जानी चाहिये। भले ही इसे प्रवर समिति में भेजा जाय या मंत्री जो पार्टी सदस्यों से 8 दिन में इस सम्बन्ध म उनसे जानकारी हासिल कर ल और फिर सदन के सामने इसे प्रस्तुत करें। तब हम इसका विरोध नहीं करेंगे बल्कि समर्थन करेंगे।

*श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, जो संशोधन मित्र सेन यादव ने इस विधेयक के सम्बन्ध में रखा है वह तथ्यहीन है और विरोधी दल की तरफ से जो इसके लिये कारण आये हैं वे भी आधारहीन तथा तथ्यहीन हैं। जो नलकूप संशोधन विधेयक मंत्री जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और संशोधन का घोर विरोध करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस विधेयक से काश्तकारों को सहूलियतें मिलेंगी काश्तकारों की स्थिति से हमारे मंत्री महोदय पूर्ण रूप से जानकार हैं और पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि उन्होंने इसे सोच समझ कर सदन में प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इस योजना पर इतना धन व्यय किया जायगा जिससे यह योजना वास्तव में काश्तकारों के लिये अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी लेकिन इस बारे में वह सचेत रहें जो इतनी बड़ी धनराशि वह खर्च करेंगे उसका अधिकारीगण कहीं दुरुपयोग न करें। दो मीटर लाइन लगे और कहीं अधिकारी 6 मीटर के दाम पास न करें। इस पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। जहां तक नालियों की छापने वाली बात है उसमें सेमेंट तथा लोहा ठीक से इस्तेमाल होना चाहिये। ऐसा न हो कि 65 रुपये कट्टे के हिसाब से बाजार में सीमेंट बेचा जाय और वह इन पाइप लाइन्स के छापने में न लगे। यदि हम दुरुपयोग को रोक सकेंगे तो यह योजना लाभदायक सिद्ध हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, जो लघु सिंचाई विधेयक सिंचाई मंत्री महोदय ने पेश किया है मेरी नजर में यह फिजिबिल नहीं है। उनके इंजीनियर्स तथा टेकनीशियंस न किताबी दृष्टि से भले हो इसे ठीक समझा हो लेकिन मेरी नजर म इस प्लान का प्रेक्टिकल शेप व्यवहारिक रूप से नहीं दिया जा सकता। अन्डर ग्राउन्ड लाइन्स जो भी होती हैं वे बहुत लम्बी होती हैं और बड़े-बड़े कृषि फार्मों में उनको डाला जाता है। शहरों में पक्के में अन्डर ग्राउन्ड लाइन्स चल जाती हैं लेकिन कच्चे में जहां खुलने की संभावना अधिक हो वहां यह फिजिबिल नहीं हो सकती। कुछ दिन में वह ब्लाक हो जायेगी और उनका चलना मुश्किल हो जायगा। इस विधेयक को प्रेक्टिकल रूप दिया जायगा तो इस पर खर्च किया हुआ पैसा बरबाद हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरी राय में उन नालियों में कूड़ा-करकट, पत्तियां और रोड़ियां फंस जायेंगी और मिट्टी आदि भी भर जायेगी। आये दिन उसकी सफाई की आवश्यकता होगी पाइप टूटने पर देर तक ठीक न होने के कारण खत पानी और गड्ढा बन जाता है। दूसरी बात यह है कि यह व्यवस्था किसी बड़े फार्म के लिये तो ठीक हो सकती है लेकिन जो सरकारी ट्यूबवेल छोटे-छोटे खेतों की सिंचाई करने के लिये होते हैं जगह-जगह पर खतों में पानी ले जाना होता ह उसके लिय यह फीजिबिल नहीं है। इसलिय मन्त्री जी को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप कृपया ध्यान रखें।

(समय 6 बजे अपरान्ह)

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, आज एग्रिकल्चर जो है वह मेकेनाइज हुआ है और एक तरह से होल लाइफ ही मैकेनाइज हुई है। उसमें थोड़ा बहुत कमी तो रहती ही है। लेकिन अनुभव सब सिखा देता है। जब हम एग्रीकल्चर आज मशीन के द्वारा प्ली करते हैं तो अन्डरग्राउन्ड नालियों से क्या ऐतराज हो सकता है। विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो दिक्कत रखी है, वैसी बात नहीं है। जहां दिक्कत आयेगी, उसके रास्ते भी अपने आप निकल आयेंगे और अपने आप उसके उपाय बनते चले जाते ह। एक वक्त था जबकि खाद के बारे में कहा जाता था कि इस खाद का क्या होगा। आज उसी खाद की इतनी मांग है कि हर किसान खाद चाहता है। क्योंकि उससे फायदा होता है। विरोध पक्ष से एक बात यह कही गई कि लीकेज हो जायेगा। मान्यवर, आज साइन्स और टेक्निकल एजूकेशन म बहुत विस्तार हुआ है और आज टेक्निकल नो-हाउ गांवों में भी पहुंच रहा है। हर प्रोसेज धीरे-धीरे होता है। पहले हम देखते थे कि 1 मील के अन्दर एक आदमी हमको पढ़ा-लिखा दिखाई देता था और आज एक मील के अन्दर 15-20 ग्रेजुयेट मिल जाते हैं। हम आज तक यह तय ही नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है उसी प्रकार जो काम सही हैं, उनके बारे में गलत कहने वाले लोग भी रहेंगे ही।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मेरे संशोधन पर जिन-जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनका मैं आभारी हूं। मने अपने संशोधन के माध्यम से जो एक व्यावहारिक कठिनाई है उसको सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। सरकार भी उस कठिनाई को महसूस करती होगी। माननीय राजेन्द्र जी ने कहा कि मुआवजे का प्राविधान कर दिया जायेगा। जब बीच से नाली जायेगी तो जमीन किसानों की कटेगी लेकिन जब फसल खड़ी रहेगी और उस समय नाली टूटेगी तब क्या स्थिति होगी, उसका प्राविधान नहीं किया गया है। निश्चित रूप से उस समय झगड़ा होगा। मान्यवर, यह कहा जा रहा ह कि एक मील के एरिये में आधा एकड़ जमीन जायेगी तो उस हिसाब से उसको दो हजार मुआवजा दिया जायेगा। इससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन--]

क्या होगा । अगर नाली टूटती है तो उसको दुरुस्त करने के लिये न मालूम कितना रुपया खर्च किया जायेगा इसलिये जो जमीन से नाली जायेगी और जितनी भी जायेगी उतना ही किसानों को मुआवजा दे दिया जाता तब तो उचित बात थी। इस सम्बन्ध में हमारे वर्ल्ड बैंक की स्कीम भी है जिसके द्वारा ट्यूबवेलों से अन्डर ग्राउन्ड नालियां बननी ह । नालियां निश्चित रूप से बनाई जायं लेकिन यह जो 48 घंटे पहले हटाने की बात है यह कैसे किसान कर लेगा । कोई किसान नहीं करेगा और जो आपके अफसर जायेंगे उसे खोदने नहीं देंगे, मार कर खदेड़ देंगे । मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो आपने 48 घंटे की बात कही है उसमें आप भी 48 घंटे के अन्दर नालियां बनाने की गारंटी दे दें और जो जमीन किसान की जायेगी उसका मुआवजा देने की गारंटी दे दें तो हम वापस लेंगे । मैंने यह किसान के हित में संशोधन दिया है उसे इनको मान लेना चाहिये ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो सुझाव आये हैं मैं नहीं जानता कि जो लोग खेती करते हैं वह इस तरह की बातें कहते हैं जो कि प्रेक्टिकल नहीं हैं । मैं स्वयं किसान हूं और खेती करता हूं । किसानों की यह बराबर मांग रही है कि पाइप लाइन नीचे से दी जाय ताकि खेत बरबाद न हों। माननीय सदस्य भी बराबर यह शिकायत करते आये हैं कि नालियां नहीं बनती हैं सारा पानी वेस्ट हो जाता ह । तो इस शिकायत को देखते हुए जो कि जनता की मांग थी जो उनकी कठिनाई थी उसको दूर करने के लिए जमीन के अन्दर पाइप लाइन डालने की व्यवस्था की है । माननीय सदस्यों ने जो आशंका व्यक्त की है कि फसल बरबाद होगी उसका ध्यान रखा जायेगा जो उचित मुआवजा होगा वह मिलेगा । जमीन तो उन्हीं की रहेगी क्योंकि जमीन के नीचे से पाइप लाईन डालेंगे उससे जमीन छिनने वाली नहीं है ।

जहां तक सीपेज की बात है अगर वह कहीं पर होगा उसका प्रयास किया जायेगा कि सीपेज न हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी, खुली नालियों को तो चूहे लग जाते हैं तो अन्डर ग्राऊंड पाइप लाइन को कैसे चूहों से बचायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चूहे नहीं काटने पायेंगे । मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई विवाद की गुंजायश है इसलिए इनको इसे मान लेना चाहिये और इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मित्र सेन जी, आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मित्र सेन--

कैसे लें ? क्योंकि यह कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980

संयुक्त प्रान्त राजकीय नलकूप अधिनियम, 1936 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 12 सन् 1936 की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

भूमिगत पाइप लाइन इत्यादि का निर्माण करने का अधिकार ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम, सन् 1936 में नई धारा 7, 8 और 9 का बढ़ाया जाना

"7--कोई नलकूप अधिकारी या नलकूप अधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति समय-समय पर--

(क) किसी स्थावर सम्पत्ति में या उस पर या उसके नीचे, ऊपर, साथ-साथ या उसके आर-पार, किसी नलकूप की पाइप लाइन (जिसमें इन्टर-सम्प पाइप स्टन्ड, वाल्व चेम्बर, और आउटलेट भी सम्मिलित हैं) नलकूप कच्चा गूल बरहा और मिट्टी की खनती को बिछा या खोद सकता ह, उसकी मरम्मत उसमें परिवर्तन, उसका परीक्षण या अनुरक्षण कर सकता है या उसे हटा सकता है और मिट्टी को खोद या तोड़ सकता है, और

(ख) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए किसी भी समय ऐसी सम्पत्ति में प्रवेश कर सकता है ।

भूमि के स्वामी या अध्यासी को नोटिस ।

8--(1) कोई ऐसा कार्य, जैसा धारा 7 में निर्दिष्ट है, तब तक निष्पादित नहीं किया जायगा, जब तक कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को कम से कम अड़तालीस घंटे की लिखित नोटिस न दे दी जाय और एसे स्वामी या अध्यासी को कार्य निष्पादन के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, किसी भूमि को खोदता है या तोड़ता है, वहां वह युक्ति युक्ततः पूर्ण शीघ्रता से उस जमीन को भरेगा और खोदी या तोड़ी गई मिट्टी को यथावत् ठीक कर देगा ।

(3) नलकूप अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के निष्पादन के प्रयोजनार्थ किसी सम्पत्ति को कम से कम क्षति पहुंचायेगा और ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को हुई किसी क्षति के लिये उसे विहित रीति से प्रतिकर देगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

9--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है ।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
25 सितम्बर, 1980

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1038 पर)

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन की मांग

1—डिप्लोमा फार्मेसिस्टों एवं फार्मेसिस्टों को उनकी तकनीकी प्रशिक्षण व शैक्षिक योग्यता एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुये इनके वेतनमानों में व्याप्त विसंगतियों को समाप्त करते हुये उच्चतर वेतनमान दिया जाये ।

2—फार्मेसी का पृथक् निदेशालय बनाकर इस वर्ग में प्रोन्नति के मार्ग प्रशस्त किय जायें तथा अविलम्ब निम्नलिखित पदों पर सृजन जनहित में किया जाय :

(क) 30 प्रतिशत् फार्मेसिस्टों को सेलेक्शन ग्रेड तथा 20 प्रतिशत को सुपर सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाये ।

(ख) जिला फार्मेसी अधिकारी ।

(ग) मण्डलीय फार्मेसी अधिकारी ।

(घ) उप निदेशक फार्मेसी ।

(ढ़) संयुक्त निदेशक फार्मेसी ।

(च) निदेशक फार्मेसी ।

3—समस्त ऐसे राजकीय चिकित्सालयों में जहां पर वरिष्ठ अधीक्षक के पद हैं, वहां पर भी चीफ फामसिस्ट के पद का सृजन किया जाये ।

4—हाथी आयोग एवं कानपुर ग्लूकोज कन्ड पर गठित जांच समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये फार्मेसी विशेषज्ञों को औषधि नियंत्रक के प्रशासन में सम्मिलित किया जाय ।

5—फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया की आचार संहिता लागू कर फार्मेसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये जायें तथा प्रदेश शासन के निर्णयानुसार इस वर्ग की सेवाओं का अविलम्ब प्रान्तोयकरण किया जाय एवं सेवा नियम बनाय जायें ।

6—डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं में व्याप्त कमियों को शीघ्र ही पूर्ण करके तथा उन्हें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराकर इस वर्ष से उच्च शिक्षा जैसा बी0 फार्मा एवं एम0 फार्मा के पाठ्यक्रम की बजाये एवं उक्त उच्च शिक्षा हेतु विभाग स्थापना की सेवा कालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये जनहित को ध्यान में रखकर की जाय ।

7—जिला स्तर पर हास्पिटल फार्मेसी की स्थापना की जाय तथा फार्मेसिस्टों की वरिष्ठता सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाय ।

8—राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालयों । इ0 एस0 आई0 (1) एवं कुष्ठ चिकित्सालयों का केन्द्रों में सेवारत फार्मेसिस्टों को डाक्टरों की भांति ई0एस0आई0 व जोखिम भत्ता दिया जाय ।

9—फार्मेसिस्टों को डाक्टरों की भांति नान-प्रेक्टिसिंग वेतन व भत्ता दिया जाय तथा चिकित्सकों के अभाव वाले चिकित्सालय में फार्मेसिस्टों को चार्ज एलाउन्स के रूप में 10 रु0 के स्थान पर 50 रु0 प्रतिमास दिया जाय ।

10--जनहित को ध्यान में रखते हुये ड्रग ऐक्ट की धारा 65(15)-सी को निरस्त किया जाय ।

11--स्टेट फार्मेसी कौंसिल उत्तर प्रदेश फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया में डिप्लोमा फार्मेसी एसोसियेशन उत्तर प्रदेश के निर्णयानुसार कम से कम एक, एक सदस्य को मनोनीत किया जाय ।

12--आवासीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये आवासीय सुविधा प्रदान की जाय एवं जब तक उक्त व्यवस्था न हो जाय 25 प्रतिशत आवासीय भत्ता दिया जाय ।

13--पंजीकृत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को कन्डेन्स कोर्स कराकर प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाये तथा भविष्य में अप्रशिक्षितों के पंजीकरण को न किया जाये ।

14--फार्मसिस्टों का रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पत्र संख्या फ (2)-1976, दिनांक 8 अप्रैल, 1975 की संस्तुति के आधार पर डाक्टरों एवं नर्सों की भांति एक ही बार किया जाये ।

15--डिप्लोमा अपरेन्टिस काल में फार्मेसिस्टों को 250 रु0 प्रतिमाह दिया जाये ।

16--(क)-उन चिकित्सालयों में जहां पर फार्मेसिस्टों के पदों का सृजन नहीं किया गया है वहां पर अविलम्ब फार्मेसिस्टों का सृजन कर उसकी नियुक्ति की जाये ।

(ख) राज्यपाल के पत्रांक 3375/16-पी0 एच0--858-56 दिनांक 11-6-1957 के अनुसार ड्रग रूल को ध्यान में रखते हुये स्टोरों, वार्डों में दवाओं की डिस्पेंसिंग एवं वितरण प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों से ही कराया जाये ।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम से कम एक और फार्मेसिस्ट के पदों का सृजन किया जाये ।

17--(क)-डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एशोसियेशन उत्तर प्रदेश के एवं उसकी उप शाखाओं के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण बदले की भावना से कर दिया जाता है उसे अविलम्ब बन्द किया जाये । एसोसियेशन के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण तब तक न किया जाय तक कि संघ का सहमति न मिल जाये ।

(ख) स्थानान्तरण को एक ठोस नीति-निर्धारित की जाये तथा उसका पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(ग) फार्मेसिस्टों की शिकायत मिलने पर उनका स्थानान्तरण न किया जाय जब तक जांच के दौरान उनको दोषी न पाया जाये । जांच कमेटी में संघ का एक प्रतिनिधि भी शामिल किया जाये ।

18--3 साल से ज्यादा कार्यरत फार्मेसिस्टों को तुरन्त स्थायी किया जाये ।

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन की उन मांगों का विवरण, जिन्हें शासन ने गत वर्ष स्वीकार किया था

1--चीफ फार्मेसिस्टों के पदों का सृजन--

400-550 रुपये के वेतनमान में प्रदेश के बड़े-बड़े अस्पतालों के लिये 70 चीफ फार्मेसिस्टों के पद सृजित किये गये ।

2--फार्मेसिस्टों के सेलेक्सन ग्रेड के वेतन मान में वृद्धि--

फार्मेसिस्टों के सेलेक्शन ग्रेड का वेतनमान 280-460 रु० से बढ़ाकर 300-500 रु० कर दिया गया ।

3--फार्मेसिस्टों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण--

फार्मेसिस्ट कैडर पहले जिला कैडर था व एसोसियेशन की मांग पर इसे राज्य कैडर बना दिया गया ।

4--फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों की कमियां दूर करना--

फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिरिक्त साज सज्जा, संयंत्र आदि क्रय करने हेतु धन स्वीकृत किया गया तथा अध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजित किये गये ।

इसके अतिरिक्त वर्तमान शासन ने उनकी एक मांग और स्वीकार कर ली है अर्थात् फार्मेसी कौसिल आफ इन्डिया में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक डिप्लोमा फार्मेसिस्ट को सदस्य मनोनीत कर दिया गया है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1047 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के पाचवें गुरुवार के लिए निर्धारित श्री मोती लाल देहलवी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 का संलग्नक ।

चिकित्सीय रिपोर्ट कुमारी शान्ती देवी पुत्री श्री गुरु प्रसाद

श्री आर0 के0 कुंवर अपर जिला मजिस्ट्रेट (इक्जीयूटिव) के पत्र के संदर्भ में कुमारी शान्ती देवी पुत्री श्री गुरुप्रसाद "निवासी" नवलगंज जिला उन्नाव की डाक्टरी जांच की रिपोर्ट । उसे कुमारी हेमलता गुप्ता (एक्स) मैजिस्ट्रेट लायीं तथा उसका परिचय कराया । उसके साथ उसकी मां बिमला देवी थी ।

उसकी जांच महिला अस्पताल लखनऊ में 10-7-1980 को अपरान्ह 8-15 बजे की गयी ।

मैं महिला डाक्टर द्वारा अपनी जांच स्वेच्छा से करा रही हूं । कुमारी शान्ती देवी के दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान ।

मैं महिला डाक्टर द्वारा अपनी लड़की की जांच स्वेच्छा से करा रही हूं

विमला देवी (मां) के दाहिने
हाथ के अंगूठे का निशान

एम0 आई0 (1):--गर्दन की दाहिनी ओर पिन से सिरे (पिन हेड) के आकार का एक मसा (मोल) व दो चेस्ट पर लगभग 3/4 की दूरी पर व पहले मसे से 2-1/2 इंच नीचे औसत ऊंचाई 4 फिट 10 इंच, वजन 87 पौंड ।

दांत-7/7/7/7 अन्तिम दाढ़ के लिए स्थान नहीं है ।

स्तन छोटे गोलाकार रूप में विकसित ।

कोख (बगल के) के बाल थोड़े मुलायम हल्के रंग के ।

गुह्यांग रोम-(प्यूबिक हेयर) काले घने कटे हुए और सिरे बढ़ते हुए ।

रजः स्राव (माहवारी) होने लगा था और उसके बयान के अनुसार केवल एक बार लगभग दस दिन पहले हुआ था ।

गुप्तांगों की जांच--

गुप्तांगों के कपड़े बहुत पहले उसके घर पर बदले जा चुके थे । गुप्तांगों पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये । योनिमार्ग में दो अंगुलियां आसानी से जाती हैं । योनिच्छेद (हाईमोन) पर कोई हाल ही की चोट नहीं पायी गई । योनि आलोप (वेजानल स्मीयर) जांच के लिए लिया गया । योनिच्छेद (हाईमोन) पर पुरानी भरी हुई दरार । 11 बजे पोजीशन पर अच्छी हो गयी पुरानी खरोंच ।

शरीर की चोटें--

1--दाहिनी अग्रबाहु के पीछे कोहनी से लगभग 3" नीचे लगभग 2 मि0 मी0-3 मि0 मी0 का एक छोटा भरा हुआ घाव ।

2--दाहिनी अग्रबाहु के पीछे कोहनी से लगभग 5" नीचे 3 मि0 मी0-3 मि0 मी0 के छोटे व्रण का आंशिक सी खुरण्ड (अलसर पार्शियली सी स्केब) ।

3--दूसरे व्रण (अलसर) के 3" नीचे 2 मि० मी०-3 मि० मी० का इसी कार का व्रण ।

4--बांयें स्तन (ब्रेस्ट) पर बाह्य त्वचा तक गहरी एपीडर्मिस डीप 4-5 तिरछी रेखाकार खरोचें जिन पर-सी-पर सूखा खुरण्ड था (कवर्ड सी डाई लाइनियरस्के ब्रज) ।

5--लड़की को 11 जुलाई, 1980 को एक्सरे के लिए भेजा जायेगा ।
ओनि आलेप (स्मियर) की रिपोर्ट ।

संख्या--70/11-7-80 कोई शुग्राणु नहीं देखा गया ।

शान्ती देवी की एक्सरे प्लेट सं० 310/11/7/80 ।

कोहिनी का जोड़ प्रगाण्डिका (ह्यूमस्स) चिकित्सीय अधिस्थूलय (एपीकडाइल) अस्थि दण्ड शैफ्ट से जुड़ा नहीं था ।

घुटने का जोड़--

ऐपिफायसिस सम्बंधित अस्थि दण्ड (शेफ्ट) से पूर्णता जुड़ा नहीं था ।

कलाई का जोड़--

कलाई जोड़ के चारों ओर एपिथासिस अपने अस्थि दण्ड के साथ बिल्कुल ही जुड़ा नहीं था ।

परिणाम--उपर्युक्त व्योरों के अनुसार मेरी राय में शान्ति देवी की वय लगभग 14 (चौदह) वर्ष है ।

चोट सं० 1, 2, 3 छोटे फोड़ों के रूप में पौड़ी (फयुरण्यत्स) के करण हैं । पहला भरा हुआ है दूसरा आंशिक भरा हुआ है तथा आंशिक रूप से रोगाणुग्रस्त है तीसरा विषैला व्रण (सेप्टिक अलसर) है अतः वे विभिन्न रूपों में है पहली 5-7 दिन की है 4 दूसरी 4-5 दिन की है तथा तीसरी 2-3 दिन की है ।

चोट संख्या 4 ऐसी खरोचें है, जो किसी तेज नुकीली वस्तु से आयी है । वे सब सूख गयी हैं और उनमें रेखाकार खुरण्ड सी है । संभाव्य समय 3-4 दिन है । बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती । ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की के साथ सम्भोग किया जाता रहा है ।

ह० एस० चौरसिया

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1056 पर)

परगनाधिकारी व तहसीलदार तिलहर द्वारा मारे गये छापों का विवरण

परगनाधिकारी, तिलहर

दुकानदार का नाम	मारे गये छापों की संख्या
1--श्री विश्वासराय, फुटकर चीनी विक्रेता न्याय पंचायत, राजनपुर ।	दो बार
2--श्री योगराज फुटकर चीनी विक्रेता न्याय पंचायत, वतलैइया ।	एक बार
3--श्री राम कुमार सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता, कटरा ।	एक बार
4--श्री मेहताब सिंह फुटकर चीनी विक्रेता न्याय पंचायत, कजरी नूनपुर ।	एक बार
5--सहकारी संघ फुटकर चीनी विक्रेता न्याय पंचायत निगोही	एक बार

तहसीलदार तिलहर

1--श्री हीरालाल सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता तिलहर	एक बार
2--श्री मनोजकुमार सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता, तिलहर	एक बार
3--श्री शिवानन्द गुप्ता, सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता, तिलहर	एक बार
4--श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता, तिलहर	एक बार

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ट 1059 पर)

नगरपालिका सण्डीला के समाप्त नजूल भूमि के पट्टों से संबंधित व्यक्तियों की सूची

सर्वश्री,

1--लाला अमर नाथ

2--गौरी शंकर

3--एजाज अहमद

4--कृष्ण दौलत राम

5--सीता राम

6--गजोधन प्रसाद

7--कुसेहरी

8--कृष्ण दौलतराम

9--काजोर फीउद्दीन

10--काजी रफीउद्दीन

11--कुसेहरी

12--मो0 सफी

13--गौरी शंकर

14--मथुरा प्रसाद

15--जगदीश प्रसाद

16--विद्याधर, गंगाधर

17--रामनाथ विश्वनाथ कन्हैयालाल

18--भोला नाथ

19--कन्हैया लाल विश्वनाथ रामनाथ

20--कुमारी रामश्री पुत्री डा0 भगवानदास

21--श्रीमती विधवा केदारनाथ ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1066 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के तीसरे सप्ताह के लिए निर्धारित श्री मोती लाल देहलवी, श्री मोहन सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
8--क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि थाना कोतवाली जनपद सुल्तानपुर में माह अप्रैल, 1980 को श्री रामशब्द मिश्र व श्री विश्वनाथ मिश्र के विरुद्ध धारा 3/7 के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारी सुल्तानपुर में 1,10,000 (एक लाख दस हजार) लीटर मिट्टी के तेल का गोलमाल किये जाने सम्बन्धी जो रिपोर्ट दर्ज कराया थी उसमें अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?	8--यह सच है कि माह अप्रैल, 1980 में थाना कोतवाली जनपद सुल्तानपुर में श्री रामशब्द मिश्र तथा श्री विश्वनाथ मिश्र के विरुद्ध 1,10,000 (एक लाख दस हजार) लीटर मिट्टी के तेल का गोलमाल किये जाने के सम्बन्ध में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मुकदमा कायम कराया गया जिसके फलस्वरूप दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त श्री विश्वनाथ मिश्र गिरफ्तार हुआ और दूसरा अभियुक्त श्री रामशब्द अभी तक फरार है जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अधीन कार्यवाही जारी है । अजीत सिंह सेठी, राज्य खाद्य मन्त्री ।

पी0 एस0 यू0 पी0--48 वि0 सभा--29-9-81--435--(पी0 डी0) ।